उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

प्रोफेसर नरेन्द्र वैद्य
प्राचार्य एवं प्रकोष्ठाध्यक्ष

1988

अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षा प्रकोष्ठ
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
अजमेर—305 004 (राजस्थान)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षा प्रकोष्ठ

1. **प्रोफेसर नरेन्द्र वैद्य** प्रकोष्ठाध्यक्ष
   प्राचार्य
   क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
   अजमेर

2. **प्रो. एम. के. गुप्ता** सदस्य
   विज्ञान विभाग
   क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
   अजमेर

3. **बी. पी. अग्रवाल** संयोजक
   प्रवक्ता-शिक्षा
   क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
   अजमेर

अनुक्रमणिका

खण्ड-1

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की दशा का परिचय

अध्याय 2

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

अध्याय 3

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के विशेष प्रावधान

अध्याय 4

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं एवं समाधान

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की दशा का परिचय

1.0 प्रस्तावना :-

भारत का विशाल जन समुदाय, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। यही स्थिति भारत के विभिन्न राज्यों में पायी जाती है। उत्तर प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जन संख्या वाला राज्य है। इसकी आबादी मे एक छोटा वर्ग ऐसा भी है जो सदियों से निरन्तर उपेक्षित तथा अविकसित रहा है। हिन्दुओं में व्याप्त 'अस्पृश्यता' की भावना और उच्चवर्गीय जनों में आभिजात्य गर्व के कारण यह उपेक्षित वर्ग भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग रहा। इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि हिन्दुओं के ब्राह्मण वर्ग ने

कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दे दी थीं कि यह वर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा। यह स्वाभाविक था कि उनका मानसिक विकास भी अवरूद्ध हो जाय।

आजादी प्राप्त कर लेने और संविधान बनने पर इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न आरंभ हुए। इस वर्ग को अब 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति' के नाम से पुकारा जाता है।

यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जातियों का उन्नयन संभव है। शिक्षा के द्वारा इनमें आत्म सम्मान, आत्म-विश्वास और सृजन की शक्ति को जाग्रत किया जा सकता है। पढ़-लिखकर वे ज्ञान-विज्ञान की गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता उनके दृष्टिकोण परिवर्तन की है। शिक्षा ही यह परिवर्तन ला सकेगी और उन्हें इस योग्य बना सकेगी कि वे भारतीय समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लोग संख्या में कम है और वे भी राज्य के सारे क्षेत्रफल में बिखरे हुए हैं। उनके शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक प्रावधान किये हैं और ऐसी व्यवस्थाएं की है जिससे उन जातियों के बालक-बालिकाओं तथा नव युवकों को हर स्तर पर शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ हो सकें। इस सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त इन लोगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबन्ध है। उद्देश्य यह है कि विभिन्न पेशों का प्रशिक्षण प्राप्त करके इन जातियों के नव युवक धनोपार्जन में समर्थ हों। उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर ले जाने में इस योजना से सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में इन जातियों की शिक्षा के लिये किये गये प्रयत्न केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं है। स्वैच्छिक संस्थाओं ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी से पहले गांधी जी की प्रेरणा से वे इस कार्य में जुटी थी और आज भी वे इस दिशा में कार्यरत हैं।

प्रस्तुत 'लघु पुस्तिका' में अनुसूचित/अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश में किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इससे वर्तमान स्थिति को समझने में सहायता मिलेगी।

1.1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जातियों के लिये संवैधानिक प्रावधान—

जब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने सदियों से चली आ रही वर्ण-व्यवस्था में सबसे निकृष्ट समझी जाने वाली जाति अर्थात शूद्रों के विषय में भी विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने समाज में घृणित तथा अछूत शूद्र वर्ग की भिन्न-भिन्न जातियों के उत्थान के लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये जिससे उनको किसी प्रकार से हीन न समझा जावे तथा समाज के अन्य वर्गों के समान ही उनको भी समझा जावे।

सर्वप्रथम तो संविधान के प्राक्कथन में ही सभी देशवासियों को सब प्रकार से समान समझने के संदर्भ में सभी नागरिकों को न्याय, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक किसी प्रकार का क्यों न हो समान रूप से दिया जावेगा। सभी नागरिकों को विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वासों तथा पूजा की स्वतंत्रता होगी। उनको स्तर तथा अवसरों की भी समानता प्रदान की गई। इस प्रकार सभी जातियाँ चाहे वे किसी भी वर्ण के अन्तर्गत आती हो सभी प्रकार से समान होगी। उपर्युक्त विचारों की अनुच्छेद 15 के द्वारा संरक्षित किया गया।

शूद्र वर्ण के अर्न्तगत अनुसूचित जातियाँ तथा भौगोलिक तथा अन्य सामाजिक कारणों से अलग-अलग पड़ी हुई जन-जातियाँ को समाज में सवर्णों के समतुल्य करने हेतु भी अन्य विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 46 के अर्न्तगत किया गया। इस के अनुसार कहा गया कि "राज्य जनता के दुर्बलतम वर्गों विशेष कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों के लिये विशेष सावधानी से उन्नयन करेगा, तथा उनके सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।

अनुसूचित जातियों, जन जातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग के **लोग** सदियों से भारतीय मनीषियों ऋषिओं द्वारा वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत त्रस्त होने के फलस्वरूप छोटे-छोटेवर्गों में विभक्त हो गये थे तथा उनकी धार्मिक प्रवृत्ति तथा सांस्कृतिक धरोहर अलग पड़ गई थी यदि वे चाहें तो संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्न्तगत अल्पसंख्यक वर्ग बिना किसी धर्म तथा भाषा के भेद भाव के वे अपने लिये शैक्षिक संस्थान खोल तथा उनका प्रशासन कर सकेंगे।

इसी प्रकार अनुच्छेद 330 एवं 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के प्रतिनिधियों के लिये संसद में स्थान आरक्षित किये गये। इस प्रकार जन जातियाँ व अनुसूचित जातियों के सदस्य अपने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य सभी प्रकार के हितों की रक्षा कर सकेंगे।

वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सामाजिक कुरीतिओं के फलस्वरूप समाज के अन्य वर्ग इन अनुसूचित जाति के लोगों को अस्पृश्य समझते थे, उसके लिये संविधान में अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता का निवारण करके उसको दण्डनीय कानून बना दिया गया तथा उनको अन्य वर्गों व जातियों के समान समझा गया।

1.2 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियाँ—

अनुसूचित जातियाँ—उत्तर प्रदेश में 66 जातियों को अनुसूचित जाति स्वीकार किया गया है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जन संख्या 2, 34, 63339 है जो कुल आबादी का 21 प्रतिशत है। इस जाति के सदस्य पहाड़ी-मैदानों, गाँव और शहर-सभी जगह बसे हुए हैं। यह लोग अपने को भिन्न-भिन्न जातीय नामों से पुकारते हैं। इनमें से अधिकांश अस्पृश्य माने जाते हैं। निर्धनता के कारण इनका जीवन स्तर नीचा रहा है और उच्चवर्गीय लोग इनका निरन्तर शोषण करते आये हैं। भारत में स्वतंत्रता का आन्दोलन छिड़ने पर महात्मा गांधी ने इनकी दयनीय दशा पर ध्यान दिया। वे अस्पृश्यता को समाज का कोढ़ मानते थे। उनके प्रयास से इनके प्रति उच्च-वर्गीय जनों के दृष्टि-कोण में अन्तर आया है परन्तु आज भी गाँवों में इन्हें सम्मानपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त है। आये दिन समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आते हैं, जिनके द्वारा उनके प्रति किये गये अमानुषिक अत्याचारों की जानकारी मिलती है। वोट की राजनीति से इनमें अब जागृति आती जा रही है परन्तु यह जागृति उन्हें वर्ग संघर्ष के लिये प्रेरित कर रही है। वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने के लिये अंग्रेज सरकार ने अनुसूचित जातियों को पृथक् प्रतिनिधित्व देकर हिन्दू समाज से अलग करने की चेष्टा की थी। गाँधी जी के विरोध से ऐसा नहीं हो पाया था। आज भी, यदि इन जातियों को समाज में उचित सम्मान न मिला तो वर्ग संघर्ष की संभावना बढ़ेगी।

1.3 प्रमुख अनुसूचित जातियाँ—

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मान्य 66 अनुसूचित जातियाँ हैं। उनकी सूची निम्न-लिखित है—

अगरियां, बादी, बधिक, बहेलिया, बैगा, बंसबार, बजनिया, बाजगी, बसहर, बलई, बाल्मीकि, बंगाली, बनमानुष, बाँसफोट, बदवार, बगोर, बावरिया, बेलदर, बेड़िया, भाँत, भुइयार, भुइया, बोरिया, चमार (जाटव), चेरो, दबगर, धामड़, धानुक, धरकार, धोबी डोम, डोमर, दुसाद, धरमी, धसिया, ग्वाल, हबूडा, हरी, हेला, कलाबाज, कंजड़, कपारिया, करवल, खैरहा, खरोट, खरवार, खटिक, कोल, कोरवा, लालबेंगिया, मजहवी, मुसहर, नट, पंखा, परहिया, पासी, पतरी, रावत, सहमारीया, सिनौरिया, सांसिया, शिल्पकार, तुरैहा, मझवार, कोरी और गोंड ।

1.3.1 अनुसूचित जातियों की विशेषताएँ—

जातियों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. स्वतन्त्रता से पूर्व इनमें से प्रायः सभी जातियाँ अस्पृश्य समझी जाती थी। सवर्ण जन इन के साथ बराबर बैठना, इनका छुआ भोजन, पानी, लेना या इनमें विवाह करना हेय और त्याज्य मानते है।

2. इन जातियों के सदस्य गाँवों में आम समाज के साथ रहते है परन्तु प्रत्येक गाँव में उनकी बस्ती अलग होती है। शहरों में भी यही स्थिति है।

3. आर्थिक दृष्टि से यह सदा से कमजोर रहते आये हैं। उनका मुख्य पेशा मजदूरी होता है। वे भोजन-वस्त्र कठिनाई से जुटा पाते हैं। उनके आवास बहुत छोटे, मिट्टी और फूस छप्पर के बने होते हैं। अन्य भौतिक सुविधाएं इन्हें उपलब्ध नहीं होती। इन जातियों में कुछ ऐसा है जो वंश परम्परा से एक ही पेशा करती आयी है और वे मजदूरी न करके अपने पेशे से लगाव रखते हुए उसी में लगे रहते है। इनका पेशा गन्दा और घृणित होने के कारण भी अस्पृश्यता को बढावा मिला है। उदाहरण के लिए चमार जाति पशुओं की खाल निकालने तथा जूते बनाने का काम, पासी सूअर पालने का काम, डोम मरे जानवर ले जाने और उनका मल-मूत्र साफ करने का काम, धोबी वस्त्र धोने का काम, बाल्मीकि मल-मूत्र साफ करने का काम, तुरैहा विवाहों में बाजे बजाने का काम, और बहेलिया पक्षी पकड़ने का काम करते आये हैं।

4. अशिक्षा इस जाति-वर्ग में सर्वाधिक होने से इनका जीवन स्तर पशुओं के स्तर से कुछ ही ऊँचा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् अनुसूचित जातियाँ हिन्दू और सिख धर्मावलम्बी ही मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की यही मान्यता है। उसके अनुसार—''जो व्यक्ति हिन्दू और सिक्ख धर्म किसी भी धर्म को मानता है, वह उत्तर प्रदेश में 'अनुसूचित

जाति का सदस्य नहीं माना जायगा ।[1] इनमें जाग्रति हुई है परन्तु वे राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ पूरी तरह उठा नहीं पा रहे हैं ।

5. 'अनुसूचित' शब्द का प्रयोग इन जातियों के लिए एक प्रकार का ऐसा धब्बा है जो इन्हें सम्मान से वंचित करता है । 'हरिजन' शब्द भी ऐसा ही हैं । इसलिए पढ़ने-लिखने के बाद इन जातियों के सदस्य अपने नाम के साथ 'जाति' का नाम जोड़ना पसन्द नहीं करते । नगरों में वे अपनी जाति की घोषणा नहीं करते । यदि 'राज्य सरकार' से सुविधा प्राप्त करना हो तो वे जाति का उल्लेख करते हैं ।

1.4 प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ -

उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ पूरे राज्य में उस प्रकार समान रूप से गांव-गांव में नहीं बसी हुई हैं, जैसे अनुसूचित जातियाँ । यह प्रदेश के 12 जिलों में जो तराई और पर्वतीय क्षेत्र के हैं, बसी हुई है । इनकी 85 प्रतिशत जन संख्या पर्वतीय जनपदों में निवास करती है ।[2]

प्रदेश में पाँच जनजातियाँ हैं—थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी । संविधान के अन्तर्गत जून 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था । राजी बोक्सा को आदिम समूह (प्रिमिटिव ग्रुप) के अन्तर्गत भी माना गया है । सन् 1981 की जन गणना के अनुसार इन सभी जनजातियों की संख्या 2, 32, 705 है । इनमें से 1, 81, 644 पहाड़ी क्षेत्रों में और 51, 061 मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं । इन जातियों की जनसंख्या और प्रदेश में उनका वितरण निम्न प्रकार से है :—

जनजाति	**जनसंख्या**	**प्रदेश के जन पद**
भोटिया	24029	अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काशी
बोक्सा	31037	देहरादून, नैनीताल पौड़ीगढ़वाल (पहाड़ी)
	3,308	बिजनौर (मैदानी) काल सी
जौनसारी	63210	देहरादून (चकराता काल सी)
राजी	371	पिथौरागढ़ के धार चूला डीडीहाट चम्पावत, कनाली छीना विकास खण्ड

---

1. निदेशालय हरिजन एवं कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित (85-86) की पुस्तिका से ।
2. उत्तर प्रदेश के जनपदवार विकास खण्डों की सूची—प्रस्तावना, आर. चद्रा, निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग उ. प्र. लखनऊ

थारू	53406	नैनीताल के सितार गंज एवं खटीला जनपद (पहाड़ी)
	47753	लखीमपुर, खीरी, गोण्डा, बहराइच, गोरखपुर (मैदानी)

4.1.1 अनुसूचित जनजातियों का परिचय—

यद्यपि उ. प्र. में अनेक आदिवासी जातियाँ निवास करती हैं परन्तु उनमें से केवल पाँच को संविधान में अनुसूचित किया गया है तथा 1967 के बाद से उन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये जातियाँ हैं—

भोटिया
बुक्सा
जौनसारी
राजी
थारु

उ. प्र. की जनजातियाँ दो सुस्पष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अत्यधिक उच्च हिमालय पर्वत शृंखलाओं में पाई जाने वाली व्यापारी जनजाति भोटिया तथा जौनसारी व राजी जनजातियाँ गढ़वाल तथा कुमायूँ मन्डलों के अन्तर-राष्ट्रीय सीमा को छूते हुये चमौली व पिथौरागढ़ जिला एवं उत्तर काशी व देरादून के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बुक्सा तथा थारु आदिवासी उ. प्र. के तराई भामर क्षेत्र में पाई जाती हैं जो हिमालय की तराई में नैनीताल जिले से प्रारम्भ होकर गोरखपुर जनपद तक फैला हुआ है। थारु जाति नैनीताल, खीरी, बहराइच गौंडा व गोरखपुर जनपदों में पाई जाती है तथा बुक्सा जनजाति बिजनौर जनपद में मिलती है। संख्या की दृष्टि से जौनसारी उ. प्र. की सबसे बड़ी जनजाति है। थारु, भोटिया, बुक्सा तथा राजी की जनसंख्या कम है। देहरादून तथा नैनीताल जनपदों में प्रान्त की अधिकांश जनजातियाँ रहती हैं।

1. **भोटिया**—यह जनजाति प्रान्त के उत्तराखण्ड के उत्तरी भाग में पाई जाती है जहाँ भारत वर्ष दक्षिणी तिब्बत से मिलता है। प्रान्त के उत्तर तथा उ. पूर्व में स्थित अलमोड़ा, चमोली, पिथरौगढ़ व उत्तर, काशी जनपदों में भोटिया बहुतायत से निवास करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र उबड़-खावड़ पर्वतीय व ठण्डा है, इसकी भूमि पत्थरीली व आने जाने के कम साधन है। इन कारणों से भोटिया लोगों के सांस्कृतिक व भाषाई विशिष्टताएं उत्पन्न हो गई हैं। यह एक घूमन्तू जाति है जो कि मौसम के अनुसार अपना निवास परिवर्तित करती है। शीत ऋतु में अपने पशुओं व परिवार सहित ये लोग ऊँची चोटियों से निम्न पर्वतीय स्थलों के आ जाते हैं तथा कुछ समय के लिए

जब बर्फ पिघलती है व शीत कम होने पर अपने मूल स्थान को चले जाते हैं। भोटिया शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा नाटे होते हैं। इनकी मुखाकृति मंगोलों जैसी है गौरवर्ण तथा गहरी भूरी आँखों वाले होते हैं। इनकी अलग उपभाषा या बोली है जो कि भोट या भोटी भाषा के नाम से जानते हैं। यह भाषा तिब्बती व चीन भाषा परिवार से सम्बन्धित है। इनके परिवार पितृ सत्ता वाले परन्तु स्त्री के प्रभाव से युक्त होते हैं। इस जाति में रंग भंग नाम एक परम्परागत संस्था है जिसमें युवक व युवतियाँ एक दूसरे से मिलते तथा परिचित होते हैं। पूर्व वैवाहिक सम्बन्ध भी देखे गये हैं तथा रंग भंग के माध्यम से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं परन्तु अब धीरे धीरे यह संस्था समाप्त हो रही है। आर्थिक दृष्टि से कृषि तथा व्यापार पर निर्भर है परन्तु चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण के बाद भोटिओं का व्यापार प्रायः समाप्त हो गया तथा तब से ये आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। भोटिया क्षेत्र की जलवायु व भूमि कृषि के लिए अनुकूल नहीं है इसलिए वर्तमान में भोटियो को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. **जौनसारी**—उ. प्र. के उत्तर पश्चिमी किनारे व कोने पर स्थित जनपद देहरादून जौनसारी जनजाति का निवास स्थल है। देहरादून जनपद के मैदानी क्षेत्र जिसे दून घाटी कहते है ये जौनसारी नहीं प्राप्य है। तहसील चकराता वाले इस जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में कालसी व चकराता विकास खण्डों में विश्वविख्यात आदिवासी क्षेत्र में जौनसार-बावरा स्थित है। यह क्षेत्र 2000 फीट से 7000 फीट की ऊँचाई वाली पर्वत निरन्तर शृंखलाओं में सकरे दर्रो से युक्त क्षेत्र में जहाँ मौसम कुछ ठण्डा रहता हो जौनसारी आदिवासी पाये जाते हैं। 1981 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या 76005 है जो कि सम्पूर्ण जनपद की संख्या का 10% मात्र है।

जौनसारी जाति कई आदिवासी जातिओं का एक समूह है जैसे खस (राजपूत व ब्राह्मण), कामगर जातियाँ जैसे लुहार, सुनार, बाड़ी, ओड़ तथा बाजगी आदि, और निम्नतम समझे जाने वाली अस्पृश्य जातियाँ जैसी भंगी, डोम, कोली, कोई व कोल्टा। खस सामान्यतः लम्बे, सुन्दर, गौरवर्ण, लम्बे चेहरे व सिर वाले होते हैं। इनके नेत्र सुन्दर व नीली छटा वाले, बाल घुघंराले व शरीर के समस्त अंग सन्तुलित अनुपात वाले होते है। स्त्रियाँ लम्बी छरहरी व आकर्षक होती हैं। प्रजाति दृष्टि से ये इण्डो-आर्यन समूह से सम्बन्धित है। इनकी भाषा व बोली गढ़वाली हिन्दी भिन्न है। इनके सामाजिक संगठन में तीन स्तर है। ब्राह्मण व राजपूत आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से से समतुल्य है वे क्षेत्र के जमींदार व प्रभावी लोग होते है। कोल्टा सबसे निम्न स्तर की जाति मानी गई है। यह भूमिहीन मजदूर व निर्धन लोग होते हैं जो पीढ़ीदर पीढ़ी खस परिवारों के साथ दास के रूप में बँधे हुए हैं। अस्पृश्यता ने इनकी स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। कोल्टा स्त्री स्वर्ण आभूषण धारण नहीं कर सकती। निर्धनता के कारण ये खस परिवारों के कर्ज में डूबे है।

जौनसारी विवाह कई भाईयों के साथ एक स्त्री एक प्रकार की सम्पदा होती है। यद्यपि विवाह संस्कार सबसे बड़े भाई के साथ होता है परन्तु अन्य भी तत्काल उसके पति बन कर विवाह को बहुपति विवाह का रूप देते हैं और सभी भाईयों का श्रम, उत्पादकता व यौन सम्मिलित हो जाता है। कहीं कहीं जब भाईयों की आयु में अत्यधिक अन्तर होने पर 2 पत्निओं का भी प्रावधान किया जा सकता है। स्त्रिओं को विवाह रोकने का भी अधिकार है, परन्तु इस स्थित में नये पति को पुराने पतिओं को कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। इस पारिवारिक व्यवस्था में कोई भाई पत्नी, भूमि, भवन, पशुधन आदि पर अपना एक छत्र अधिकार नही रख सकता है।

यह एक खेतहर जाति है। जौनसारी मदिरा व माँस के बहुत शौकीन होते है।

3. **थारू**—उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों के नेपाल को स्पर्श करते हुए, उत्तरी भागों मे थारू आदिवासी रहते है। इनकी सर्वाधिक संख्या नैनीताल जनपद की खटीमा तहसील के ग्रामीण व वन क्षेत्रों में स्थित है। प्रजाति दृष्टि से ये मिश्रित व्यक्ति हैं। इनकी आँखे तिरछी व कटी हुई, रंग हल्का भूरा, चहेरे व शरीर पर सीधे परन्तु बहुत कम बाल, पतली (तीखी) नाक नक्श, इन्हें नेपाली व्यक्तिओं जैसा बना देती है। इनकी स्त्रियों की शारीरिक संरचना (गठन) श्रेष्टतर होती है। यह मंगोली प्रकार से लगाते हैं परन्तु इन में अन्य लक्षण भी पर्याप्त मात्रा में आ गये हैं। उ. प्र. में थारु जाति की 37 उपजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें नैनीताल खीरी जनपदों के राना थारु अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इन के परिवार असाधारण रूप से बड़े व संयुक्त प्रकृति के होते है जिनमें 5-7 पीढ़ियों तक बँटवारा नहीं होता। थारु जाति में स्त्रियाँ अधिक प्रभावी होती है। बाजार का कार्य स्त्रियाँ ही करती हैं वे धूमपान व मदिरा पान भी करती हैं। मछली पकड़ना भी थारु स्त्रियों का ही कार्य है, जबकि शिकार व जाल ले जाना पुरुषों का कार्य है। इनमें बाल विवाह सामान्य है। स्त्री प्रधान होने के कारण इनमें तलाक सरल है और कन्या का जन्म प्रसन्नता का विषय है तथा बालिकाओं के लालन-पालन में बालकों की तरह ही ध्यान रखा जाता है। अन्य जनजातिओं की अपेक्षा आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि एक वे अच्छे कृषक व दूसरे वे संयुक्त परिवारों में रहते हैं। थारु मांस मछली व मदिरा को भोजन में महत्वपूर्ण स्थान देते है। तराई क्षेत्र में आवागमन की सुविधा होने तथा आजादी के शरणार्थिओं को बसाने से थारुओं की समस्याएं बढ़ गई है। उनकी अधिकांश भूमि हड़प ली गई है।

4. **राजी**—राजी पिथौरागढ़ जनपद की डीडीहाट कनाली छिना, धार चूला तहसीलों में पाई जाने वाली उ. प्र. की सबसे छोटी अनुसूचित जनजाति है। यह एकान्तर वनों में रहने वाली जाति है जिन्हें किरातों का वंशज कहा जाता है। ये नेपाल में भी पाये जाते हैं। ये गैर आदिवासी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। कुछ समय पूर्व तक ये लोगों को देखकर के छिप जाते थे

इसलिए इन्हें भारत के सर्वाधिक शर्मीले लोगों के रूप में जाना जाता है, ये अत्यधिक घूमने वाले होते हैं। ये एक जंगल से दूसरे में जाते ही रहते हैं। इसलिए इनका अब तक कोई नियत निवास स्थान नहीं है। ये अल्प मात्र में कृषि व मजदूरी भी करते हैं, परन्तु अधिकतर वन उपज से जीविका चलाते हैं। मछली व जंगली पशुओं का शिकार भी करते हैं। ये अपने परिवार में तीन पीढ़ीओं तक विवाह नहीं करते हैं तथा इन में कहीं बहुपति प्रथा भी पाई जाती हे विधवा विवाह तथा तलाक की प्रथा भी नही है। हिन्दू देवताओं जैसे महादेव, गौरी व गंगा की ये पूजा करते हैं। पशु ही इनकी पूंजी हे इसके अतिरिक्त इनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती। परिवार में स्त्री व पुरुष का स्तर समान हे। इनका जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता में व्यतीत हो रहा है। शिक्षा से ये पूरी तरह दूर हैं। इन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता है व निर्धनता ही सबसे बड़ी समस्या है।

5. **बोक्सा** --थारु की भाँति बोक्सा भी मंगोली प्रजाति से सम्बन्धित होते हैं इसलिए कुछ मानव वैज्ञानिक इन्हें थारु से सम्बन्धित मानते हैं। थारु की भाँति ये स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ये उ. प्र. के तराई जनपद बिजनौर में पाये जाते हैं। इनके समाज में वर्ग भेद नहीं है परन्तु इनका नियन्त्रण एक इनकी पंचायत संस्था करती है। थारुओं की भाँति ये भी संयुक्त परिवारों में रहते हैं परन्तु इनकी स्त्रियों थारु स्त्रियों की भाँति परिवार पर प्रभुत्व नहीं रखती हे। ये अत्यन्त परिश्रमी होते हैं तथा अपने घर को सुन्दर ढंग से सजा करके रखती हैं। ये 16 वर्ष की आयु के बाद ही प्राय: विवाह करते हैं। ये भी शिव तथा दुर्गा जैसे हिन्दू देवी देवताओं की पूजा करते हैं परन्तु इनके अन्य अपने देवी देवता भी हैं। ये माँस के शौकीन होते हैं परन्तु मदिरा का सेवन प्राय: नहीं करते हैं। थारु आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए हैं। यद्यपि ये कृषक हैं परन्तु इनके पास भूमि बहुत कम तथा जोत बहुत छोटी होती है। निर्धनता के कारण ये कर्ज में डूबे हुए हैं। इनके क्षेत्र में यातायात की सुविधा बढ़ने से बाहरी लोगों के आ जाने की इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि धीरे धीरे इनकी भूमि इनके हाथ से निकलती जा रही है।

अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं :—

1. भोटिया जौनसारी और थारू जातियाँ अपनी अलग पहचान रखती हैं। भोटिया यायावर, पशुपालक और कुछ अंशों तक खेतिहर हैं। पहले यह तिब्बत से व्यापार करते थे परन्तु चीन का आधिपत्य वहाँ हो जाने पर उनका यह काम बन्द हो गया। जौनसारी जाति की प्रमुख सामाजिक विशेषता है बहुपति विवाह। इनकी आजीविका का साधन कृषि है। इनका समाज तीन स्तरों में बंटा है--खस वर्ग इनका उच्च स्तरीय समाज है जो हिन्दू ब्राह्मण और राजपूतों के समकक्ष है और 'कोल्टा' निम्न स्तर है। थारू जाति कृषि-कार्य पर निर्भर है।

2. यह जनजातियां राष्ट्र की प्रमुख धारा से अलग रहती आयी हैं। अशिक्षा, गरीबी, भौगोलिक दशा जिसमें वे रहते हैं, भाषा की कठिनाई और शासन की उपेक्षा के कारण इनका जन-जीवन भारत के राष्ट्रीय जीवन के विशाल समुद्र में अलग-अलग द्वीपों के रूप में स्थित हैं। सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलनों का इन पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. इनकी भाषाएँ, बोली के रूप में है और उनमें लिखित साहित्य नहीं है। इनकी शिक्षा के मार्ग में भाषा का समुन्नत न होना एक बाधक तत्व रहा है।

4. यह जातियां 'रूढ़ि' और 'परम्परा' की शिकार हैं। इसलिए वैज्ञानिक चिन्तन का इनमें अभाव है। वे परिवर्तन का विरोध करती हैं और अपने प्राचीन व्यक्तित्व को खोना नहीं चाहती। शिक्षा की सुविधाएँ भी यह लोग नहीं उठाना चाहते क्योंकि शिक्षित नव युवक अपनी संस्कृति से कट कर अपनी पहचान खो देते हैं। पुरानी पीढ़ी, इसलिए शिक्षा का विरोध करती है।

5. जन-जातियों में बाल-विवाह की प्रधानता है और स्त्रियों का प्रभुत्व अधिक है। थारु जाति की यह प्रमुख विशेषता है।

अध्याय २

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

2.0 प्रस्तावना :--

हमारे देश में अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा कि अनुसूचित जातियां वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज के अन्य वर्गों से पृथक रहीं जबकि अनुसूचित जनजातियाँ भौगोलिक दृष्टि से समाज की दृष्टि में ओझल रहीं। अत: देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार का ध्यान इनकी शिक्षा व्यवस्था पर गया। इन दोनों जातियों के लिये समाज के अन्य वर्गों की तरह ही उनको अधिकार व समानता प्रदान कर अस्पृश्यता का निवारण सभी विद्यालयों व संस्थाओं में उनके लिये उनकी जन-संख्या की दृष्टि से उसी अनुपात स्थान आरक्षित किये गये। उनको इसके साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। अनुसूचित जातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में उ. प्र. में शैक्षिक संस्थान में उनके आरक्षण का प्रतिशत 18 रखा गया है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पर उनका आरक्षण का प्रतिशत 2 है। इसके साथ-साथ इनके लिये अन्य व्यवस्था भी की गई। इस सब पर ऐतिहासिक दृष्टि से देखना आवश्यक है।

2.1 अनुसूचित जातियों में साक्षरता :-

अस्पृश्यता होने के कारण अनुसूचित जातियों को अन्य वर्गों से भिन्न समझा जाता रहा, इससे ये भी जनजातियों की तरह कुछ पृथक होंगे। स्वतन्त्रता के बाद अस्पृश्यता के विषय में कानून बन जाने से इनकी दशा में काफी परिवर्तन परिलक्षित हुआ तथा ये लोग समाज के अन्य वर्गों के साथ ही रहते थे तो इनको सामान्य सुलभ शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अत: इनकी साक्षरता जनजाति आदिवासी लोगों की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक रही। अनुसूचित जातियों की साक्षरता में अन्य लोगों की साक्षरता का अन्तर बहुत नहीं है फिर भी इनकी साक्षरता कम है तथा उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत सामान्य से कम है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्रों की वह संख्या जो 1 से 5 कक्षा तक विद्यालयों में जाती है तथा पढ़ती है निम्न तालिका में दी गई है :--

अध्ययनरत छात्रों की दर (कक्षा 1 से 5 तक)

क्र. सं.	समय	सभी समुदाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	1968-72	33.5	27.8	20.3
2.	1969-73	35.0	28.8	21.3
3.	1970-74	36.0	30.3	22.9
4.	1971-75	36.8	31.4	22.3
5.	1972-76	37.2	32.2	21.9
6.	1973-77	36.9	33.5	20.5
7.	1974-78	38.6	35.6	23.3

अध्ययनरत छात्रों की दर (कक्षा 1 से 5 तक) की तालिका देखने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों की साक्षरता व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने की दर सामान्य से तो कम है, परन्तु अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तुलना में काफी अधिक है। यदि समय के अन्तराल को लिया जाये तो भी यह स्पष्ट परिलिखित होता है कि स्कूल जाने तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या में सतत वृद्धि हो रही है।

अनुसूचित जाति के छात्रों व अन्य लोगों की साक्षरता तथा समग्र देश के छात्रों व अन्य लोगों की साक्षरता में पर्याप्त अन्तर न होने से उनकी साक्षरता के विषय में अधिक कहना उचित न होगा।

2.2 अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता—

उत्तर प्रदेश के विशेषकर पर्वतीय तथा तराई के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति एक लम्बे काल से वहां निवास कर रही हैं परन्तु दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता पूर्व उनकी शिक्षा के लिये पर्याप्त रूप से व्यवस्था नहीं की गई तथा थोड़ी बहुत जो भी शिक्षा का प्रसार व प्रचार हुआ उसमें सरकार का सहयोग कम था और मिशनरियों का सहयोग ही अधिक था। मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार हेतु समाज के इस अछूत वर्ग की तरफ ध्यान दिया तथा कहीं-कहीं पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान न देने के मुख्य कारणों में से इनका भौगोलिक दृष्टि से प्रान्त के अन्य भागों से पृथक होना है तथा जनजातियों में से कुछ जनजातियां घूमन्तू थीं। जो कि

एक स्थान से दूसरे स्थान तक वर्ष पर्यन्त घूमती रहती हैं तथा एक स्थान पर स्थाई रूप से निवास नहीं करती है। कुछ जनजातियों यथा राजी इस प्रकार की थी कि वे एक स्थान पर जंगलों में तो निवास करती हैं परन्तु वे इतने अधिक संकोची तथा शर्मीले है तथा किसी भी बाहरी व्यक्ति के सामने आने में इनको पर्याप्त रूप से कठिनाई होती है। इन भौगोलिक व सांस्कृतिक कारणों के अतिरिक्त इनकी संख्या तथा विरलता से निवास आदि अन्य ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नही दिया जा सका।

स्वतन्त्रता के बाद केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने इनसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्थान पर तो ध्यान दिया ही इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिये तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिये इन की शिक्षा पर विशेष बल दिया। देश के स्वतन्त्र होने के समय इन जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अत्यधिक न्यून था। 1961 में जाकर के इनकी साक्षरता 8.54 प्रतिशत हो पाई जो उस वर्ष में सामान्य सभी व्यक्तियों की साक्षरता 24.00 प्रतिशत की तुलना में लगभग तीन गुनी कम थी। इनमें साक्षरता के प्रतिशत को निम्न प्रकार दर्शाया गया है।

जनजातियों में तुलनात्मक साक्षरता तालिका 1.1

क्र. सं.	वर्ष	जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत	समग्र देश में साक्षरता का प्रतिशत
1.	1961	8.54	24.00
2.	1971	11.30	29.45
3.	1981	16.35	36.23

सन् 1971 में जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत 11.30 था तथा समग्र देश में साक्षरता का प्रतिशत 29.45 था। इनके मध्य अन्तर सन् 1961 के अन्तर से कम था। इसी प्रकार सन् 1981 में जनजातियों की शिक्षा का प्रतिशत 16.35 था तथा इसी वर्ष में समग्र देश में साक्षरता का प्रतिशत 36.23 था। इन दोनों के अनुपात का अन्तर सन् 1961 के अन्तर से पर्याप्त रूप से कम था। जनजातियों में साक्षरता का विकास होने का मुख्य कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था की तरफ केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा ध्यान देना था। इन्हीं वर्षों के मध्य इनको शिक्षा की सुविधा का बढ़ाना, उनके लिये विद्यालयों विशेष कर के आश्रम विद्यालयों की स्थापना आदि करना था। अभी भी इन की शिक्षा में वृद्धि करने के विशेष प्रयास जारी हैं।

जनजाति साक्षरता में परिवर्तन तालिका सं. 1.2

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शा. रा.	जन जाति साक्षरता दर 1981	1971	साक्षरता में % वृद्धि
0.	भारत वर्ष	16.35	11.30	5.05
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.82	5.34	2.48
2.	आसाम	N. A.	26.03	—
3.	बिहार	16.99	11.64	5.35
4.	गुजरात	21.14	14.12	7.02
5.	हरियाणा	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	25.93	15.87	10.04
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	20.14	41.85	5.29
9.	केरल	31.79	25.72	6.07
10.	मध्य प्रदेश	10.68	7.62	3.06
11.	महाराष्ट्र	22.29	11.74	10.55
12.	मनीपुर	39.74	28.71	11.03
13.	मेघालय	31.55	26.45	5.10
14.	नागालैण्ड	40.32	24.01	16.31
15.	उड़ीसा	13.96	9.46	4.50
16.	पंजाब	—	—	—
17.	राजस्थान	10.27	6.47	3.80
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	20.46	9.02	11.44
20.	त्रिपुरा	23.07	15.03	8.04
21.	उत्तर प्रदेश	20.45	14.59	5.86
22.	पश्चिमी बंगाल	13.21	8.59	4.29
23.	अण्डमान व निकोबार	31.11	17.85	13.26
24.	अरूणाचल प्रदेश	14.04	5.20	8.84
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दादरा व नगर हवेली	16.86	8.90	7.76

27.	दिल्ली	—	—	—
28.	गोवा, द्वीप व दमन	26.40	12.73	13.75
29.	लक्षद्वीप	53.13	41.37	11.76
30.	मिजोरम	59.63	53.49	6.14
31.	पान्डीचेरी	—	—	—

स्वतन्त्रता के पश्चात् इन जनजातियों की शिक्षा के विषय में विशेष ध्यान देने के फलस्वरूप इनकी साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसे तालिका 1.2 में प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका में सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों की साक्षरता का प्रतिशत सन् 1971 में तथा सन् 1981 में क्या था, को प्रदर्शित किया है साथ ही उस में इस 10 वर्ष के अन्तरगत में क्या वृद्धि हुई इसे भी दिखाया गया है।

सन् 1981 में 22 राज्य तथा 9 केन्द्र शासित राज्य थे। इन सबकी औसत जनजाति साक्षरता का प्रतिशत सन् 1971 में 11.30% था जबकि सन् 1981 में 16.35% था तथा इस में 5.05% की वृद्धि हुई थी। सन् 1971 से सन् 1981 के 10 वर्षों के मध्य राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि वाला प्रदेश नागालैण्ड था। नागालैण्ड में नागाओं व अन्य जनजातियों की साक्षरता का प्रतिशत सन् 1971 में 24.01% व सन् 1981 में 40.32% था तथा इस में सर्वाधिक वृद्धि 16.31% थी। द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु राज्य था, इस की जनजातियों की साक्षरता में वृद्धि 11.44% थी। साक्षरता में निम्नतम परिवर्तन राज्यों में आन्ध्र प्रदेश में हुआ। आन्ध्र प्रदेश में जनजातियों की साक्षरता सन् 1971 व 1981 में क्रमशः 5.34% तथा 7.82% थी तथा इस में मात्र 2.48% की वृद्धि ही हो पाई। इसके ऊपर अर्थात् निम्नतम से एक श्रेणी ऊपर मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश जहाँ पर बहुतायत में जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहाँ सन् 1971 व 1981 में साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 7.62% व 10.68% था तथा इसमें वृद्धि काफी कम 3.06% थी।

केन्द्र शासित 9 राज्यों में से सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला क्षेत्र गोवा, द्वीव व दमन था। गोवा, द्वीप व दमन में जनजाति साक्षरता सन् 1971 व 1981 में क्रमशः 12.73% व 26.48% थी तथा इस सर्वाधिक वृद्धि 13.75% थी। द्वितीय स्थान पर अण्डमान व निकोबार था। यहाँ पर सन् 1971 में 17.85% और सन् 1981 में 31.11% साक्षरता थी तथा इस में वृद्धि 13.26 प्रतिशत थी। साक्षरता में वृद्धि के अतिरिक्त यदि सन् 1981 में सभी राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत देखें तो उसमें प्रथम मिजोरम था जहाँ 59.63% द्वितीय लक्षद्वीप 53.13% तथा तृतीय नागालैण्ड 40.32% साक्षरता इन जाति के लोगों मे पाई गई।

उत्तर प्रदेश में जनजातियों की साक्षरता सन् 1971 में 14.59% तथा सन् 1981 में 20.45% थी। इन दस वर्षों साक्षरता में वृद्धि 5.86% थी। सन् 1971 में साक्षरता 14.59 थी। जो कि समग्र देश की उस सन् की साक्षरता 11.30% से अधिक थी। इसी प्रकार सन् 1981 में उत्तर प्रदेश मे साक्षरता 20.45% थी यह भी समग्र जनजाति साक्षरता 16.35% से पर्याप्त रूप से अधिक थी। साक्षरता वृद्धि भी उत्तर प्रदेश में 5.86% थी जो कि समग्र देश की साक्षरता 5.05% से अधिक थी। इसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के जनजातियों की शिक्षा के विषय में दिये सुझाव का पालन करना तथा अपने प्रदेश ने उनके लिये शिक्षा के लिये विशेष प्रयास जैसे आश्रम प्रकार के विद्यालय आदि खोलना था।

2.3.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

स्वतन्त्रतापूर्व---प्राचीनकाल में वर्णव्यवस्था के रूढ़ हो जाने पर जाति प्रथा प्रबल हो गयी। ब्राह्मण वर्ग ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत मानकर कर, इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वन्चित कर दिया। इन जातियों के लिए शासकों तथा समाज सेवी संस्थाओं की ओर से शिक्षा की कोई भी व्यवस्था 19 वीं शताब्दी तक नहीं हुई।

अंग्रेजों का शासन स्थापित होने पर इनकी शिक्षा के प्रति विदेशी शासकों का ध्यान अवश्य गया। भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी अंचलों मे स्थित वर्तमान राज्यों में 19 वी शती में शिक्षा का प्रचार-प्रसार ईसाई मिशनिरियों ने किया क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इधर उत्तर प्रदेश में वे लोग ऐसा नहीं कर पाये। शासन की ओर से भी कोई प्रयास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस प्रदेश से ही प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन (1857) का प्रारम्भ हुआ था। अंग्रेजों ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जनजातियों के बालकों के प्रवेश की खुली छूट दी थी परन्तु वे सामान्य वर्ग के बालकों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का साहस न कर सकते थे। परिणाम यह हुआ कि इन जातियों में साक्षरता का प्रवेश न हुआ।

स्वतन्त्रता-संग्राम का नेतृत्व जब गांधी जी के हाथों में आया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसमें बड़े उत्साह से भाग लिया और गांधी जी के समाज-सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन उद्धार के कार्य में पूरी रूचि ली। गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कोढ़-रोग घोषित कर अनुसूचित जातियों और जन जातियों के प्रति सहानुभूति रखने पर बल दिया। अत: सुधारवादी उच्च वर्ग के लोगों ने इन जातियों के बीच जाकर साक्षरता का प्रचार करना स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के गांवों मे रात्रि के समय अनेक स्वयंसेवक जा-जाकर इस वर्ग के लोगों को अक्षर ज्ञान कराने लगे। यहीं इनकी शिक्षा का शुभारम्भ था।[1]

---

1 प्रकाश चन्द्र दीक्षित : भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं, रतन प्रकाशन, पृष्ठ 198-204

उत्तर प्रदेश में स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज के आन्दोलन का प्रभाव भी इन जातियों की शिक्षा को अग्रसर करने में सहायक हुआ। स्वामी जी ने पुरानी मान्यताओं का खंडन करते हुए कहा था कि विद्या प्राप्त करने का अधिकार शूद्रों और स्त्रिओं को भी है। इस विचार के अनुसार ये जातियां शिक्षा पाने की अधिकारी बनीं। फिर भी सामान्य रूप से सवर्ण हिन्दू जातियों और इस्लामी समाज दोनों के विचारों में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बालकों का प्रवेश तो हो जाता था पर सामान्य विद्यार्थी समाज उनके प्रति उपेक्षा और कहीं-कहीं घृणा का भाव रखता था। इस वर्ग के लोग अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने से हिचकते और डरते रहे। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में इनकी स्थिति दयनीय बनी रही। इस प्रदेश में जमींदारी प्रथा परोक्ष रूप से इन जातियों की निरक्षरता का कारण थी क्योंकि इस वर्ग के लोग इन जातियों को क्रीतदास ही मानते थे और इनसे बेगार लेते थे। शिक्षा प्राप्त कर लेने पर यह लोग स्वतन्त्र विचारों के हो जाते और जमींदारों का स्वार्थ सिद्ध न होता। इस वर्ग की अनेकानेक कठिनाइयों का चित्रण उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में किया। वे उत्तर प्रदेश के दलित समाज के कुशल चितेरे हैं। एक यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी की स्वतन्त्रता के पूर्व के 20-25 वर्षों में इस वर्ग की शिक्षा में गति आने लगी थी।

2.3.2 स्वतन्त्रता के पश्चात्

सारे भारत और उसके साथ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय आया जब देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की और प्रजातन्त्र की यहां स्थापना हुई। स्वतन्त्र भारत का संविधान 1956 में बनने पर ऐसी व्यवस्थाएं उसमें रखी गयी कि इन जातियों को समान राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हो सकें क्योंकि उनके अभाव में शिक्षा का कार्य हो नहीं सकता था। अतः अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता का अन्त करके इन जातियों को समान दर्जा दिया गया।

अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत कहा गया--राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से उन्नत करेगा........ .. ....।

अनुच्छेद 164 के अनुसार कुछ राज्यों में इन जातियों के कल्याणार्थ एक मन्त्री अलग होगा।

अनुच्छेद 330 एवं 332 के अनुसार लोक सभा में इन जातियों के प्रतिधिनित्व के लिए स्थान सुरक्षित किये गये।

अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को इन जातियों के उत्थान के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । यह विशेष अधिकारी इन जातियों के संदर्भ में किये गये अनुसंधानों का प्रतिवेदन लोकसभा में रखेगा ।

संविधान में यह भी निर्देशित है कि राज्यों में इन जातियों के सम्बन्ध में राज्यपाल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को बराबर प्रस्तुत करें । उधर केन्द्र सरकार को भी राज्यों को इस सम्बन्ध मे निर्देशित करने का अधिकार है ।[1]

उपर लिखित संवैधानिक व्यवस्थाओं के दूरगामी परिणाम होंगे । इन वर्गो और जातियों की शिक्षा में इनके द्वारा तीव्रगति आयी । उत्तर प्रदेश में इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इन जातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से अनेक प्रयास आरम्भ किये गये । यहां हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी । इसका पृथक निदेशालय है जो अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के कल्याण की अनेक योजनाएँ बनाता और चलाता है । इसका कार्यक्षेत्र केवल इन्हीं जातियों तक सीमित नहीं है । इनके लिए वह शिक्षा की योजनाएँ चलाने के साथ-साथ पिछड़े वर्गो, महिलाओं, विकलागों तथा निराश्रित जनों की सेवा भी करता है । इस निदेशालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालय खोले गये हैं और स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है । इस विभाग ने इन जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना, की जहां छात्रों को शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास एवं पुस्तक आदि की सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती है । अब तक स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालयों की संख्या 37 तक पहुँच चुकी है । इस विभाग की ओर से इन जातियों के ज्ञान वर्धन के लिए खुले पुस्तकालयों को भी अनुदान दिया जाता है । इन जातियों के नव युवकों के लिए इस विभाग की ओर से व्यावसायिक प्रशिक्षण की संस्थाएं खोली जा चुकी है । उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयी जिससे इन जातियों का उत्थान हो सके ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय की उपलब्धियों के सम्बन्ध में उस निदेशालय की पुस्तिका में दी गयी टिप्पणी निम्नलिखित है जो उसके ऐतिहासिक कार्य का प्रमाण है—

"शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तंगत प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों को जिनके अभिभावक की मासिक आय निर्धारित सीमा के अन्तंगत है नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है । साथ ही छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा का भी प्रावधान है । प्राइमरी स्तर पर प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के समस्त स्कूलों में कक्षा 3 व 4 के अनुसूचित जाति के जो बालक और बालिकाएं

---

1 मिश्र एवं तिवारी :-भारतीय आदिवासी, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1975 अध्याय 9

श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें कक्षा 4 व 5 में छात्र वृत्ति दी जाती है। इसके साथ ही छात्राओं को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु उनके अभिभावकों को "अपारच्यूनिटी कॉस्ट" की योजना के अन्तर्गत 15 रु. प्रति माह प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति तथा इन्जीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पुस्तकीय सहायता तथा बुक बैंक की योजना है।"""इसके साथ-साथ प्रत्येक जनपद में छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना तीव्र गति से चल रही है।"

उपर्युक्त अंश से यह ज्ञात होता है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग काफी कुछ काम कर चुका है। यह पहले कहा जा चुका है कि अनुसूचित जातियाँ सारे उत्तर प्रदेश की आबादी में घुली-मिली हैं और उनके उत्थान के लिये यह विभाग अधिक प्रयत्नशील रहा। जनजातियों को इन प्रयासों का अधिक लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार ने अपने शासनादेश संख्या 971/ज—263.84—8[30]/84 दिनांक 6 नवम्बर 1984 के अन्तर्गत एक पृथक् जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना की। इस निदेशालय की ओर से जो इन जातियों के उत्थान के लिए कई प्रकार के कार्य चलाता है। शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जन जातियों के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं—

1. पूर्वदशम कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थाओं को होने वाले घाटे की पूर्ति। जनजाति का बालक यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय में पढ़े तो उसका हर प्रकार का शुल्क यह निदेशालय उस विद्यालय को देता है।
2. अनुसूचित जन जाति के छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक, आय का छात्रवृत्ति, अनावर्तीय सहायता, चिकित्सा अनियन्त्रण, प्रौद्योगिक कक्षा की पुस्तकें एवं उपकरण प्रदान करना।
3. अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण और संचालन।
4. उनके लिए आश्रम पद्धति के विद्यालयों की स्थापना और संचालन।
5. स्वैच्छिक संस्थाओं को जो इन छात्रों की शिक्षा में संलग्न हैं, आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देना।

ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की शिक्षा की प्रगति को प्रमाणित करने वाले तीन प्रकार के आँकड़े हो सकते हैं—आर्थिक प्रावधान संबंधी, नामांकन संबंधी और साक्षरता संबंधी परन्तु इस प्रकार के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ) द्वारा

1986 में प्रकाशित 'उत्तरप्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी' (प्रकाशन संख्या 389) में राज्य के सामान्य वर्ग की शिक्षा की प्रगति के हर प्रकार के आँकड़े उपलब्ध हैं। उन आँकड़ों से 6 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वतंत्रता के पश्चात् से 1984 तक हर स्तर पर बालक-बालिकाओं के नामांकन, अध्यापक संख्या संस्थाओं की संख्या आदि की वृद्धि का परिचय मिलता है। यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है परन्तु इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षिक प्रगति का विवरण नाममात्र को है। सन् 1980 के पूर्व के आँकड़े इस सम्बन्ध में संस्थान को संभवतः उपलब्ध नहीं हो सके।

निदेशालय, जनजाति विकास उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित (1985-86) 'पुस्तिका' उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति 'कल्याण' में इतना मात्र उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता 1971 में 14.59 प्रतिशत की जो बढ़कर 1981 में 20.45 हो गयी। इससे प्रकट है कि इन जातियों में शिक्षा का प्रसार-प्रचार 10 वर्षों में बढ़ता गया है।

2.3.3 सन् 1980 के पश्चात व वर्तमान स्थिति —

2.3.3.1 नामांकन—अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभिभावकों में अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बड़ी उदासीनता पायी जाती है। कुछ उच्चवर्गीय लोगों की घृणा और उपेक्षा से भयभीत यह लोग बच्चों को सामान्य स्कूलों में नहीं भेजते। दूसरा बड़ा कारण आर्थिक है। गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को होश संभालते ही धनोपार्जन में लगा देते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारण भी है। फिर भी उत्तर प्रदेश में नामांकन की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विद्यालयों में इन जातियों के बालक-बालिकाएँ प्राथमिक एवं जुनियर हाईस्कूल स्तरों पर प्रवेश करने लगे हैं। इसका दिग्दर्शन निम्न तालिका से कराया गया है।

सारणी

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजातियों की शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियाँ (नामांकन)

क्र. सं.	मद अनुसूचित जातियों का नामांकन	छठी पंच वर्षीय योजना 80-85 लक्ष्य	80-83 उपलब्धियाँ	83-84 उपलब्धियाँ	84-85 लक्ष्य	84-85 पूर्वानुमानित उपलब्धियाँ	सातवीं पंचवर्षीय योजना 85-90 लक्ष्य प्रस्तावित	85-86 लक्ष्य प्रस्तावित
1.	**प्राथमिक स्तर**							
	(1) कक्षा 1-5 वयवर्ग 6-11 संख्या हजार में							
	(क) लड़के	1485	1423	1496	1609	1609	1737	1634
	(ख) लड़कियाँ	550	526	554	640	640	1024	710
	योग	2035	1949	2050	2249	2249	2761	2344
	(2) प्रतिशत इसी वय वर्ग में							
	(क) लड़के	84	85	89	94	94	95	94
	(ख) लड़कियाँ	34	34	36	40	40	61	44
	योग	60	60	63	68	68	78	70
2.	**अनुसूचित जन जातियों का नामांकन**							
	(1) (कक्षा 1-5) वय वर्ग 6-01 (हजार में)							
	(क) लड़के	18	18	18	18	18	19	18
	लड़कियाँ	12	11	10	11	11	13	32
	योग	30	29	28	29	29	32	30
	(2) **नामांकन प्रतिशत**							
	(क) लड़के	111	114	112	111	111	109	109

(ख)	लड़कियाँ	83	76	68	73	73	81	79
	योग	96	96	91	93	93	96	85
जूनियर हाई स्कूल स्तरीय शिक्षा								
कक्षा 6-8 वय वर्ग 11-14								
अनुसूचित जातियों का नामांकन								
(1)	(हजारों में)							
(क)	लड़के	430	398	416	451	451	515	463
(ख)	लड़कियाँ	110	101	101	157	157	186	162
	योग	540	499	517	608	608	701	625
(2)	नामांकन प्रतिशत							
(क)	लड़के	43	42	44	46	46	50	47
(ख)	लड़कियाँ	12	12	12	18	18	20	18
	योग	29	27	29	33	33	36	34
(2)	अनुसूचित जनजातियों का नामांकन (हजारों में)							
(क)	लड़के	6	5	6	6	6	7	6
(ख)	लड़कियाँ	2	1	2	2	2	2	2
		8	6	8	8	8	9	8
	इस वर्ग का प्रतिशत							
(क)	लड़के	55	50	55	55	55	72	64
(ख)	लड़कियाँ	22	11	22	22	22	24	24
(ग)	योग	40	32	40	40	40	49	45

इस तालिका के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्तर पर 6-11 वर्ष के बालक बालिकाओं को कक्षा 1-5 तक प्रवेश देने का लक्ष्य यह था कि 1485 हजार बालक और 550 हजार बालिकाएं जिनका प्रतिशत क्रमश: 84 और 34 हो विद्यालय में प्रवेश ले लें। तदनुसार 80-83 के बीच 1423 हजार बालक और 526 हजार बालिकाएँ, 85 और 34 के प्रतिशत में, तथा 83-84 में क्रमश: 1496 हजार (89%) 554 हजार (36%) प्राथमिक विद्यालयों में प्रविष्ठ हुए। यह अनुसूचित जातियों की शैक्षिक प्रगति का सूचक है।

इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाओं के प्रवेश के सम्बन्ध में आँकड़े दिये गये हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वानिर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इसी प्रकार लक्ष्य निश्चित किये गये हैं और आशा है कि इन जातियों के बच्चे प्राथमिक स्तर पर अधिक संख्या में प्रवेश लेंगे।

जूनियर स्तर पर, जैसा कि इस तालिका से स्पष्ट होगा, प्रवेश संख्या अर्थात् नामांकन में भारी गिरावट दृष्टि गत होती है। छठी पंचवर्षीय योजना में जहाँ अनुसूचित जातियों के, बच्चों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 65-70% जूनियर स्तर पर 33% प्रतिशत हो गया, वहीं जनजातियों का नामांकन प्रतिशत 73 से 33 रह गया। स्पष्ट है कि कक्षा 5 से आगे इन जातियों की शिक्षा में अवरोधन अत्याधिक है।

इस तालिका से कई अन्य तथ्य उजागर होते हैं—

1. सातवीं पंचवर्षीय योजना में नामांकन का निर्धारित लक्ष्यों की तुलना प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर पर करने से ज्ञात होता है, शैक्षिक आयोजन करने वाले यह अनुभव करते हैं कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों को जूनियर स्तर पर शिक्षा का नामांकन बढ़ाने में बहुत सी बाधाओं का अनुभव हुआ है।

2. लड़कियों का नामांकन भी अधिक होने की सम्भावना नही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन दोनों जातियों की लड़कियों का नामांकन-लक्ष्य भी बहुत नीचा है इस सम्बन्ध में अत्यधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जूनियर हाई स्कूल स्तर पर इनकी शिक्षा निराशा जनक ही है।

3. प्राथमिक स्तर के पश्चात् विद्यालय त्यागने की प्रवृत्ति पर अंकुश न लग पाने से, इन जातियों के नवयुवक और नवयुवतियाँ भविष्य में उच्च शिक्षा की सुविधाओं से लाभ नही उठा सकेंगे और उच्च स्तरीय पेशों में न जा सकेंगी। अत: नौकरियों में इनके आरक्षण के प्रावधान का कोई लाभ इन्हें नहीं मिल सकेगा।

2.3.3 2 शिक्षण व्यवस्था -

नामांकन की स्थिति देख कर यह अनुमान हो जाता है कि अनुसूचित जातियों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में साक्षरता अधिक है। अनुसूचित जातियाँ अपनी सन्तानों को सामान्य विद्यालयों मे भेजती है क्योंकि सन् 1955 के अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान हो गया था कि शैक्षिक संस्थाओं में जो इन जातियों के बालक-बालिकाओं के प्रवेश को रोकेगा वह दण्ड का भागी होगा। इसलिए सार्वजनिक स्वैच्छिक संस्थाओ में भी अनुसूचित जातियो की सन्तानों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी। उत्तर प्रदेश में भी केन्द्र की भाँति हर संस्था में कानूनी अधिकार मिलने से वे अधिक संख्या में प्रवेश लेने लगे है। अनेक विद्यालय ऐसे भी है जो सेवाभावी संस्थाओं ने इनकी बस्तियों में खोले गये है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस प्रकार की संस्थाएँ चल रही हैं जो प्राथमिक स्तर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित हैं। म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा शहरों में और जिला बोर्डो द्वारा गांवों में जो प्राथमिक विद्यालय चलाये जा रहे है उनमे इस जाति के बालक-बालिकाएँ अबाध रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इसलिए अनुसूचित जाति मे साक्षरता की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियाँ भी अपने आस पास के इस प्रकार के विद्यालयों मे अपनी सन्तानों को भेज सकती है। परन्तु कुछ अन्य कठिनाइयाँ है जैसे विद्यालयो की दूरी और परिवार में आर्थिक तंगी, जिनके कारण इनके बच्चे प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते। अस्तु। इनमें साक्षरता कम है।

2.3.3.3 प्राथमिक स्तर –

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व प्रमुख रूप से शहरों में म्यूनिसिपल बोर्डों और गाँवों में जिला बोर्डों पर है। ये अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा अपने विद्यालयों में देते हैं। इनमें अनुसूचित जाति तथा जनजातियो की सन्ताने शिक्षा प्राप्त करती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी स्वयं सेवी संस्थाएँ भी प्राथमिक पाठशालाएँ चला रही हैं। नगरों में इनकी संख्या अधिक है। गत 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े कस्बों में इस प्रकार की संस्थाएँ खुल गयी हैं। सन् 1982-83 के आंकड़ों के अनुसार 72.2 हजार प्राथमिक विद्यालय थे। इन सभी में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चे शिक्षा पाने के अधिकारी थे। इन सामान्य विद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। उत्तर प्रदेश में 1946-47 में इनकी संख्या 20 हजार, 50-51 में 32 हजार, 60-61 में 40 हजार, 70-71 में 62.1 हजार, 80-81 में 71 हजार और वर्ष 84-85 में 73 हजार हो गयी। स्पष्ट है कि संस्थाओं की वृद्धि से इन दोनों जातियों की सन्तानों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर अधिक समृद्ध हुई है।

स्वयंसेवी एक स्वैच्छिक संस्थाओं का एक अलग से विवरण देना आवश्यक है। यह संस्थाएँ इन्हीं जातियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इन्हें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा निदेशालय, जनजाति विकास से आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है। प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान देने के लिए हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने पूरे राज्य को कई मण्डलों में बांटा है। प्रत्येक मण्डल में कई जिले आते हैं। इन मण्डलों में बालक तथा बालिकाओं के विद्यालय हैं। इनका विवरण बालिका संख्या 2 में दिया जा रहा है। यह इस विभाग के वित्तीय वर्ष 85-86 आधार पर बना है।

तालिका संख्या 2

क्र. सं.	मण्डल	बाल पाठशाला	कन्या पाठशाला
1.	मेरठ	19	5
2.	आगरा	10	14
3.	बरेली	11	
4.	इलाहाबाद	35	12
5.	झाँसी	4	4
6.	वाराणसी	61	5
7.	गोरखपुर	50	25
8.	लखनऊ	22	2
9.	फैजाबाद	6	2
10.	गढ़वाल		2
11.	कुमायूँ	3	1
		221	72

2.3.3.4 माध्यमिक स्तर

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाएँ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके अलग से विद्यालय बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के विद्यालयों में कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जाती है। इन विद्यालयों के शुल्क के घाटे का 2/3 भाग हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग भरता है। गैर सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 7 से 10 तक शिक्षा पाने वाले इस जाति के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और विद्यालयों को इस कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

सन् 1984 मे 'जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना के बाद जन जातियो के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यालय खोलने का क्रम आरम्भ हुआ। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट संस्थाओं मे पढ़ने वाले जनजाति के छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग देने का प्रबन्ध किया गया। कक्षा 9-10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता दी जाती है। कक्षा 6-8 के बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति तथा आवर्तक सहायता प्रदान की जाती है। प्रथम श्रेणी पाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिये जाते है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र मे प्रोत्साहन के लिए प्रथम श्रेणी के छात्र को साइकिल दी जाती है।

जन जातियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश में कई परियोजनाएँ चल रही है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी के अन्तर्गत शिक्षा विभाग की ओर से 4 जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं। थारू विकास परियोजना विथुनपुर विश्राम गोण्डा में 1 जूनियर हाई स्कूल संचालित है। इसी प्रकार एकीकृत जनजाति विकास परियोजना बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, रामनगर (जनपद नैनीताल) में 2 जूनियर हाई स्कूल तथा इसी जनपद के खटीमा-बाद सितारगंज में 2 जूनियर हाई स्कूल; जनपद देहरादून की चकराता-कालसी योजना के अन्तर्गत 2 जूनियर हाई स्कूल खोले गये है। इन प्रयासों से जनजातियों की माध्यमिक शिक्षा को अवश्य बढ़ावा मिलेगा।

अध्याय 3

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के विशेष प्रावधान

3.0 प्रस्तावना

केन्द्रीय सरकार तथा उसके निर्देशों पर राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिये शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। इसके अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये शैक्षिक विद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में उनके प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई, परन्तु ये दोनों जातियाँ इतनी दबी हुई थी इस व्यवस्था से परिवर्तन तो आया परन्तु उसके अतिरिक्त इन जातियों के विशेष प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा आश्रम विद्यालयों व व्यावसायिक तथा अन्य प्रकार के विशेष प्रावधानों पर ध्यान दिया गया।

3.1 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में आश्रम पद्धति विद्यालयों की भूमिका

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय खोले गये हैं जिन्हें आश्रम पद्धति विद्यालय कहते हैं। इन विद्यालयों की कल्पना लगभग वैसी है जैसी नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत 'नवोदय विद्यालयों की है यद्यपि आश्रम पद्धति विद्यालय उतने सम्पन्न नहीं बन पाये हैं। इन्हें आश्रम पद्धति विद्यालय की संज्ञा इस-लिए दी गयी कि इनमें प्राचीन गुरूकुलों का सादगी पूर्ण वातावरण हो। वहीं छात्र रहें, भोजन करें, सामाजिक जीवन व्यतीत करें तथा शिक्षा प्राप्त करें। यह विद्यालय कई स्तरों पर है कुछ प्राथमिक स्तर पर, कुछ जूनियर हाई स्कूल स्तर पर और कुछ कक्षा 10 तक है। इनमें से कुछ भवन और साज-सज्जा की दृष्टि से बहुत अच्छे और कुछ निम्न कोटि के हैं। प्रारम्भ में इन विद्यालयों की स्थापना और संचालन हरिजन समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा होता था। अब 1984 में जन जाति विकास निदेशालय की स्थापना के बाद जनजातियों के आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना रख रखाव एवं स्तर ऊँचा करने का काम, यह निदेशालय करता है। इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मिली है। उदाहरण के लिए गोण्डा परियोजना में 11 लाख रुपये की लागत से एक आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन तथा खरी परियोजना में 4.50 लाख रुपये

की लागत से एक अन्य आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन का निर्माण हुआ है । निश्चय ही यह विद्यालय वातावरण की दृष्टि से उत्तम कोटि के होने चाहिये । उत्तर प्रदेश में तीन आश्रम पद्धति विद्यालय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

इन विद्यालयों में छात्रों को मुफ्त दूध सहित भोजन, सूती-ऊनी वस्त्र तथा पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं । छात्र यहीं रहते हैं और अध्ययन करते हैं । सम्प्रति, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या 37 हैं ।

3 2 उच्च शिक्षा—

इन जातियों के नवयुवक-नवयुवतियों के लिए अलग शिक्षा संस्थाएँ नहीं हैं । वे सामान्य महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं । इंटर कक्षाओं के बाद मेधावी छात्रों को कोचिंग द्वारा इस योग्य बनाया जाता है कि वे अन्य उच्च वर्गीय छात्रों के समकक्ष शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकें । साथ ही उनके लिए छात्रवृत्तियों तथा पुस्तकों की व्यवस्था हरिजन एवं समाज कल्याण तथा जनजाति विकास निदेशालयों द्वारा की जाती है ।

3 3 व्यावसायिक शिक्षा—

इन जातियों की प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में वे बहुत पिछड़ी हुई हैं । इनके लिये हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय की ओर से चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ चलायी जा रही हैं । एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ में, दूसरा राजकीय प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर, तीसरा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, पाइन्स, नैनीताल और चौथा राजकीय गोविंदवल्लभ पन्त पालीटेकनिक, आर्यनगर सेटिलमेंट, लखनऊ में है । प्रथम तीन में एक या दो वर्षीय कोर्स हैं, जिनमें ढलाई, वेल्डिंग, टर्नर, फिटर, बढ़ईगीरी, मोटर मैकेनिक आदि के उद्योग सिखाये जाते हैं । चौथे में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम हैं जिनमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को एन. सी. वी. टी. पैटर्न पर प्रमाण पत्र दिया जाता है । इनमें 70 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के और 15 प्रतिशत जनजाति के भर्ती किये जाते हैं । यहाँ छात्रावास की निःशुल्क सुविधा है । जो छात्र आवासीय नहीं हैं, उन्हें 37-50 पैसे प्रतिदिन की दर से और आवासीय छात्रों को 60 रु. प्रतिमास छात्रवृत्ति मिलती है । पालीटेकनिक लखनऊ में जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 12000 रु. वार्षिक तक है, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती हैं । ऐसे दैनिक छात्रों

को 100 रु. प्रतिमास और आवासीय छात्रों को 130 रु. प्रतिमास दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें पुस्तकों तथा उपकरणों की खरीद के लिये अनावर्तीय सहायता मिलती है। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिये बुक बैंक की व्यवस्था की गयी है।

अनुसूचित जनजाति विकास निदेशालय की ओर से इन जातियों के छात्र प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजे जाते हैं। कुशल क्राफ्टमैनों के द्वारा भी उन्हें प्रशिक्षित कराया जाता है। इन प्रशिक्षण काल में उन्हें 200 रु. मासिक तक वेतन दिया जाता है।

उस निदेशालय की सूचना के अनुसार 85-86 वर्ष में इस क्षेत्र में उपलब्धि इस प्रकार रही—

क्र. सं.	व्यवसाय	प्रशिक्षित अनु. जनजाति के व्यक्तियों की संख्या
1	हैंडलूम बुनाई	47
2	कालीन बुनाई	15
3	डीजल इंजन आपरेटर, नलकूप चालक	39
4	चिकन कढ़ाई	110
5	बढ़ईगीरी	127
6	दर्जीगीरी	68
7	हिन्दी टंकण	10
8	बान मेकिंग	40

3.4 अनौपचारिक शिक्षा—

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि वे लोग संस्थागत औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों से लाभ इन लोगों को मिला है और आशा की जाती है कि उसका प्रभाव इनकी साक्षरता के प्रतिशत पर पड़ेगा। हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के संरक्षण में इन जातियों के वयस्क जनों के लिये उत्तर प्रदेश में अनेक पुस्तकालयों का संचालन होता है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं, उन्हें आवर्तक अनुदान दिया जाता है। ऐसे अनेक पुस्तकालय हैं जो केवल इन जातियों के प्रौढ़जनों को लाभ पहुंचा रहे हैं।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी के अन्तर्गत प्रौढ़ कक्षाओं का आयोजन किया गया और 464 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। थारु विकास परियोजना, गोण्डा के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षण द्वारा 175 जनों को साक्षर बनाया गया।

3 5 हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय की शैक्षिक योजनाएं एवं विशेष कार्यक्रम—

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक उत्थान के लिए इस निदेशालय की ओर से अनेक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे हैं। उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

1. कक्षा 1 से 10 तक के उन छात्रों को जिनके अभिभावकों की आय 750 रु. मासिक है, 31 मार्च 1984 से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्तियाँ 75 प्रतिशत योग्यता और 25 प्रतिशत निर्धनता के आधार पर स्वीकृत होती हैं।
2. कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत इन वर्गों के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया गया है। 85-86 में 511.00 लाख रुपये आयोजनगत मद से और 360.120 लाख आयोजनेतर मद से दी गयी और 4,43,682 छात्र लाभान्वित हुए।
3. मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 35 पब्लिक स्कूलों में पढ़ने भेजकर उनका समस्त व्यय भार उठाती है। 85-86 में इस पर 3.650 लाख रुपये व्यय हुए और 70 छात्र लाभान्वित हुए।
4. "अपारचुनिटी कास्ट योजना" के अन्तर्गत राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति बालिका उसके परिवार को 15 रुपये देती है। यह योजना कई जनपदों में लागू करके अब अन्य जनपदों में लागू करने का विचार है। इस पर 74.80 लाख रुपये व्यय 1982-83 में किये गये।
5. कक्षा 4-5 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से देने में 31.00 लाख रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया है।
6. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में इन जातियों के नवयुवकों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस पर लगभग 32 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च आता है।
7. केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों (चमड़ा उतारने वाले, मैला उठाने वाले) के बच्चों को कक्षा 6 से 10 में विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है। यह योजना 14 प्रमुख जिलों में चल रही है। प्रति छात्र 140 रु. प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है—

तालिका

क्र. सं.	वर्ष	व्यय	अभ्यार्थी संख्या छात्र
1.	1980-81	218370	150
2.	1981-82	530000	305
3.	1982-83	1252000	895

4.	1983-84	500000	287
5.	1984-85	10,00,00	690
6.	1985-86	10,00,00	690

8. पूर्वदशम कक्षाओं के छात्रों के शुल्क की क्षति पूर्ति योजना में स्वैच्छिक संस्थाओं में पढ़ने वाले इन जातियों के छात्रों के शुल्क न लेने से होने वाली हानि को विभाग पूरा करता है। सन् 85-86 में क्षति पूर्ति के कारण 311.209 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी। इससे 351709 लाख छात्रों को लाभ पहुँचा।

9. स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद् आदि द्वारा चलाये गये स्कूलों में इन जातियों की शिक्षा पर होने वाले व्यय का 2/3 भाग यह निदेशालय वहन करता है। इस पर 11.133 लाख रुपये का व्यय 85-86 में हुआ।

10. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये गये प्राइमरी विद्यालयों, पुस्तकालयों और छात्रावासों में जहाँ 50% से अधिक इन जातियों के छात्र लाभ उठाते हैं आवर्तक अनुदान दिया जाता है। 85-86 वर्ष में 122.72 लाख रुपये इस पद में व्यय हुए।

11. प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत लखनऊ, गोरखपुर और नैनिताल के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

12. दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत—

(क) 1000 रु. प्रतिमाह तक की आय वाले इन वर्गों के लोगों की सन्तानों को विभिन्न कोर्सों की दृष्टि से 70 रु. से 185 रु. प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिये 85-86 वर्ष में लगभग 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

(ख) पुस्तकों तथा उपकरणों की खरीद के लिए 20.00 लाख रुपये का प्रावधान हुआ।

(ग) प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए शुल्क मुक्ति में 4.25 लाख व्यय किये गये।

(घ) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों को पुरस्कार देने में 4.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

(ङ) इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों के छात्रों के लिए बुक बैंक योजना पर 85-86 में 4.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी।

13. उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों के विकास के लिए छात्रावास युक्त भवन बनाने की योजना है। इसके लिए 81-82 वर्ष से 84-85 वर्ष तक 24.23 लाख रुपये स्वीकृत हुए। इलाहाबाद, मिर्जापुर (दुद्धी), बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर (घोरादल), आजमगढ़

और गोंडा के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवनों के निर्माण का काम आवास निगम को सौंपा गया ।

14. **छात्रावास**—शहरी क्षेत्रों में जनजातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के आवास की समस्या हल करने के लिए छात्रावासों का निर्माण करने की योजना है। अब तक 37 मैदानी जनपदों में और 4 पर्वतीय जनपदों में राजकीय छात्रावास बन चुके हैं। 10 बालिकाओं के छात्रावास बनकर तैयार हो गये हैं। शेष जनपदों में इनके लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ भी इस प्रकार के छात्रावास चलाती हैं। उन्हें 5.00 लाख रुपये तक अनुदान छात्रावास बनाने के लिए दिया जाता है। इनमें उनका अंशदान 10% होता है।

3.6 अनुसूचित जनजाति विकास निदेशालय के शैक्षिक कार्यक्रम—

सन् 1984 में स्थापित यह निदेशालय जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम चलाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ हैं:—

(क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पूर्व दशम कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा हेतु शैक्षिक संस्थाओं को घाटे की पूर्ति की योजना पर 84-85 में 1.46 लाख, 85-86 में 3 लाख रुपये व्यय हुए।

(ख) अनुसूचित जनजाति के 1 से 10 कक्षा तक, छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता की योजना पर 84-85, 85-86, 86-87 में कुल लगभग 20 लाख रुपये व्यय हुए।

(ग) चिकित्सा, अभियंत्रण और प्रौद्योगिक कक्षाओं में पुस्तकों एवं उपकरणों की खरीद की योजना के अन्तर्गत छात्रों को गत वर्षों में 1.56 लाख की राशि प्रदान की गयी जिससे 150 छात्र लाभान्वित हुए।

(घ) कक्षा 9-10 के अनुसूचित जनजाति के छात्रो छात्रवृत्ति तथा अनावर्तन सहायता के लिए 84-85 में 4.35 लाख, 85-86 में 3.85 लाख, 86-87 में 3.115 लाख रुपये व्यय हुए।

(ड) हाई स्कूल तथा इंटर के छात्रों की कोचिंग की योजना पर 85-86 में 2 लाख और 86-87 में 1.958 लाख का व्यय हुआ। इन वर्षों में क्रमशः 33 और 44 छात्रों को लाभ मिला।

(च) अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का संचालन एवं भवन निर्माण की योजना के अन्तर्गत बालकों के 4 छात्रावास बलुआकोट, काशीपुर, लखीमपुर खीरी और गोपेश्वर में तथा बालिकाओं का एक छात्रावास नागापोखरी में चल रहा है। गत तीन वर्षों में लगभग 23 लाख रूपये इस मद में व्यय हुए।

(छ) आश्रम पद्धति विद्यालयों के रख-रखाव और संचालन के साथ इनका स्तर ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत 10 विद्यालय आये हैं। 84-85 में 34.50 लाख, 85-86 में 36.50 लाख, 86-87 में 57.89 लाख मैदानी क्षेत्र में और 10.44 लाख तथा 10.83 लाख पर्वतीय क्षेत्र में व्यय हुआ है।

(ज) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के रख-रखाव के लिए बनी योजना में गत तीन वर्षों में 8.24 लाख रूपये की धन राशि व्यय की गयी।

(झ) केन्द्र प्रोनिधानित योजना के अन्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा छात्र वेतन के रूप में दो वर्षों में 47.80 लाख रूपये खर्च हुए।

(ञ) हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, छात्रावासों और विद्यालयों के सुधार के लिए इस निदेशालय से अनुदान दिया जाता है। इस मद में गत तीन वर्षों में 8.15 लाख रूपये खर्च किये गये।

(ट) हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी पाने वाले छात्रों पर पुरस्कार रूप में 2 लाख रूपये व्यय किये गये।

इस निदेशालय द्वारा जनजातियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके अन्तर्गत शैक्षिक गतिविधियां चलती रहती हैं। बुक्सा आदिम जनजाति-उत्थान योजना (बिजनौर एवं पर्वतीय क्षेत्र) में 84-85 में 2 प्राइमरी स्कूल और भोटिया जनजाति उत्थान योजना में 2 छात्रावास चलाये गये। छात्रावासों में 50-60 छात्रों के रहने और निशुल्क: भोजन की व्यवस्था है। संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत 1983-84 में केन्द्रीय सहायता से गोण्डा परियोजना में एक आश्रम पद्धति विद्यालय भवन का निर्माण 11 00 लाख रूपये की लागत से हुआ और खीरी परियोजना में एक आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन 4.50 लाख रूपये से बनाया गया। खीरी के वनकटी ग्राम में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हुई।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी में शिक्षा के विकास पर 86-87 में 3.68 लाख रूपये व्यय हुआ। 9.79 लाख रूपये उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से व्यय किये गये। इसके फलस्वरूप 27 प्राइमरी स्कूल, 4 जूनियर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से और 5 लड़कों तथा 1 लड़कियों का प्राइमरी स्कूल, 6 बाल वाड़ियां तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन जाति निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसी परियोजना में जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी चल रहे हैं जिनमें अब तक 110 चिकन कढ़ाई, 25 हैंडलूम, 15 कालीन बुनाई, 107 बढ़ईगीरी, 50 दर्जीगीरी, और 39 डीजल ट्यूबवेल कर्मियों को प्रशिक्षण मिल चुका है।

थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम गोण्डा में निदेशालय की ओर से 86-87 में 1.03 लाख और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से 7.99 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किये गये। इससे शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 26 प्राइमरी स्कूल तथा 1 जूनियर हाई स्कूल और निदेशालय के 3 प्राइमरी स्कूल और 5 बाल बाड़ियां चल रही हैं। इन जातियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोले गये हैं जिनमें हैण्डलूम, बढ़ईगीरी, दर्जीगीरी, टाइपिंग तथा कप-प्लेट बनाने के व्यवसाय सिखाये जाते हैं। इनमें 150 रु. प्रतिमास छात्र वेतन मिलता है। अब तक 22 हैण्डलूम, 20 बढ़ईगीरी, 10 दर्जीगीरी, 10 टाइपिंग, और 40 रस्सी बटाई के काम में प्रशिक्षण पा चुके हैं।

पर्वतीय क्षेत्र की एकीकृत योजनाओं के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय, गदरपुर तथा हैप्पी होम विद्यालय गुलरभोज में भवन-भूमि हेतु 4 लाख रुपये व्यय किये गये। सर्वेण्ट आफ इण्डिया सोसाइटी द्वारा निर्मित एक छात्रावास के लिए 3.50 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। गूलरभोज में 5.00 लाख की लागत से आई. टी. आई. की स्थापना की गयी है। विकास खण्ड, बाजपुर में 2 जूनियर स्कूलों के भवन निर्माण पर 4 लाख रुपये खर्च हुए हैं। गदरपुर विकास खण्ड में 8 प्राइमरी स्कूल के भवन 4.40 लाख रुपये की लागत से बने।

एकीकृत जनजाति विकास योजना, खटीमा-सितारगंज, नैनीताल में आश्रम पद्धति विद्यालय बिड़ौरा के लिए भूमि क्रय करने पर 2.00 लाख खटीमा में आई. टी. आई. की स्थापना पर 5.00 लाख, सितारगंज में 2 जूनियर स्कूलों के भवन निर्माण पर 4 लाख और 10 प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण पर 5.50 लाख रुपये व्यय किये गये।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना धारचूला मुन्स्यारी, पिथौरागढ़ में 4.00 लाख, 2 आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि क्रय, 4.00 पहले के वर्तमान आश्रम स्कूल के उन्नयन पर व्यय हुए।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चकराता कालसी, देहरादून जनपद में 4.00 रुपये से आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए भूमि खरीदी गयी। 5.00 लाख रुपये से आई. टी. आई. की स्थापना की गयी। यहीं 4.00 लाख रुपयें से 2 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्मित हुये हैं। 12 प्राइमरी स्कूलों के भवन-निर्माण पर 6.60 लाख रुपये व्यय हुए।

एकीकृत जनजाति विकास योजना, जोशीमठ, चमोली में एक आश्रम पद्धति विद्यालय, जोशीमठ में खोलने के लिए 2.00 लाख रुपये से भूमि क्रय कर ली गयी है।

3.7 शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान—

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की शिक्षा का व्यय भार निम्नलिखित एजेन्सीज द्वारा उठाया जाता है—

1 केन्द्रीय सरकार कई परियोजनाओं के संचालन में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

2 राज्य का शिक्षा विभाग।

3 निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

4 निदेशालय, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश।

3.7.1 अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान—(समाज कल्याण विभाग)

छठी पंचवर्षीय योजना 80-85	3162.06 लाख
सातवीं पंचवर्षीय योजना 85-90	7830.00 लाख
वर्ष 1985-86	1733.84 लाख

वर्ष 1985-86 में अनुसूचित जाति के छात्रों पर विभिन्न मदों में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न प्रकार से व्यय किया गया—

	मद	व्यय	लाभान्वितों की संख्या
1	अस्वच्छ पेशे वालों छात्रों को छात्रवृत्ति	25,00,000	100
2	दशम कक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अनु. जाति/जनजाति के छात्र	5,50,000	1375
3	प्रथम बार अनुत्तीर्ण की क्षतिपूर्ति	4,25,000	1415
4	पुस्तकों एवं उपकरणों की खरीद	28,23,000	8088
5	बुक बैंक की स्थापना	4,00,000	240
6	कोचिंग व्यवस्था	21,34,000	2581
7	स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	122,72,000	—
8	स्थानीय निकायों को अनुदान	11,13300	—
9	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर	23,2000	5273

10	कक्षा 4-5 के छात्रों को छात्रवृत्ति	31,00000	208332
11	मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति	3,65000	70
12	अपारच्यूनिटी कास्ट योजना	74,80000	—

3.7.2 अनु. जनजातियों के लिए प्रावधान—

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए जो भी योजनाएँ उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उन पर निम्न प्रकार से धनराशि 1985-86 वर्ष में व्यय की गयी है—

(क) निदेशालय जनजाति विकास द्वारा शिक्षा पर व्यय की गयी राशि जो योजनागत तथा योजनेतर मदों में है — 96.61 लाख

(ख) अन्य विभागों द्वारा मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय एवं समाधान। — 548.91 लाख

अध्याय ४

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ एवं समाधान

4.0 प्रस्तावना—इन दोनों जातियों की शैक्षिक समस्याएं कुछ तो एक समान और कुछ भिन्न हैं। अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों के साथ ही बसी हुई है। उनकी प्रमुख समस्या भावनात्मक है। उनके बच्चे अस्पृश्यता और अपेक्षा के कारण हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त होते हैं। विद्यालयों में प्रवेश तथा पढ़ाई आदि में उनके साथ भेद-भाव नहीं बरता जाता परन्तु संस्थाओं के सामाजिक जीवन में उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान नहीं मिलता। उच्च जातियों के बच्चे उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं करते। इससे उनके मन में तनाव उत्पन्न होता है। इनका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर पड़े बिना नहीं रहता। आर्थिक दृष्टि से भी अनुसूचित जाति के परिवार सम्पन्न नहीं होते। यद्यपि आजादी के बाद इन जातियों में जागृति उत्पन्न हुई है और वे अपने बच्चों को शिक्षा देने को इच्छुक भी हैं परन्तु अर्थाभाव के कारण वे उन्हें प्राइमरी विद्यालयों के आगे नहीं ले जाते। इनके बच्चों की मूल समस्या अपव्यय और अवरोधन है। प्राइमरी स्तर के बाद अधिकांश बालक-बालिकाएं रोजगार में लगना चाहते हैं, इसलिए वे विद्यालय छोड़ देते हैं। इन बच्चों के परीक्षा-परिणाम भी बहुत सन्तोषजनक नहीं हैं। यह कहना तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित होगा कि इन बच्चों का बौद्धिक स्तर नीचा होता है। इसलिए वे उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं होते। उनका प्रारम्भ का सांस्कृतिक वातावरण ऐसा होता है कि वह भाषागत विकास में सहायक नहीं होता। फलत: प्रारम्भ में ही उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और दोष दिया जाता है इन बच्चों को। इस सम्बन्ध में अधिक गहराई से शोध की आवश्यकता है। उससे ही उनकी समस्याओं का ज्ञान हो सकता है।

4.1 समस्याएं—अनुसूचित जातियाँ सदियों से उपेक्षा और शोषण का शिकार रही हैं। उन्हें शिक्षा की सुविधाएँ नहीं मिली। अत: वे अन्धविश्वास, रुढ़ियों और परम्पराओं कोनहीं त्यागतीं। उनमें आधुनिकता बोध भी नहीं है। जिन-जिन पेशों में वे लगी हैं, उनकी नयी तकनीक वे नहीं ग्रहण करतीं। उनके संस्कारों का इतना अधिक प्रभाव है कि उनका उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वास्तव में वे समता और सामाजिक न्याय के लिए अभी संघर्ष ही कर रही हैं। राजनैतिक स्तर पर उन्हें समानता का दर्जा अवश्य मिल गया है परन्तु समाज में अभी उन्हें वह

स्थान नहीं मिला जो अपेक्षित है। इन सब स्थितियों का उनकी शिक्षा से सीधा सम्बन्ध है। दूसरी ओर, शिक्षा के प्रति उनकी बढ़ती रुचि से उनकी आकांक्षाओं का पता चलता है। यह सभी क्षेत्र शोध का विषय बन सकते हैं।

ये अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं पसंद करते। बच्चे भी अपने माता-पिता से अलग नही रहते। दूसरे प्रौढ़ जौनसारी यह भय अनुभव करते हैं कि पढ़-लिख कर युवाजन अपनी संस्कृति का त्याग कर देंगे।

थारु जाति में तेजी से बदलाव आता जा रहा है। फिर भी शिक्षा की दृष्टि से ये लोग पिछड़े हुए हैं क्योंकि इनमें बाल-विवाह की प्रथा का प्रभाव शिक्षा की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। विवाह होते ही बच्चे परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगते हैं और शिक्षा की ओर से उदासीन हो जाते हैं।

डा. वर्मा ने जनजातियों की शिक्षा के अवरोधक तत्वों में शिक्षा के माध्यम को प्रमुख तत्व माना है। उनका विचार है कि इन जातियों की भाषाओं का विकास करना आवश्यक है। प्रारम्भिक स्तर पर तो अध्यापकों को उन्हीं की भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका प्रभाव बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ेगा। हिन्दी भाषा के साथ-साथ इनका मातृ भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

जनजातियों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि सकारात्मक नहीं है। इस मानसिकता ने उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न किया है। इनके बीच अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया है जिससे इनकी अभिरुचि बदले। प्रौढ़ों में निरक्षरता दूर करके शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को नष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब प्रौढ़ शिक्षा को उनकी संस्कृति, पर्यावरण, व्यवसायों और भाषा को आधार बनाया जाय।

जनजातियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, गरीबी के कारण शिक्षा नहीं दे पाते। इस स्थिति से निपटने के लिए इन जातियों के बालकों के लिए मुफ्त पुस्तकें, शुल्क।

आदिवासियों और जनजातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में इधर गत दो दशकों में अधिक रुचि दिखायी जा रही है। कुछ शोध कार्य भी किया गया है। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान के व्याख्याता डा. मोरध्वज वर्मा द्वारा किया गया शोध कार्य इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ. प्र.) ने उनके शोध कार्य प्रबन्ध—फैक्टर्स अफेक्टिंग ऐकडिम अचीवमेंट : ए क्रास-कल्चरल स्टडी आफ ट्राइबल ऐंड नान-ट्राइबल स्टूडेण्ट्स ऐट द जूनियर हाई

स्कूल लेवेल इन उत्तर प्रदेश—पर डा. वर्मा को पी. एच. डी. उपाधि प्रधान की है। उन्होंने अपने एक निबन्ध में उत्तर प्रदेश की जनजातियों, विशेषरूप से भोटिया, जौनसारी और थारु की शिक्षा में बाधक समस्याओं का विश्लेषण किया है।

डा. मोरध्वज का कथन है कि भोटिया जाति के बच्चों की शिक्षा में प्रमुख बाधक तत्व भौगोलिक हैं। यह जाति 25 हजार फीट ऊँचे पर्वतीय प्रदेश में रहती है और यह भीषण ठंडक होती है। यहाँ योग्य शिक्षक जाना नही चाहते और भोटिया लोग इन स्थानों से सर्दी के दिनों में मैदानी प्रदेशों में चले जाते हैं। इनकी मातृभाषा भी समुन्नत नहीं जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाय। पशु-पालन और कृषि के पेशों से इन्हें पर्याप्त आय नहीं होती। वे अपने बच्चों की शिक्षा पर धन व्यय करने में असमर्थ है।

जौनसारी जाति भी पर्वतीय प्रदेशों में निवास करती है। इनका समाज स्तरीकृत है, उच्च वर्ग हिन्दुओं के ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्ग के समकक्ष है, मध्यम वर्ग कामगार लोगों का है और निम्न वर्ग अस्पृश्य माना जाता है। इस तृतीय वर्ग में शिक्षा का अभाव है। अन्य वर्गों में भी शिक्षा के प्रति अरुचि है। बहुपति विवाह के कारण सारा परिवार इस प्रकार बँधा रहता है कि जौनसारी की माफी, छात्रवृत्ति और भोजन वस्त्र आदि की सुविधा प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए।

4.2 समाधान—जनजातियों के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने तथा उनके इस भय का उन्मूलन करने के लिए कि सामान्य शिक्षा प्रणाली से उनकी संस्कृति नष्ट हो जायेगी, यह आवश्यक होगा कि विशिष्ट प्रकार के स्कूल उन क्षेत्रों में खोले जायें जहाँ यह जातियाँ बहुसंख्यक हों। आश्रम पद्धति पर चलाये गये विद्यालय, इस दिशा में एक प्रयत्न है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। मिश्रित प्रकार के राजकीय विद्यालयों में इस समुदाय के जीवन का प्रतिनिधित्व 'नहीं' के बराबर हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कम्यूनिटी स्कूल चल रहे हैं, इस प्रकार से साधन सम्पन्न आवासीय विद्यालय जन-जातीय बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। उनमें जनजातियों की जीवन शैली प्रतिबिंबित होनी चाहिए और साथ ही भारत की समन्वित संस्कृति की झाँकी भी प्रस्तुत हो ताकि इनके बच्चे अपनी संस्कृति के साथ-साथ राष्ट्रीय धारा से तालमेल बैठा सकें। इन विद्यालयों में 'क्षतिपूरक कार्यक्रम' (कम्पेन्सेटरी प्रोग्राम) चलाये जा सकते हैं, जिससे उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। इस विद्यालय को जनजातियों की जीवन शैली के अनुरूप ढालना तथा इसका सारा व्ययभार राज्य सरकार को वहन करना होगा। 'नवोदय' विद्यालय जो इनके क्षेत्रों में स्थापित किये जायें, इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं।

—·—

खण्ड–2

उत्तर प्रदेश में आश्रम पध्दति विद्यालय

लेखक द्वय

1. **एन. पी. गुप्त**
अधीक्षक
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
मुंशिहार (उ. प्र.)

2. **डॉ. मोरध्वज वर्मा**
प्रवक्ता-शिक्षा
कमला नेहरू विज्ञान एवम् तकनीकी संस्थान
सुलतानपुर (उ. प्र.)

अनुक्रमणिका

उत्तर प्रदेश के दुर्बलतर वर्गों का अध्ययन

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश के दुर्बलतर वर्गों का अध्ययन

1.1 उत्तर प्रदेश तथा इसके दुर्बलतर वर्ग —

भारत के उत्तरी क्षेत्र में जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। इन सभी प्रान्तों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ, भाषाएँ/उप-भाषाएँ, अर्थ व्यवस्था तथा भौगोलिक विशेषताएँ हैं। इनमें पारस्परिक विभिन्नता तो है ही, अन्तर-राज्यीय विभिन्नताएँ भी हैं। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रान्त है। यह एक ओर पूर्वोत्तर में हिमालय की शिवालिक पर्वत शृंखलाओं को स्पर्श करता है तो उत्तर में जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को। उत्तर-पश्चिम में दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान स्थित हैं। इस प्रान्त की पूर्वी सीमा बिहार और दक्षिण-पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश प्रान्त को छूती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में नेपाल एवं चीन देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं द्वारा पृथक होता है। इस प्रकार इस प्रान्त का भौगोलिक एवं सामरिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है।

उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रान्त होने के कारण अनेक भौगोलिक एवं मौसमी विभिन्नताओं से युक्त है। इसके उत्तराखण्ड में स्थित गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल 2000 से 25000 फीट ऊंची पर्वत शृंखलाओं में स्थित हैं तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, आगरा आदि मण्डल मैदानी हैं। गोरखपुर मण्डल तराई में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय, मैदानी, बाढ़ प्रभा-वित पूर्वांचल क्षेत्र तथा पथरीली भूमि वाला बुन्देलखण्ड क्षेत्र पाया जाता है।

प्रान्त की भौगोलिक विशेषताओं का प्रभाव इसके निवासियों की संस्कृति, रहन-सहन, कृषि, व्यापार व भाषा पर भी पड़ा है। इसलिए इस प्रान्त में अनेक संस्कृतियाँ, बोलियाँ अथवा उप भाषाएँ तथा आर्थिक विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। कुछ लोग सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न मिलते हैं तो कुछ वर्ग अत्यन्त पिछड़े हुए। मैदानी क्षेत्रों में शिक्षा संचार तथा परिवहन के विकास से लोग आगे बढ़ गये हैं तो दुर्गम पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों में अशिक्षा, निर्धनता के कारण पिछड़ गए हैं।

भारतीय संविधान में समाज के दुर्बलतर वर्गों के आर्थिक एवं शैक्षिक हितों की विशेष साव-धानी के साथ रक्षा करने की व्यवस्था की गई है (अनुच्छेद 46)। इसे ध्यान में रखते हुये उत्तर

प्रदेश शासन ने भी प्रान्त के कुछ वर्गों तथा क्षेत्रों में व्याप्त पिछड़ेपन को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं तथा आशातीत सफलता भी प्राप्त की है। परन्तु समर्थ एवं दुर्बलतर वर्गों के बीच की खाई अभी तक बनी हुई है। अतः इस दिशा में निरन्तर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते रहने की आवश्यकता है।

1.2 दुर्बलतर वर्गों के प्रकार --

उत्तर प्रदेश में कुछ सामाजिक वर्ग शिक्षा एवं विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। इसके मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं—

1. भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में निवास के कारण राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा से पृथकता।
2. अतीत में व्यवहृत अस्पृश्यता की कुप्रथा।
3. शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।
4. अतीत में कुछ जातियों का अपराधिक कार्यों में लिप्त रहना।

स्वतंत्रता के पश्चात भौगोलिक पृथकता में रहने वाली सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 में, तथा अतीत में अस्पृश्य समझे जाने के कारण दुर्बलतर जातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित कर दिया गया ताकि उनका उचित विकास हो सके। शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों एवं जातियों के उत्थान हेतु संविधान के अनुच्छेद 340 में यह व्यवस्था की गई है कि विभिन्न प्रान्तों में 'अन्य पिछड़े वर्गों' की जानकारी व विकास हेतु राष्ट्रपति स्वतन्त्र आयोग का गठन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश में इन तीनों वर्गों की जनसंख्या पाई जाती है। यह तीनों दुर्बलतर वर्ग निम्नलिखित हैं :

1. संविधान के अनुच्छेद 341 में उल्लिखित अनुसूचित जातियाँ।
2. संविधान के अनुच्छेद 342 में अनूसूचित जनजातियाँ।
3. संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर राज्यों द्वारा घोषित अन्य पिछड़ी जातियाँ।

   (अ) शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से 'पिछड़ी जातियाँ'

   (आ) विमुक्त जातियाँ जो अतीत में अपराधिक कृत्यों में लीन मानी जाती थीं।

उत्तर प्रदेश में 66 जातियों को अनुसूचित जाति, 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति, 58 जातियों को पिछड़ी जाति तथा 70 जातियों को विमुक्त जाति (जिनमें 39 अस्थिर या घुमन्तू

तथा 31 स्थिर) में वर्गीकृत किया गया है। विमुक्त जाति वर्ग में 12 गैर-अनुसूचित आदिवासी जातियाँ भी सम्मिलित हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के विचाराधीन है। फिलहाल 19 विमुक्त जातियाँ अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हैं।

'अनुसूचित जाति' वर्ग में सम्मिलित दुर्बलतर जातियाँ तालिका 1.1 में प्रदर्शित हैं :

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची :— तालिका 1.1

क्र. सं.	जातियाँ	क्र. सं.	जातियाँ	क्र. सं.	जातियाँ
1.	अगरिया	23.	बौरिया	45.	खरोट
2.	बादी	24.	चमार	46.	खरवार
3.	बधिक	25.	चेरो	47.	खटिक
4.	बहेलिया	26.	दबगर	48.	कोल
5.	बैगा	27.	धांगर	49.	कोरबा
6.	बैसवार	28.	धानुक	50.	लाल बेगी
7.	बजनियाँ	29.	धरकार	51.	मजहबी
8.	बाजगी	30.	धोबी	52.	मुसहर
9.	बलाहार	31.	डोम	53.	नट
10.	बलई	32.	डोमर	54.	पंखा
11.	बाल्मीकि	33.	दुसाध	55.	परहिया
12.	बंगाली	34.	घरमी	56.	पासी
13.	बनमानुस	35.	घसिया	57.	पतरी
14.	बांसफोर	36.	ग्वाल	58.	रावत
15.	बरवार	37.	हबूड़ा	59.	सहरिया
16.	बसोर	38.	हरी	60.	सनोरिया
17.	बावरिया	39.	हेला	61.	सांसिया
18.	बेलदार	40.	कलाबाज	62.	शिल्पकार
19.	बेड़िया	41.	कंजड़	63.	तुरैहा
20.	भाँतू	42.	कपरिया	64.	मंझवार
21.	भुइयाँ	43.	करबल	65.	कोरी
22.	भुइहार	44.	खैरहा	66.	गोंड

1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 23453339 है जो प्रान्त की कुल जनसंख्या 110862013 का 21% है। इस वर्ग में वे जातियाँ हैं जिन्हें अतीत में अछूत समझा जाता था। अस्पृश्यता के कारण यह लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण के समाज में पिछड़ते चले गए तथा राष्ट्र की मुख्य जीवनधारा से कट गए। विकास के लाभ इन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाए। इनमें साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है। स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इनकी स्थिति में सुधार आया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थिति अभी दयनीय है।

'अनुसूचित जनजाति' वर्ग में प्रदेश के 5 आदिवासी वर्गों को स्थान दिया गया है। यह हैं : जौनसारी, बुक्सा, थारू, भोटिया तथा राजी। यह जातियाँ तथा हिमालय की तराई में पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त कई अन्य आदिवासी जातियाँ भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं परन्तु उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह जातियाँ मिर्जापुर जनपद के विन्ध्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह हैं : अगरिया, बैगा, भुइयार, चेरो, गोंड, खरवार, कोरवा, कोल, मझवार, औरांव, धांगर, परहिया तथा सहरिया। इनके अनुसूचित जनजाति घोषित होने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 232705 है जो प्रान्त की कुल जनसंख्या 110862013 का 0.21% है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनपदवार जनसंख्या परिशिष्ट 'अ' में देखी जा सकती है।

'पिछड़ी जाति' वर्ग में 58 जातियों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से 37 हिन्दू तथा 21 मुस्लिम जातियाँ हैं। इन जातियों की सूची परिशिष्ट 'इ' में देखी जा सकती है।

'विमुक्त जाति' श्रेणी में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो स्वतन्त्रता से पूर्व अपराधी मानी जाती थीं तथा जिन पर पुलिस हर समय दृष्टि रखती थी। यह जातियाँ समाज की उपेक्षा की शिकार रहीं तथा शिक्षा व विकास में पिछड़ गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन्हें अपराधिक सूची से विमुक्त किया गया अत: अब इन्हें विमुक्त जातियाँ कहा जाता है। अब इन जातियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है। यह जातियाँ दो प्रकार की हैं।कुछ घुमन्तू हैं जो डेरों के साथ घूमते रहते हैं (देखें परिशिष्ट आ (I)। कुछ विमुक्त जातियाँ स्थिर रहकर जीवन यापन करती हैं (देखें परिशिष्ट आ II)।

1.3 दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा हेतु प्रयास—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश शासन ने दुर्बलतर वर्गों के विकास हेतु बहुमुखी बहुमुखी प्रयास प्रारम्भ किए। शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रम एक दूसरे के समानान्तर

संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि इन जातियों के शैक्षिक विकास के द्वारा ही इनका वास्तविक स्थायी विकास सम्भव है।

1.3.1 निजी प्रयास—

दुर्बलतर वर्गों में सम्मिलित विभिन्न जातियों के शैक्षिक विकास हेतु निजी व्यक्ति तथा न्यास सक्रिय हैं जिन्होंने विभिन्न स्तर के विद्यालयों की स्थापना इनके लिए की है। इन संस्थाओं को शासन के शिक्षा विभाग तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता अनुदान के रूप में वित्त पोषण भी दिया जा रहा है। ये संस्थाएँ प्रान्त के विभिन्न जनपदों व क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

1 3 2 शिक्षा विभाग के प्रयास --

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रान्त के पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों के वन तथा दुर्गम स्थानों में अनेक प्राथमिक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है जिनमें अन्य वर्गों की भांति इन्हें भी सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है। यह संस्थाएँ राजकीय तथा स्थानीय निकायों के नियन्त्रण में हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में कोई पृथक ऐसी इकाई नहीं है जो दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा का स्वतन्त्र/विशिष्ट प्रशासन का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग इन जातियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता एवं शुल्क मुक्ति में भी शैक्षिक सहायता प्रदान करता है।

1.3.3 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रयास—

यह विभाग प्रान्त के दुर्बलतर वर्गों/जातियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा विभाग की शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत इन जातियों के छात्र-छात्राओं की शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति आदि की क्षतिपूर्ति आंशिक या पूर्ण रूप से यह विभाग करता है। साथ ही कुछ शैक्षिक कार्यभार यह विभाग स्वयं वहन करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग ने पूरे प्रान्त में यत्र-तत्र आवश्यकतानुसार विशेष प्रकार के आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है तथा उनका संचालन भी शिक्षा विभाग स्वयं करता है। इन्हें 'आश्रम पद्धति विद्यालय' कहा जाता है।

1.3.4 आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना—

1960 के पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम प्रान्त के आदिवासियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया तथा 1964 में प्रथम आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना खटेमा (जनपद नैनीताल) में की जिसमें थारू जनजाति के बालकों की शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था थी। जून, 1967 में

उत्तर प्रदेश की पांच आदिम जातियों जौनसारी, थारु, भुक्सा, भोटिया तथा थारू को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। उसके पश्चात अन्य जातियों के लिए भी गढ़वाल, कुमाऊं तथा लखनऊ मण्डलों में 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने की। यह विद्यालय दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा में अत्यन्त सार्थक सिद्ध हुए तथा इन वर्गों में बड़े लोकप्रिय हुए इसे देखते हुए शासन ने आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रयोग को अनुसूचित एवं विमुक्त जातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु दोहराया। इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति वर्गों के लिए प्रान्त में अनेक आश्रम पद्धति विद्यालय इस समय उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 'पिछड़ी जातियों' के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों की कोई व्यवस्था अब तक नहीं है।

अध्याय २

आश्रम पद्धति विद्यालय की संकल्पना

उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालयों का एक विशिष्ट स्थान है। यह विद्यालय अपनी विशेषताओं के कारण दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा ही नहीं वरन् संस्कृति के भी अनुपम केन्द्र हैं। इन विद्यालयों में बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनके शारीरिक, मानसिक तथा व्यावसायिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों से छात्रों की शिक्षा पर कुप्रभाव न पड़े इसलिए बच्चों के शैक्षिक, भोजन सम्बन्धी, वस्त्र, बिस्तर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं सम्बन्धी समस्त व्यय का वहन विद्यालय स्वयं करता है। जाति विशेष की सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा के रूप में भी सम्बन्धित विद्यालय कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है। विद्यालयों में विभाग ने यदा-कदा शैक्षिक पर्यटन के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु धन का प्रावधान कर रखा है। कुछ विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन समय-समय पर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति भी की गई है।

उत्तर प्रदेश में बालकों तथा बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। बालिकाओं की शिक्षा में यह बहुत उपयोगी पाए गए हैं क्योंकि आदिवासी जातियों में बालिकाओं तथा स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। आश्रम विद्यालयों में शिक्षक तथा आवास दोनों की एक साथ व्यवस्था है। छात्रावास अधीक्षक तथा कम्पाउण्डर के पद भी आवासीय हैं। वे बच्चों की देखरेख के लिए विद्यालय परिसर में ही रहते हैं। प्रान्त में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, तथा हाईस्कूल सभी स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालय विभिन्न संख्या में कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारी गैर-अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं। परन्तु कुछ कर्मचारी इन वर्गों के भी हैं। यह विद्यालय सम्बन्धित जातियों एवं जनजातियों से निकट सम्पर्क भी बनाए रखते हैं।

2.1 उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रान्तों के आश्रम पद्धति विद्यालयों की तुलना—

उत्तर प्रदेश में विभिन्न दुर्बलतर वर्गों के बालकों की शिक्षा हेतु स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालयों की एक विशिष्ट परम्परा है जो कई रूपों में अन्य प्रान्तों की समान परम्पराओं से कई अर्थों में भिन्न हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों का इतिहास अभी नया ही है

क्योंकि यहाँ अधिकांश विद्यालयों की स्थापना 1967 के बाद हुई है। दूसरे जहाँ कुछ प्रान्तों में ऐसे विद्यालय आदिवासी जातियों तक ही सीमित हैं वहां उत्तर प्रदेश में इन विद्यालयों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ समाज के अन्य दुर्बलतर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति आदि के शैक्षिक उत्थान का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान में आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित हैं जबकि उत्तर प्रदेश में इन विद्यालयों की देखरेख हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है। यद्यपि शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप न होने के कारण उन विद्यालयों को शासन का उचित शैक्षिक दृष्टिकोण पूर्णरूप से यह उपलब्ध नहीं है परन्तु दुर्बलतर वर्गों के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण से यह विद्यालय ओतप्रोत हैं जिसकी कमी अन्य प्रान्तों में यत्र-तत्र देखने को मिलती हैं। इसके पीछे सिद्धान्त है, 'दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा' न कि 'दुर्बलतर वर्गों के लिये शिक्षा'।

उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक अथवा इन्टरमीडिएट स्तर के विद्यालयों के पूर्ण रूप हैं जिनमें शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित तथा प्रस्तावित समस्त शैक्षिणक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ तो सम्पन्न होती ही हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त कार्य भी सम्पन्न होते हैं जैसे: बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उनके स्वास्थ्य की निरन्तर देखभाल तथा विशेष प्रकार की प्रवेश व्यवस्था। राजस्थान के आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इन संस्थाओं में केवल आवासीय सुविधा जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, और यह एक विशेष प्रकार के छात्रावास ही है जिनमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की देखरेख में विद्यार्थी रहते और अध्ययन कार्य सम्पन्न करते हैं। विद्यालय जैसा शिक्षण कार्य औपचारिक रूप से इनमें सम्पन्न नहीं होता। कक्षा शिक्षण हेतु छात्रों को अन्य विद्यालयों में जाना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों के समस्त कर्मचारियों की सेवाएँ हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं तथा इनका स्थानान्तरण शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में नहीं हो सकता। अन्य प्रान्तों में स्थिति इससे भिन्न है जैसे राजस्थान में आश्रम विद्यालयों तथा सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानान्तरण होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में न केवल वर्ग बल्कि जाति के आधार पर स्वतन्त्र आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। समस्त अनुसूचित जातियों हेतु एक विद्यालय तथा एक जनजाति विशेष हेतु (जैसे जौनसारी) एक विद्यालय उत्तर प्रदेश में मिल सकता है जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है। वहाँ समस्त अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एक ही विद्यालय में रखा जाता है। अर्थात् राजस्थान में दुर्बलतर वर्ग हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय हैं जबकि उत्तर प्रदेश में इन वर्गों की विभिन्न जातियों के लिये स्वतन्त्र आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है ताकि उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर शिक्षा आयोजित की सके।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक तथा इन्टरमीडिएट सभी स्तरों के आश्रम पद्धति विद्यालय कार्यरत हैं जबकि राजस्थान में यह विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक ही हैं। उत्तर प्रदेश में इन विद्यालयों की परम्परा अपेक्षतया अधिक प्राचीन है क्योंकि यहाँ 1964 से ही यह विद्यालय प्रारम्भ होने लगे थे जबकि राजस्थान में इनका प्रादुर्भाव 1977 से हुआ।

उत्तर प्रदेश में निजी संस्थाओं, व्यक्तियों और न्यासों के द्वारा भी कुछ आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जो हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शतप्रतिशत सहायता एवं वित्त पोषण प्राप्त करते हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी निजी क्षेत्र में ऐसे विद्यालय पर्याप्त संख्या में हैं। राजस्थान में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रम विद्यालयों की संख्या नगण्य है।

2.2 विभिन्न प्रकार के आश्रम पद्धति विद्यालय—

उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। कुछ वर्गीकरण तथा वर्गों में विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है।

(अ) दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा हेतु कार्यरत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय—38

1. **स्तरानुसार—**

   1. प्राथमिक आश्रम पद्धति विद्यालय—18
   2. जूनियर हाई स्कूल स्तरीय —14
   3. उच्चतर माध्यमिक स्तरीय —05
   4. इन्टरमीडिएट स्तर —01

   } योग = 38

2. **विद्यार्थियों के लिंग के अनुसार—**

   1. बालकों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय—35
   2. बालिकाओं के लिये— 03
   3. सहशिक्षा विद्यालय— 00

   } योग = 38

3 **दुर्बलतर वर्ग एवं जाति के अनुसार—**

   1. अनुसूचित जनजाति हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय—09
      (अ) जनजाति विशेष हेतु विद्यालय............... 06
      (आ) एक से अधिक जनजातियों हेतु विद्यालय—03
   2. अनुसूचित जातियों हेतु विद्यालय 12
      (अनुसूचित जाति विशेष हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं हैं।)
   3. विमुक्त जातियों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय—14
      (अ) एक विमुक्त जाति हेतु विद्यालय—08
      (आ) एक से अधिक विमुक्त जातियों हेतु विद्यालय—06

4. पिछड़ी जातियों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय --00
(अब तक उत्तर प्रदेश शासन ने शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना नहीं की है।)
5. गैर-विमुक्त एवं गैर-अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय.......... 03

(आ) दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एवं हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्णत: अनुदानित आश्रम पद्धति विद्यालय—03
(स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त आ. प. वि. एक से अधिक विमुक्त जाति हेतु हैं।)

उपर्युक्त विवरणानुसार विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालयों की विशेषताओं सहित उनके विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में देखे जा सकते हैं :

तालिका 1.2

1.2 अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय

(अ) जनजाति विशेष हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं.	विद्यालय	अनुसूचित जनजाति	जनपद एवं मंडल	बालक/बालिका	स्वीकृत कक्षाएं	स्वीकृत क्षमता
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय टोंइस्टेट अम्बाड़ी, देहरादून	जौनसारी	देहरादून (गढ़वाल)	बालक	6–10	175
2.	रा. आ. प. वि., पूनी (देहरादून)	जौनसारी	देहरादून (गढ़वाल)	बालक	6–8	105
3.	रा. बालिका आ. प. वि., लागा पोखरी	जौनसारी	देहरादून (गढ़वाल)	बालिका	1–8	230
4.	रा. आ. प. वि., मुन्स्यारी (पिथौरागढ़)	भोटिया	पिथौरागढ़ (कुमाऊं)	बालक	6–8	105
5.	रा. आ. प. वि., भीमतल्ला, चमोली	भोटिया	चमोली (गढ़वाल)	बालक	6–8	105
6.	रा. आ. प. वि., बिडौरा-सितारागंज	थारू	नैनीताल (कुमाऊं)	बालक	6–8	105
					कुल स्वीकृत क्षमता	825

(आ) एक से अधिक जनजातियों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय (यह सभी विद्यालय बालकों के लिए हैं।)

क्र.सं.	विद्यालय	अनु. जनजातियां	जनपद एवं मण्डल	स्वीकृत कक्षाएं	स्वीकृत क्षमता
1.	रा. आ. प. वि.,खटीमा (नैनीताल)	थारू एवं भोटिया	नैनीताल (कुमाऊं)	1–10	245
2.	रा. आ. प. वि.,गदरपुर (नैनीताल)	थारू,बुक्सा, भोटिया	नैनीताल (कुमाऊं)	6–8	105
3.	रा. आ. प. वि., लखीमपुर (खीरी)	थारू, भोटिया	खीरी (लखनऊ)	1–10	245
				कुल स्वीकृत क्षमता	595

तालिका 1.3

अनुसूचित जाति के विशेष पिछड़े वर्गों के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय.

क्र. सं.	विद्यालय	जनपद एवं मण्डल	बालकों बालिका	कक्षा जहाँ तक स्वीकृत है	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	रा. आ. प. वि.,थिरपाक	चमोली (गढ़वाल)	बालक	1–8	230
2.	रा. आ. प. वि., करारी	इलाहाबाद (इलाहाबाद)	बालक	1–5	150
3.	रा. आ. प. वि., बबेरू	बांदा (झाँसी)	बालक	1–5	150
4.	रा. आ. प. वि., तिलोई	रायबरेली (लखनऊ)	बालक	1–5	150
5.	रा. आ. प. वि., आजमगढ़	आजमगढ़ (गोरखपुर)	बालक	1–5	150
6.	रा. आ. प. वि.,काहीपुर	सुल्तानपुर (फैजाबाद)	बालक	1–5	150

7.	रा. आ. प. वि., प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (फैजाबाद)	बालक	1–5	150
8.	रा. आ. प. वि., रसड़ा	बलिया (वाराणसी)	बालक	1–2	60
9.	रा. आ. प. वि., कछौना	हरदोई (लखनऊ)	बालक	1–2	60
10.	रा. आ. प. वि.,हमीरपुर	हमीरपुर (झाँसी)	बालक	1–2	60
11.	रा. आ. प. वि., भोगाँव	मैनपुरी	बालक	1–2	60
12.	रा. आ. प. वि., भोजीपुरा	बरेली (बरेली)	बालक	1–2	60
				कुल क्षमता	1430

तालिका 1.4

एक से अधिक विमुक्त जातियों हेतु संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं	विद्यालय	जनपद एवं मण्डल	बालक/बालिका	कक्षा	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	रा. आ. प. वि., रामपुर	रामपुर (मुरादाबाद)	बालक	1–12	360
2.	रा. आ. प. वि., मोम्मदाबाद	फर्रुखाबाद (इलाहाबाद)	बालक	1–8	175
3.	रा. आ. प. वि., सारनाथ	वाराणसी (वाराणसी)	बालक	1–8	175
4.	रा. आ. प. वि., आर्यनगर सेटलमेंट	लखनऊ (लखनऊ)	बालिका	1–10	245
5.	रा. आ. प. वि., विशुनपुरा	गोरखपुर (गोरखपुर)	बालक	1–10	245
6.	रा. आ. प. वि., गोण्डा	गोण्डा (फैजाबाद)	बालक	1–8	175
				कुल क्षमता	1051

तालिका 1.5

केवल विमुक्त जाति विशेष के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं.	विद्यालय	जनपद एवं मण्डल	बालक/बालिका	जाति	कक्षा	स्वीकृत छात्र सं.
1	रा. आ. प. वि., शंकरगढ़	इलाहाबाद (इलाहबाद)	बालक	कोल	1-8	220
2	रा. आ. प. वि., मानिकपुर	बाँदा (झाँसी)	बालक	कोल	1-8	175
3	रा. आ. प. वि., मऊ	बाँदा (झाँसी)	बालक	कोल	1-5	150
4	रा. आ. प. वि., झांसी	झाँसी (झाँसी)	बालक	सहरिया	1-5	150
5	रा. आ. प. वि., तालवेहट	ललितपुर (झाँसी)	बालक	सहरिया	1-6	160
6	रा. आ. प. वि., शिवपुर	वाराणसी (वाराणसी)	बालक	मुसहर	1-5	150
7	रा. आ. प. वि., घोरावल	मिर्जापुर (वाराणसी)	बालक	कोल	1-5	150
8	रा. आ. प. वि., लखनऊरोड	सुल्तानपुर (फैजाबाद)	बालक	मुसहर	1-5	150

कुल क्षमता 1305

तालिका 1.6

गैर-विमुक्त एवं गैर-अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं.	विद्यालय	जनपद एवं मण्डल	जाति	बालक/बालिका	कक्षा	स्वीकृत छात्र सं.
1	रा. आ. प. वि., दुद्धी	मिर्जापुर (वाराणसी)	गैर वि. जनजाति	बालक	1-8	175
2	रा. आ. प. वि., चोपन	मिर्जापुर (वाराणसी)	गैर अनु. जनजाति	बालक	1-5	150
3	रा. आ. प. वि., राबर्टस गंज	मिर्जापुर (वाराणसी)	”	बालिका	1-5	150

कुल क्षमता 475

तालिका 1.7

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं.	विद्यालय	जनपद एवं मण्डल	जाति	बालक/बालिका	कक्षा	स्वीकृत छात्र सं.
1	विकास विद्यालय हाईस्कूल ईश्वर शरण आश्रम	इलाहाबाद (इलाहाबाद)	विमुक्त जाति	बालक	1-10	245
2	आश्रम रीति विद्यालय	सहारनपुर (मेरठ)	"	बालक	1-8	175
3	प्रगति आश्रम हाईस्कूल बाला गंज	लखनऊ (लखनऊ)	"	बालक	1-10	245
						कुल क्षमता 665

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में दुर्बलतर एवँ कमजोर वर्ग में सम्मिलित विभिन्न जातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आश्रम पद्धति विद्यालय राजकीय एवँ स्वैच्छिक संस्थाओं के नियन्त्रण में कार्यरत हैं। यह उल्लेखनीय है कि शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से *'पिछड़ी जातियों'* की शिक्षा हेतु *अब तक* राजकीय *अथवा निजी क्षेत्र* में किसी आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकता है कि विभिन्न दुर्बलत्तर जातियों/वर्गों हेतु उपलब्ध विद्यालयों एवं उनमें छात्र प्रवेश संख्या कितनी है :

तालिका 1.8

उत्तर प्रदेश में दुर्बलतर वर्गीय विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध आश्रम पद्धति विद्यालय एवँ उनकी प्रवेश क्षमता

विद्यालय का नियन्त्रण	दुर्बलतर जाति/वर्ग जिसके लिए आश्रम पद्धति विद्यालय हैं	विद्यालयों की संख्या	कुल स्वीकृत छात्र क्षमता
राजकीय	1. अनुसूचित जनजातियाँ	09	1420
	2. अनुसूचित जातियाँ	12	1430
	3. विमुक्त जातियाँ	14	1356
	4. गैर-अनुसूचित एवं गैर-विमुक्त जनजातियाँ	03	475
	5. पिछड़ी जातियाँ	00	000
स्वैच्छिक संगठन	1. विमुक्त जातियाँ	03	665
	प्रादेशिक महायोग	41	5346

अध्याय ३

आश्रम पद्धति विद्यालयों का प्रशासन एवं संगठन

3.1 इतिहास—

उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन का मौलिक दायित्व हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत स्थापित हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय का रहा है। यहाँ पर वर्तमान हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (निदेशालय) का संक्षिप्त इतिहास उल्लेखनीय है। 1948-49 में **'हरिजन सहायक विभाग'** की स्थापना हुई। इससे पूर्व अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को कुछ शैक्षिक सुविधाएँ विभाग द्वारा दी जाती थी। अपराधी जातियों के कल्याणार्थ एक अलग विभाग 1940-41 से 'रिक्लीमेशन विभाग' के नाम से चल रहा था, जो जो रिक्लीमेशन अधिकारी के अधीन था। इस कार्य को हरिजन सहायक विभाग में सम्मिलित कर दिया गया। वर्ष 1955 में 'समाज कल्याण विभाग' की स्थापना की गयी जिसे वर्ष 1961 में अलग विभाग मानते हुए हरिजन कल्याण विभाग में निदेशक के अधीन कर दिया गया। सामंजस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग-अलग चल रहे हरिजन कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977-78 में सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर **'हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग''** कर दिया गया। कालान्तर में अनुसूचित जनजातियों की साँस्कृतिक, पारिवारिक एवं सामुदायिक समस्याओं के द्रुतगति से निवारणार्थ एवं उन पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु पृथक प्रयास करने के उद्देश्य से 6 नवम्बर 1984 को एक पृथक ''जनजाति विकास निदेशालय'' की स्थापना की गयी। इससे पूर्व अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास का दायित्व हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ही निहित था।

3 2 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग स्तर पर प्रशासनिक ढांचा

निदेशालय स्तर पर एक निदेशक के नियन्त्रण में अपर निदेशक सहित, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी, संख्या अधिकारी, सम्प्रेक्षा अधिकारी, शोध अधिकारी द्वारा प्रदेश में चल रही शैक्षिक (आश्रम पद्धति विद्यालय) योजनाओं को सम्पादित किया जाता है। यह निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। विभाग के प्रशासनिक ढांचे को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :—

1. मन्त्रालय हरिजन एवं समाज कल्याण

1. कैबिनेट मन्त्री
↓
2. राज्य मन्त्री
↓
3. उप मन्त्री

2. शासन सचिवालय स्तर

1. सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण
↓
2. विशिष्ठ सचिव
↓
3. संयुक्त सचिव
↓
4. उप सचिव
↓
5. अनुभाग अधिकारी

3. निदेशालय स्तर
(अ) निदेशालय
हरिजन एवं समाज कल्याण

1. निदेशक
↓
2. अपर निदेशक
↓
3. संयुक्त निदेशक
↓
4. उप निदेशक
↓
5. सहायक निदेशक (योजना समन्वय अधिकारी)
↓

विशेष अधिकारी	सहायक अधिकारी	जिला हरिजन अधिकारी	अपर जिला धिकारी (ह.क')	लेखाधिकारी	शोध अधिकारी	संस्थापन अधिकारी

↓ (अपर जिला धिकारी (ह.क') से)
अराजपत्रित अधिकारी
↓
लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

4.	मण्डल स्तर पर	1. उप निदेशक या सहायक निदेशक
5.	जनपदीय स्तर पर	1. जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी
6.	संस्था के स्तर पर	1. प्रधानाचार्य (हाई स्कूलों में) या अधीक्षक (जू. हा. स्तर तक)
	(अ) जनजाति विकास निदेशालय	1. निदेशक, जनजाति विकास विशेष अधिकारी (जनजाति) जनजाति अधिकारी कार्यालय अधीक्षक लेखाकार सहकारिता निरीक्षक

नोट :--1 प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के तीन जनपदों—गोरखपुर, बहराइच एवं बिजनौर में अनुसूचित जनजाति के विकास का कार्य जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं दो जनपदों—खीरी तथा गोण्डा में तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विकास का कार्य जिला-अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। विभागीय शैक्षिक विकास का कार्य प्रदेश के सभी जनपदों में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

2. विमुक्त जातियों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय निजी प्रबन्धकों एवं न्यासों द्वारा संचालित तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित हैं। *इन विद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएं तालिका 4.2 में अंकित हैं।*

3.3 आश्रम पद्धति विद्यालयों का आंतरिक प्रशासन एवं संगठन—

विद्यालयीय स्तर पर संस्थाध्यक्ष (हाई स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या एवं जू.हा. स्तर तक अधीक्षक/अधीक्षिका) संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। परन्तु जू. हा. स्तर तक अधीक्षक/अधीक्षिका को आहरण वितरण सम्बंधी वित्तीय अधिकार प्राप्त न होने से वित्तीय प्रशासन (व्यवस्था) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के नियंत्रणाधीन है। इस प्रकार *जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संस्था के स्तर पर* (हाईस्कूलों को छोड़कर) मुख्य

नियंत्रक है जबकि स्वैच्छिक संस्थाओं में यह कार्य प्रबंधक के अधीन है। वित्तीय नियंत्रण के साथ ही अपरोक्ष रूप से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी स्थानीय स्तर पर सामान्य व्यवस्था एवं प्रशासन के संचालक होते हैं। जबकि हाईस्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या में आहरण वितरण अधिकार निहित होने से वित्तीय व्यवस्था के साथ ही सामान्य प्रशासन का दायित्व प्रत्यक्ष रूप से प्रधानाचार्य का ही होता है।

उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों के आंतरिक संगठन, कर्मचारियों के सृजित पदों, वेतनमान एवं मानदेयों, विद्यालय के स्तर, उपलब्ध सुविधाओं, भूमि एवं भवन की व्यवस्था आदि में पर्याप्त भिन्नता है। इसके कारण प्रायः संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्था में भी एकरुपता नहीं रह पाती है। आंतरिक प्रशासन तथा कार्य विभाजन को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है :

(अ) हाई स्कूल स्तरीय—

अधिकारी/कर्मचारी	कार्य/दायित्व
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या	विद्यालयीय व्यवस्था
अधीक्षक/अधीक्षिका	छात्रावासीय व्यवस्था
सहायक अधीक्षक/अधीक्षिका	
गृह माता	
वरिष्ठ लिपिक एवं अन्य मंत्रालिक कर्मचारी	कार्यालय व्यवस्था
अध्यापक मण्डल	शैक्षणिक व्यवस्था
मनोवैज्ञानिक	मनोवैज्ञानिक परीक्षण व आंकड़ों का रख-रखाव
व्यायाम/संगीत शिक्षक	सहपाठ्यक्रमीय व्यवस्था
नियमित परिचारक एवं अंशकालिक चिकित्सक	चिकित्सकीय व्यवस्था

(आ) जूनियर हाई स्कूल स्तरीय विद्यालय—

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी

अधीक्षक

सहायक अधीक्षक

गृहमाता

छात्रावास अधीक्षक

(इ) प्राथमिक स्तरीय विद्यालय

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी

अधीक्षक

(गृहमाता केवल कुछ विद्यालयों में)

मनोवैज्ञानिक/संगीत/व्यायाम शिक्षक/परिचारक आदि शिक्षक	शिक्षक/परिचारक
मंत्रालयिक कर्मचारी	कार्यालय कर्मचारी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

उपरोक्त व्यवस्था किसी विद्यालय विशेष पर आधारित न होकर एक सामान्यीकृत रूपरेखा के आधार पर है । फिर भी संख्या के प्रमुख कर्मचारियों के विस्तृत कार्य विवरण से आंतरिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को आगे और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । यहाँ उल्लेख कर देना समीचीन होगा कि विभाग द्वारा कोई मानक व्यवस्था फिल-हाल उपलब्ध नहीं है ।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर के तत्वावधान में आयोजित उ. प्र. के आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षक/अधीक्षिका की एक संगोष्ठी में इन विद्यालयों के आंतरिक प्रशासन एवं संगठन तथा विभिन्न स्तर पर कार्यों व दायित्वों का विभाजन पर विचार विमर्श किया गया । इस विचार विमर्श के फलस्वरूप निम्न रूपरेखा स्पष्ट हुई :

3.4 कार्यों व दायित्वों का विभाजन—

(1) प्रधानाचार्य/अधीक्षक—

(1) बजट का वित्तीय नियमों तथा निदेशालय के निर्देशों के अनुरूप समय के व्यय हेतु प्रस्ताव करना एवं सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करना ।

(2) शिक्षण कार्य ।

(3) विद्यालय में पूर्ण अनुशासन स्थापित करना ।

(4) विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था बनाये रखकर बच्चों के नैतिक तथा शैक्षिक स्तर को उन्नत करना ।

(5) अधीनस्थ कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना ।

(6) मासिक/अर्द्ध वार्षिक/वार्षिक परिक्षाओं की व्यवस्था करना ।

(7) विभागीय कार्य एवं अनुदेशों की अनुपालना करना ।

(8) विद्यालय के समस्त अध्यापकों व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना तथा अध्यापकों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना ।

(9) भण्डार (स्टोर) का वर्ष में दो बार भौतिक सत्यापन करना ।

(10) छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रावास के बच्चों के भोजन, वस्त्र की व्यवस्था का समय-समय पर निरीक्षण करना एवं आवश्यक निर्देश देना ।

(11) विद्यालय में होने वाले निर्माण कार्य अथवा वार्षिक मरम्मत कार्य आदि को संतोषप्रद ढंग से पूरा करवाना ।

(12) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य का विभाजन एवं निरीक्षण करना ।

(13) अधीक्षक को आहरण वितरण अधिकारी के कार्य में सहयोग करना जबकि प्रधानाचार्य स्वयं आहरण वितरण अधिकारी होते हैं ।

(14) सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल-कूद आदि कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था करना ।

(15) अधीनस्थ कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी अथवा प्रायोजना अधिकारी को प्रेषित करना ।

(16) छात्रावास उपस्थिति रजिस्टर रखना अथवा समय-समय पर उसकी जाँच करना ।

(17) भंडार से प्राप्ति सामान के प्राप्त एवं वितरण रजिस्टर की जाँच करना ।

(18) भोजनालय में कार्य करने वाले रसोइयों तथा अन्य कर्मचारियों को उचित मार्ग निर्देश प्रदान करना ।

(19) कार्यालयीन कार्य का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण ।

(20) शैक्षिक कार्य का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण ।

(21) छात्रावास के पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण की व्यवस्था हेतु उचित निर्देशन एवं निदान की व्यवस्था ।

(2) छात्रावास/सहायक अधीक्षक/गृहमाता

(1) छात्रावासीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना ।

(2) छात्रोपयोगी (शिक्षण के अतिरिक्त) आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार माँग-पत्र बनाना ।

(3) प्राप्त सामग्री का आवश्यकता एवं निर्देशानुसार वितरण करना ।

(4) अभिलेखों का रख-रखाव ।

(5) शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करना ।

(3) परिचारक/परिचारिका

(1) छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सामान्य स्वच्छता की जांच करना ।

(2) प्राथमिक उपचार देना ।

(3) अंशकालिक चिकित्सक के परामर्श से छात्र/छात्राओं का उपचार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल करना ।

(4) संस्थाध्यक्ष/अंशकालीन चिकित्सक के निर्देशानुसार अन्य कार्य का सम्पादन करना ।

(4) मनोवैज्ञानिक

छात्र/छात्राओं का मनो-वैज्ञानिक परीक्षण करना तथा उनकी समायोजन संबंधी समस्याओं का निदान तथा उपचार करना ।

(5) शिक्षक

संबंधित विषय का अध्ययन करना तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का निदान तथा उपचार करना ।

3.5 आश्रम पद्धति विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम

विद्यालयीय दिनचर्या को साधारणतया तीन कोटियों में विभक्त किया जा सकता है—

(क) प्रशासकीय (स्टाफ)

(ख) शिक्षणेत्तर (छात्र)

(ग) शिक्षण (छात्र)

विद्यालय प्रशासन का प्रमुख जू. हा. स्तर तक अधीक्षक एवं हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्य होते हैं । इसके अतिरिक्त वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, स्टोरकीपर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करते हैं । कार्यविधि प्रदेश सरकार के अन्य कार्यालयों की भांति 10 बजे प्रात: से 4 बजे सायं तक होती है । इसमें कर्मचारियों के स्थापना विषयक, वित्तीय, खाद्यान्नादि क्रय, भण्डारण, पत्राचार आदि कार्य सम्पन्न किये जाते हैं ।

शिक्षण कार्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों, कार्यविधि एवं विषयों के अनुरूप किया जाता है । इसके लिये प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त होते हैं । ग्रीष्मकाल में विद्यालय का समय 7 से 12 बजे तक का होता है जिसमें 15 मिनट का मध्यान्तर होता है। शीतकाल 10 से 3.30 तक विद्यालय में शिक्षण कार्य होता है जिसमें 30 मिनट का मध्यान्तर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय विद्यालयों के अनुरूप समय में परिवर्तन किया जाता है । वर्ष में 40 दिन का सत्रीय अवकाश होता है । मैदानी क्षेत्रों में यह अवकाश 21 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश के रूप में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह के बीच शीतकालीन अवकाश के रूप में होता है ।

शिक्षणेत्तर कार्यों में शारीरिक व्यायाम, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय के समय के अतिरिक्त प्रात: अथवा सायं भी किया जाता है । इसमें शारीरिक व्यायाय एवं खेलकूद प्राय: नित्य ही कराये जाते हैं । सप्ताह में एक दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें छात्रों के शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण मुख्य रूप से होता है । जू. हा. स्तर

के कुछ विद्यालयों में इसके लिये शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक, संगीत अध्यापक एवं क्राफ्ट के अध्यापक भी नियुक्त हैं। प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त गृहमाता बच्चों को मातृवत स्नेह देने के साथ ही सांस्कृतिक एवं शिक्षणेत्तर कार्यों में भी सहयोग करती हैं।

विद्यालय में विद्यार्थियों की दिनचर्या को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है—

तालिका

(ग्रीष्मकालीन विद्यालयीय दिनचर्या)

क्र. सं.	समय	कार्य विवरण
1.	4.30 प्रातः	जागरण एवं प्रार्थना
2.	5.00 से 6.30 तक	शौचादि से निवृत्ति, उपस्थिति, शारीरिक व्यायाम, स्नानादि
3.	6.30 से 6.45 तक	नाश्ता अथवा चाय
4.	6.45 से 7.00 तक	विद्यालय की तैयारी एवं सामूहिक
5.	7.00 से 12.00 तक	विद्यालयीय प्रार्थना शिक्षण कार्य
6.	12.00 से 12.30 तक	मध्यान्ह् भोजन
7.	12.30 से 3.30 तक	विश्राम एवं गृह कार्य
8.	3.30 से 4.00 तक	स्वास्थ्य की देखरेख एवं औषधि वितरण
9.	4.00 से 4.30 तक	नाश्ता अथवा दूध वितरण
10.	4.30 से 5.30 तक	वाचनालय अध्ययन अथवा खेलकूद
11.	5.30 से 6.30 तक	शौचादि से निवृत्ति
12.	6.30 से 7.00 तक	सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना, उपस्थिति
13.	7.00 से 8.00 तक	रात्रि भोजन
14.	8.00 से 10.00 तक	अध्ययन एवं स्वाध्याय
15.	10.00 से 4.30 प्रातः तक	शयन

तालिका

शीतकालीन विद्यालयीय दिनचर्या

क्रम	समय	चर्या
1	6.00 प्रातः	जागरण, सामूहिक प्रार्थना
2	6.00–7.00	शौचादि से निवृत्ति, शारीरिक व्यायाम, स्नानादि
3	7.00–7.30	नाश्ता
4	7.30–9.00	स्वाध्याय, विद्यालय की तैयारियाँ, स्वास्थ्य की देख-रेख
5	9.00–9.30	भोजन
6	9.30–9.45	विद्यालय की तैयारी
7	9.45–10.00	विद्यालयीय प्रार्थना, उपस्थिति आदि
8	10.00–3.30	अध्ययन
9	3.30–4.00	नाश्ता/दूध
10	4.00–6.00	वाचनालय, खेलकूद, औषधि वितरण, स्वास्थ्य की देख-रेख
11	6.00–6.45	शौचादि से निवृत्ति
12	6.45–7.30	भोजन
13	7.30–10.00	स्वाध्याय, गृहकार्य, अन्य कार्य
14	10.00–6.00 प्रातः तक	शयन

3.6. उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों में विद्यार्थियों की चयन विधि

(1) चयन हेतु शासकीय नीति —

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रायोजना अधिकारी, अधीक्षक, प्रधानाचार्य आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु अपने जिले तथा आसपास के जिलों से अधिकाधिक प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार हेतु प्रयास करेंगे । आश्रम पद्धति विद्यालयों के जिले तथा इस जिले की सीमा पर स्थित जिलों में हरिजन तथा जनजाति कल्याण के क्षेत्रीय कर्मचारी अपने दौरों के समय इसका विशेष ध्यान रखेंगे और प्रत्येक कर्मचारी की एक निश्चित संख्या निर्धारित की जायेगी जिस संख्या में वे बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करेंगे ताकि योग्य बच्चों के आवेदन पत्र उपलब्ध हो जायें । प्रधानाचार्य/अधीक्षक भी अपनी ओर से यथा सम्भव इस ओर प्रयास करेंगे ।

(2) विद्यालय में उसी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा जिसके लिए वे खोले गये हैं ।

(3) बच्चों के माता पिता या अभिभावक निर्धारित प्रपत्र पर अपने बच्चों के प्रवेश के लिये आवेदन पत्र देंगे । ये आवेदन पत्र कार्यालय जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी/ प्रायोजना अधिकारी अथवा आश्रम पद्धति विद्यालय के कार्यालय में उपलब्ध होंगे ।

(4) आवेदन पत्र प्रधानाचार्य/अधीक्षक आश्रम पद्धति विद्यालय के यहाँ प्राप्त किये जायेंगे । इनके प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून होगी । (अब 20 अप्रैल) प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के उपरान्त इनको एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा, जिसमें बच्चें उसके माता-पिता अभिभावक का नाम, पूरा पता, आयु, जाति तथा आमदनी इत्यादि सभी का विवरण होगा ।

(5) हाईस्कूल तक प्रवेश का निर्णय एवं अधिकार प्रधानाचार्य/जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी/प्रायोजना अधिकारी को होगा तथा जूनियर हाईस्कूल तक के विद्यालयों में इस कार्य को अधीक्षक, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी/प्रायोजना अधिकारी करेंगे । प्रवेश के मामले में निर्णय 10 जुलाई तक (25 अप्रैल तक) ले लिया जायेगा और तुरन्त ही चुने गये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को इसकी सूचना पत्र द्वारा संस्था के प्रधानाचार्य/अधीक्षक द्वारा दी जायेगी।प्रवेश किये गये छात्रों की सूची प्रधानाचार्य/अधीक्षक निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण को भी भेजेंगे ।

(6) प्रवेश देते समय निम्न का ध्यान रखा जायेगा—

(अ) *निर्धन बच्चों को वरीयता दी जायेगी ।*

(ब) योग्य एवं तीव्र बुद्धि के बच्चों को भी वरीयता दी जायेगी ।

(स) आदिम जाति/विमुक्त जातियों में की अधिक पिछड़े वर्गों के बच्चों को वरीयता दी जायेगी।

(द) प्रवेश करते समय यह ध्यान रखा जाय कि (यदि संस्था कई जाति के बच्चों के लिये हैं) किसी एक ही जाति के बच्चों का विशेष बाहुल्य न हो जाये वरन विभिन्न जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाय, जिन्होंने कि आवेदन पत्र दिये हो।

(7) माता-पिता अथवा अभिभावक प्रवेश की सूचना मिलने पर अपने बच्चों को आश्रम पद्धति विद्यालय में लायेगें और प्रवेश हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे--

(अ) **जाति प्रमाण पत्र** जो किसी राजत्रित अधिकारी, संसद सदस्य, विधान सभा/परिषद राज्य सभा, अध्यक्ष, जिला परिषद, अध्यक्ष नगर पालिका, सहायक विकास अधिकारी (जनजाति) तथा जनजाति निरीक्षक द्वारा दिया गया हो।

(ब) आमदनी का प्रमाण पत्र

(स) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र-यदि बच्चा प्रवेश के पहले दूसरे विद्यालय में पढ़ा हो।

(द) स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र किसी रजिस्टर्ड डाक्टर या वैद्य द्वारा दिया गया हो।

(8) प्रवेश के समय बच्चे की आयु सीमा शिक्षा संहिता तथा सम्बन्धित शासकीय आदेशों के अनुसार निर्धारित मानी जायेगी।

(9) जूनियर हाईस्कूल तक के विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 में प्रवेश दिया जायेगा तथा हाई स्कूल तक के विद्यालयों में कक्षा 1, 6 तथा 9 एवं इण्टर कालेज में कक्षा 1, 6, 9 तथा 11 में प्रवेश दिया जायेगा। यदि इसके उपरान्त किन्हीं कक्षाओं में स्थान रिक्त हैं, तो उनमें भी नियमानुसार बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रकार के बच्चों का चरित्र, आचरण तथा योग्यता पर भली प्रकार विचार करके ही प्रवेश दिया जायेगा।

(10) प्रवेश के समय बच्चे के माता-पिता/अभिभावकों से एक अनुबन्ध भी कराया जायेगा कि यदि बच्चा विद्यालय से स्वेच्छा से भाग जाता है या उसके द्वारा उसको दिया गया सामान खो दिया जाता है तो ऐसे सामान अथवा उसका मूल्य उनसे वसूल किया जायेगा। निदेशक इस तरह की हुई हानि को राइट आफ कर सकते हैं।

(2) **चयन विधि** :--

सैद्धान्तिक रूप से उपर्युक्त विधि का पालन करने का पूरा प्रयास किया जाता है, परन्तु आश्रम पद्धति विद्यालय समाज के दुर्बलतर वर्गों के बच्चों के लिये होते हैं। इस वर्ग के लोगों पर सामान्य प्रचार साधनों का प्रभावशाली असर नहीं हो पाता है। परिणामतः अनेक विद्यालयों में पूरी क्षमता

में छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाता है। कभी-कभी प्रविष्ट छात्र भी घर जाने पर वापस नहीं आते हैं। उनके माता-पिता भी समाज के उच्च वर्गों के बहकाने में आकर अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने से कतराते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विमुक्त जातियों के दुर्बलतर एवं गरीब आर्थिक अभावों में आज भी धनी एवं उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बंधुवा मजदूर सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके बच्चों के प्रवेश को उच्च वर्ग के लोग अनेकों प्रकार से हतोत्साहित करते हैं। प्रवेश की उपर्युक्त उल्लिखित सामान्य औपचारिकताओं जैसे जाति एवं आय प्रमाण पत्र को भी पूरा करवाने में पिछड़ा एवं गरीब तबका अपने को असमर्थ पाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय परिसर से अपरिचित होने के कारण अपने छोटे-छोटे बच्चों को दूसरे के भरोसे छोड़ने में डरता एवं संकोच करता है।

अतएव अनेकों बार प्रधानाचार्य/अधीक्षक उपर्युक्त कठिनाइयों के निवारणार्थ स्वयं अथवा स्टाफ के सहयोग से अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश को बढ़ावा देते हैं। अभिभावकों एवं भूतपूर्व छात्रों को पत्र (देखिए परिशिष्ट) लिखकर विशेष अवसरों (उदाहरणार्थ 15 अगस्त, 26 जनवरी अथवा विद्यालयीय समारोह आदि) पर आमन्त्रित करते हैं ताकि उनका संस्था से सीधा सम्पर्क हो सके। इस प्रकार छात्रों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। क्षमता के अनुरूप प्रवेश दिलाने हेतु उस जाति विशेष के लोगों का सम्मेलन भी बुलाया जाता है ताकि शैक्षिक परिवेश से परिचित एवं प्रभावित होकर अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलावें।

गरीब एवं दुर्बलतर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने में अनेक औपचारिकताओं को शिथिल करके भी प्रवेश दिया जाता है। उदाहरणार्थ आय एवं जाति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान के स्तर से ही लेकर, उनके जाति एवं आय का विभागीय रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाना। स्वीकृत क्षमता के अनुरूप जाति विशेष के दुर्बलतर एवं पिछड़े वर्गों से बच्चों के प्रवेश का मुख्य दायित्व संस्था के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक का होता है। अतएव उल्लिखित नीतियों का यथा शक्य अनुपालन करते हुये प्रधानाचार्य अथवा अधीक्षक अपनी सन्तुष्टि एवं विवेकाधिकार के अनुरूप छात्रों का प्रवेश करते हैं।

अध्याय ४

आश्रम पद्धति विद्यालयों के संसाधन

उत्तर प्रदेश में अधिकांश आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना 1967 के बाद ही हुई है अतः इनका इतिहास अधिक पुराना नहीं है।

इन विद्यालयों में 27 अनुसूचित एवं वियुक्त जन जातियों तथा 10 अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत हैं। प्रबंधकीय व्यवस्था के अनुसार 34 विद्यालय राजकीय एवँ 3 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त इनकी स्थापना प्रायः भिन्न-भिन्न वर्षों में हुयी है। केवल वर्ष 1983-84 में नवस्थापित 6 विद्यालयों (प्रतापगढ़, बबेरू, आजमगढ़, कादीपुर, कोरारी, इलाहाबाद एवँ (रायबरेली) में एकरूपता है। अतः कक्षा, स्थापना वर्ष, स्तर, प्रशासन आदि की भिन्नता के कारण प्राप्त बजट, सृजित पदों, भूमि-भवन आदि की स्थिति में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती हैं।

4.1 भौतिक संसाधन --

(1) *भूमि* **एवं भवन**—*प्रायः विद्यालय किराये के भवन में संचालित हैं। किराये वाले विद्यालय भवन यदि शहरी क्षेत्र में स्थित है तो उनमें स्थानाभाव की समस्या है। कहीं-कहीं खेल के मैदान भी नहीं हैं जबकि कुछ विद्यालयों के निजी भवन हैं जो या तो विभाग ने भवन स्वामी से क्रय कर लिया है अथवा विभाग द्वारा निर्मित कराये गये/कराये जा रहे हैं।*

(2) **छात्रावास** -- विद्यालय एवं छात्रावास एक ही कैम्पस में अवस्थित होते है। यदि विद्यालय के अध्ययन कक्ष के लिए अलग से कमरे उपलब्ध नहीं हैं तो छात्रावास में ही शिक्षण कार्य भी किया जाता है।

(3) **साज-सज्जा** किराये के भवनों में साज-सज्जा का दायित्व यद्यपि भवन स्वामी का भी होता है, परन्तु उपलब्ध बजट के अनुरूप शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

(4) **पेयजल की व्यवस्था** – प्रायः जल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प, कुएँ एवँ पब्लिक वॉटर सप्लाई के नलों की सुविधा उपलब्ध है। कुछ जू. हा. एवँ हाई स्कूलों में विभागीय ट्यूबवेल एवँ वाटर टैंक भी हैं।

(5) **खेल के मैदान**—खेल के मैदानों की उपलब्धता के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं है। निजी स्वामित्व वाले विद्यालयों में पर्याप्त खेल के मैदान हैं जबकि किराये के विद्यालय भवनों में कहीं-कहीं अपेक्षाकृत पर्याप्त मैदान नहीं हैं। ऐसी दशा में समीप के खेल मैदान का उपयोग किया जाता है।

(6) **शौचालय**—शौचालय की भी व्यवस्था भवन एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार है। कुछ विद्यालयों में पर्याप्त सुविधा नहीं हैं।

4.2 वित्तीय संसाधन—

प्रत्येक विद्यालय के लिए स्थापना एवं माल सम्पूर्ति मद में नियमानुसार धनावंटन प्राप्त होता है। कुछ मदों में व्यय निर्धारित होते हैं जबकि माल सम्पूर्ति के शेष मदों में आवन्टन, मांग औचित्य एवं उपलब्धता के अनुरूप होता है। मदों के शीर्षक निम्नवत हैं—

(क) स्थापना मद—वेतन, महंगाई, अन्तरिम सहायता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, भवन किराया एवं उपशुल्क, यात्रा भत्ता, आदि।

(ख) माल सम्पूर्ति—दूध सहित भोजन, वस्त्र, छात्र लेखन, क्रीडा, रसोई उद्यान, मरम्मत, वाचनालय, प्रकाश, पुस्तकालय एवं वाचनालय, विविध आदि।

उपरोक्त में पूर्व निर्धारित मदों का विवरण निम्नवत है—

1—पर्वतीय क्षेत्र में भोजन मद में प्रतिछात्र प्रति माह रुपया	100=00
2—पर्वतीय क्षेत्र में सूती में सूती ऊनी वस्त्र व्यवस्था हेतु प्रति वर्ष प्रतिछात्र रुपया	150=00
3—मैदानी क्षेत्र में प्रतिमाह प्रतिछात्र भोजन मद में रुपया	125=00
4—प्रति छात्र सूती वस्त्र व्यवस्था	70=00
5—जूनियर हाई स्कूल तक प्रति छात्र प्रतिवर्ष छात्र स्टेशनरी हेतु	30=00
6—हाई स्कूल स्तर पर प्रति छात्र प्रतिवर्ष छात्र स्टेशनरी हेतु	35=00

भोजन एवं वस्त्र की वर्तमान दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

—

अध्याय ५

छात्रों को प्रदत्त सामग्री व सुविधाएं

5.1 सामग्री

5.1.1 दैनिक प्रयोग की वस्तुएँ—

(1) सन्दूक-एक
(2) ताला चाबी—एक (उपलब्धता के आधार पर)
(3) तख्त/चारपाई—एक
(4) दरी/गद्दा—एक
(5) चद्दर बिछाने की—एक/दो
(6) चद्दर ओढ़ने की—एक
(7) थाली स्टील/पीतल—एक
(8) लोटा/गिलास—एक
(9) कटोरी—एक/दो
(10) चम्मच—एक/दो
(11) कम्बल—दो/तीन/चार

5.1.2 वेशभूषा

(1) शर्ट—दो
(2) पेन्ट—दो
(3) पाजामा—एक
(4) जाँघिया—दो
(5) तौलिया—एक
(6) जूता/मोजा—एक जोड़ी
(7) बनियान—एक/दो
(8) ऊनी जरकिन—एक
(9) ऊनी-टोपी एक

5.1.3 राशन तथा भोजन

1. चावल/आटा प्रति मीटिंग प्रति छात्र 250/200 ग्राम
2. दाल 60/50 ग्राम
3. सब्जी 200/150/100 ग्राम
4. चना नाश्ते में 60/50/40 ग्राम भूनकर/तलकर/भिगोकर
5. दूध 200 ग्रा./100 ग्रा.
6. मसाला 3 ग्रा./2 ग्रा./1 ग्रा.
7. तेल छौंकने हेतु 5 ग्रा./3 ग्रा./2 ग्रा./1 ग्रा.
8. तेल मालिश हेतु 3 ग्रा./2 ग्रा.
9. ईंधन—औसतन
10. नाश्ते में चने के अतिरिक्त सूजी, पकौड़ी, बिस्कुट, लइया, चाय, दलिया आदि की भी व्यवस्था होती है ।
11. गुड़/चीनी 30/25/20/15 ग्रा.

5.2 सुविधाएँ

5.2.3 चिकित्सा सुविधाएँ

प्रत्येक छात्र को आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार एवं बीमारी की हालत में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अंशकालीन चिकित्सक के परामर्श से उपलब्ध करायी जाती है ।

5.2.4 अन्य सुविधाएं

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को नियमानुसार तेल मालिश, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन, ब्रुश, मंजन, शीशा, कंघी, आदि उपलब्ध बजट के अनुसार दिया जाता है । प्रत्येक छात्र की बाल कटिंग प्रतिमाह अथवा आवश्यकतानुसार करायी जाती है । दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुयें संवासी छात्रों को उपलब्ध करायी जाती हैं ।

5.2.1 शैक्षिक सुविधाएँ

शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत विषयों के शिक्षण की व्यवस्था एवं सुविधा संस्था में ही उपलब्ध करायी जाती है । इसके लिए शिक्षा विभाग की भाँति ही हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति निहित योग्यताओं एवं शर्तों के अनुरूप की जाती है ।

विषय अध्यापकों के अतिरिक्त कला अध्यापक, संगीत अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक तथा मनोवैज्ञानिक का पद भी कहीं-कहीं स्वीकृत है। शिक्षण एवं परीक्षा व्यवस्था शिक्षा विभाग के समानान्तर ही हैं।

संवासी छात्रों को समस्त पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तकें, कापियाँ, कलम, स्याही आदि निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। विद्यालय में ही उनके शिक्षक की व्यवस्था होती है। समय सारिणी लगभग शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार ही संस्थाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें उपलब्ध स्टाफ एवं सुविधा तथा स्वीकृत कक्षाओं के अनुसार भिन्नता भी पायी जाती है।

बच्चों को पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालादि (जू. हा. एवं हा. स्कूल स्तर पर) की भी सुविधा होती है। जू. हा. एवं हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान कक्षा अथवा प्रयोगशाला की व्यवस्था होती है। पुस्तकालय में अध्यापित विषय के अतिरिक्त सामान्य, ज्ञान भाषा, साहित्य एवं अन्य विविध विषयों से सम्बन्धित पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था उपलब्ध बजट के अन्तर्गत की जाती है।

5 2 2 पाठ्य सहगामी सुविधाएँ

आश्रम पद्धति विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त उनके अवकाश काल के सदुपयोग एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। कुछ क्रियाऐं नित्य की दिनचर्या के अंग होते हैं जैसे सामूहिक व्यायाम आदि। कुछ क्रियाऐं साप्ताहिक अथवा आवर्त्तीय आधार पर आयोजित की जाती हैं जैसे विशिष्ट खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल सभा आदि।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायः विद्यालयों में दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे रेडियोग्राम, टेलीविजन आदि भी उपलब्ध हैं। इनमें शैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखने सुनने की व्यवस्था छात्रों की दिनचर्चा में बनायी जाती है।

जिन विद्यालयों में संगीत, व्यायाम शिक्षक उपलब्ध हैं, उनकी सहायता से अन्य विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं।

अध्याय ६

आश्रम पद्धति विद्यालयों की समस्याएं एवं समाधान

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर के तत्वावधान में उपरोक्त विषयक एवं संगोष्ठी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थस (पुरुष) निशातगंज, लखनऊ में दिनांक 5-3-87 से 7-3-87 तक आयोजित की गयी। उक्त गोष्ठी में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की समस्याओं एवं उनके समाधान पर सम्यक विचार विमर्श किया गया।

उक्त गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों की समस्याओं को तीन वर्गों में विभक्त कर उनका अध्ययन किया गया और उनके समाधान सुझाये गये।

(1) **प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय समस्याएं**

(2) **शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याएं**

(3) **वैयक्तिक एवं व्यावसायिक समस्याएं**

6.2 प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय समस्याएं एवं उनका निराकरण

इस क्षेत्र में बताई गई समस्याओं का क्रमिक अध्ययन प्रस्तरवार एवं बिन्दुवार निम्नवत उल्लेखनीय है—

(i) **समस्या—आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए विभागीय संगठनात्मक ढाँचे में परिवर्तन**— इस समय प्रदेश में 37 आ. प. विद्यालय प्राथमिक स्तर से हाई स्कूल स्तर तक संचालित हैं। परन्तु विभाग के संरचनात्मक/संगठनात्मक ढाँचे में प्रधानाचार्य/अधीक्षक/शिक्षकों के अतिरिक्त कोई भी प्रशिक्षित अथवा शैक्षिक समस्याओं की जानकारी रखने वाला वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रशिक्षित अधिकारियों का संगठनात्मक ढाँचे में न होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण अनेक समस्याएं विद्यमान हैं जिनके निराकरण की बात ही नहीं सोची जाती है। साथ ही प्रशिक्षित अधिकारियों का पद न होने से अध्यापक/अधीक्षक/प्रधानाचार्य प्रायः अपने मूल पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पदोन्नति का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता है।

समाधान—आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालनार्थ 'आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा परिषद' का गठन किया जाय। अथवा विभाग में ही एक अपर निदेशक (आ. प. विद्यालय) एक उपनिदेशक मुख्यालय तथा जिन जनपदों में आश्रम पद्धति विद्यालय स्थित हों, में एक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित किया जाय। उक्त के लिए सचिव, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा वित्त सचिव, उ. प्र. शासन को संस्तुतियाँ भेजी जायें।

(ii) **समस्या—अधीक्षक के पास वित्तीय एवं आहरण वितरण का अधिकार न होना**—इससे दैनिक व्यवस्था में विशेष कठिनाई होती है तथा समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

समाधान—अतएव अति शीघ्र प्रधानाचार्यों की भाँति अधीक्षकों को भी आहरण वितरण एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जायें। इसके लिए सचिव एवं निदेशक को संस्तुति की जाय।

(iii) **समस्या**—अधिकांश विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं, जिनमें स्थान की अत्यधिक कमी है, फलतः छात्रावास में अध्ययन कक्ष का कार्य भी हो रहा है। साथ ही आवास, भण्डारण, रसोई आदि की समस्या बनी हुयी है। इसके अतिरिक्त भवन किराये पर लेने हेतु अधीक्षक अधिकृत नहीं होते और वर्तमान प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने से कोई भवन स्वामी भवन किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता है।

समाधान—विद्यालय के लिए यथा सम्भव निजी भवन की व्यवस्था की जाय। नये विद्यालय खोलने से पूर्व भवन सम्बन्धी सुविधा का परीक्षण करा लिया जाय, जहाँ भवन के साथ ही कुछ खुली जगह अथवा खेल का मैदान आदि भी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त अधीक्षक को तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, यदि भवन उपलब्ध हो, किराये पर लेने की सुविधा दी जाय एवं किराया निर्धारण की प्रक्रिया सरल बनायी जाय।

(iv) **समस्या**—संवासी छात्रों के भरण पोषण एवं शैक्षिक विकास हेतु प्राप्त धनावंटन काफी पहले से परिवर्तित/परिवर्द्धित नहीं हो सका, जबकि मँहगाई पिछले एक दशक में अत्यधिक बढ़ चुकी है। ऐसी दशा में निर्धारित मदों जैसे भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है।

समाधान—मँहगाई के अनुरूप एवं अन्य संस्थाओं (जैसे नवोदय विद्यालय) के समान माल सम्पूर्ति मद में भरण पोषण सम्बन्धी आवंटन की दरों में वृद्धि की जाय।

(v) **समस्या**—प्रदेश में पिछले वर्षों में नवस्थापित 13 विद्यालयों में अभी तक कक्षा 1 एवं 2 तक ही शिक्षा सुविधा स्वीकृत है, जबकि इनमें प्रति वर्ष एक क्रमोत्तर कक्षाओं को खोला जाना चाहिए था। इससे अपेक्षित प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों के प्रवेश होने में कठिनाई होती है, और किसी निश्चित स्तर तक उपयुक्त व्यवस्था न होने से आश्रम पद्धति विद्यालय उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए इनकी स्थापना हुयी है।

समाधान—कक्षा 1 एवं 2 तक संचालित विद्यालयों में अतिशीघ्र क्रमोत्तर कक्षाएं खोल कर उनका उच्चीकरण कम से कम जू. हा. स्तर अथवा हाई स्कूल स्तर तक किया जाय।

(vi) **समस्या**—प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित तीन विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं वेतन क्रम आदि में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण एवं हरिजन कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अन्तर्विभागीय विषमताएं अनेक स्तरों पर विद्यमान हैं।

समाधान—विभागीय एवं अन्तर्विभागीय स्तर पर विषमताएं समाप्त की जाय।

6.1 शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याएँ—

शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं को निम्नवत वर्गीकृत कर सकते हैं—

(i) **समस्या**—कुछेक संस्थाओं में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि उस जाति विशेष (जिसके लिए संस्था स्वीकृत है) के बच्चों में शैक्षिक अभिरूचि का अभाव, आर्थिक तंगी एवं सामान्य प्रतियोगिता की भावना का अभाव होता है।

समाधान—इस हेतु भूतपूर्व छात्र एवं अभिभावक सम्मेलन बुलाने, दूरस्थ छात्रों को प्रवेश हेतु आने पर मार्ग व्यय की व्यवस्था करने, तथा 10% सीट सामान्य छात्रों के लिए सुरक्षित करना उपयुक्त होगा।

(ii) **समस्या**—विज्ञान कक्ष, विज्ञान किट, पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आदि का अभाव।

समाधान—शिक्षा विभाग की भाँति प्राथमिक स्तर तक संचालित विद्यालयों में विज्ञान किट एवं शिक्षक सहायक सामग्री के क्रय हेतु धनावंटन किया जाय। साथ ही विभाग के अध्यापकों को समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाले पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाय, ताकि उनका ज्ञान अद्यतन बना रह सके।

(iii) **समस्या**—प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 2 तक संचालित विद्यालयों में प्रायः दो ही अध्यापक हैं। जबकि इसी स्वीकृत क्षमता एवं सुविधा में इन विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ायी हो रही है। अतएव अध्यापकों की कमी से शिक्षण कार्य विधिवत पूरा नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर के विद्यालयों एवं कुछ जू. हाई स्तर के विद्यालयों में भी व्यायाम, संगीत, क्राफ्ट के अध्यापक नहीं हैं अथवा उनका पद रिक्त है। इससे छात्रों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित होती है और पढ़ाई के 6 घन्टों के अतिरिक्त समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है।

समाधान—प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत/संचालित कक्षा के अनुरूप शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय तथा प्रत्येक विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक, संगीत अध्यापक, एक व्यायाम प्रशिक्षक तथा एक क्राफ्ट अथवा विज्ञान अध्यापक का पद अवश्य सृजित किया जाय।

(iv) **समस्या**—आश्रम पद्धति विद्यालय के संवासी छात्रों को सामयिक परिस्थितियों से समायोजन, समाज के अन्य व्यावहारिक पक्षों की जानकारी प्राप्त करने, नेतृत्व गुण के विकास, भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक जानकारी आदि के लिये शैक्षिक शिविर, शैक्षिक भ्रमण एवं पर्यटन के कार्यक्रम नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अंर्तजनपदीय, अंर्तप्रांतीय एवं अंर्तविभागीय संस्थाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद-विवाद, खेल-कूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभाग की भाँति नहीं होता है।

समाधन—शैक्षिक भ्रमण, शिविर आयोजन एवं उपरोक्त के अनुसार प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन एवं प्रतिभागियों के सम्मिलित होने हेतु धनावंटन किया जाय। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से निदेशालय स्तर पर लिखा जाय कि वे आश्रम पद्धति विद्यालयों को भी अपने कार्यक्रमों में अवश्य सम्मिलित करें।

6.3 वैयक्तिक एवं व्यावसायिक समस्याएँ

समस्याओं के विभाजन के अंतर्गत कतिपय समस्यायें ऐसी हैं जो प्रशासनिक एवं शैक्षिक होने के साथ ही व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक भी हैं। अतएव नीचे इस प्रकार की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया जा रहा है।

6.3.1 वैयक्तिक

(i) **समस्या**—अधीक्षक का पद अराजपत्रित, आहरण वितरण अधिकार रहित होने से तात्कालिक समस्याओं के निराकरण हेतु उच्चाधिकारियों की स्वीकृति/सहमति प्राप्त करने हेतु परमुखापेक्षी होने से अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई होती है।

समाधान—अधीक्षक का पद राजपत्रित घोषित कर अतिशीघ्र आहरण एवं वितरण अधिकार भी दिया जाय। ज्ञातव्य हो कि ऐसा करने में कोई वित्तीय खर्च निहित नहीं है। इसके अतिरिक्त दो विद्यालयों (मुनस्यारी एवं जोशीमठ) में अधीक्षक का पद पहले से ही राजपत्रित एवं आहरण वितरण अधिकार सहित है।

(ii) **समस्या**—राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान शिक्षा विभाग एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान शिक्षा विभाग एवं अन्य समान कार्य करने वाले कर्मचारियों से काफी कम हैं, जिससे उनमें असन्तोष है। उदाहरण—

	पद	**वेतन क्रम.**
1.	अधीक्षक	625–1240
2.	सहायक अध्यापक (एल. टी.)	540– 910
3.	मनोवैज्ञानिक	515– 860
4.	सहायक अध्यापक (सी. टी.)	450– 720
5.	सहायक अध्यापक (बी. टी. सी.)	365– 555
6.	वरिष्ठ लिपिक	430– 680
7.	कनिष्ठ लिपिक	354– 550
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	305– 390

समाधान—आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को नवोदय विद्यालय (आवासीय) के प्रिंसिपल एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जाय।

(iii) **समस्या** समाज कल्याण एवं हरिजन कल्याण तथा नव स्थापित जनजाति विकास निदेशालय द्वारा संचालित विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में अनेक भिन्नताएँ हैं, जिससे कर्मचारियों में असन्तोष है।

समाधान—उक्त विसंगतियाँ अति शीघ्र समाप्त की जाय। अच्छा हो कि "आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा परिषद" का संगठन कर, आश्रम पद्धति विद्यालयों के समस्त कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि नये सिरे से बनायी जायें ताकि उसमें एकरूपता स्थापित हो सके।

(iv) **समस्या** आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/अधीक्षकों एवं शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर लगभग नहीं के बराबर हैं, जिससे 20 वर्षों से अधिक समय से सेवारत कर्मचारी आज भी

उसी पद पर कार्यरत हैं। अधिकतर लोग अपने मूल पद से ही कार्य मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्य के प्रति स्वाभाविक अरूचि तथा भग्नाशा की प्रवृति विकसित होती है।

समाधान (1) "आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा परिषद" अथवा हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत अपर निदेशक (आ. प. विद्यालय) उप निदेशक (आ. प. विद्यालय) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (आ. प. विद्यालय) का पद सृजित किया जाय। इससे पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ज्ञातव्य हो कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के अतिरिक्त प्रदेश भर की दूसरी शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृति आदि भी वितरित करता है। इस प्रकार अलग शैक्षिक संवर्ग का निर्माण होने से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का कार्य बोझ भी हल्का होगा तथा प्रदेश में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास निदेशालय द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन/प्रशासन में चुस्ती आयेगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित अन्य शैक्षिक उत्थान की योजनाऐं जैसे—पालीटेक्नीक, मूक बधिर विद्यालय, अनुमोदित विद्यालय, विकलांग बच्चों के विद्यालय, अनुसूचित जाति की कोचिंग हेतु संचालित संस्थाऐं, अनु/अनु ज. जा., वि. जा. एवं पिछड़ी जातियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, जनपदों में संचालित हरिजन छात्रावास आदि योजनाओं का समुचित प्रशासन एवं पर्यवेक्षण हो सकेगा। ज्ञातव्य हो कि समाज कल्याण एवं हरिजन कल्याण की योजनायें इतनी अधिक है कि व्यस्तता के कारण जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी इनकी प्रभावी देखरेख नहीं कर पाते हैं।

(2) आश्रम पद्धति विद्यालयों में केवल नीचे के पदों पर जैसे सहायक अध्यापक (बी. टी. सी., सी.टी. या एल.टी.) ही की सीधी भर्ती की जाय। ऊपर के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाय।

(v) **समस्या**—अधीक्षक पद का वरिष्ठता कोटि क्रम सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) अभी तक विभाग में नहीं है। इससे वरिष्ठता की जानकारी न होने से पदोन्नति की अनिश्चितता बनी रहती है।

समाधान—अतिशीघ्र वरिष्ठता कोटि क्रम सूची तैयार करवायी जाय।

(vi) **समस्या**—तीन वर्ष से अधिक सेवावधि के उपरान्त भी नियमानुसार सेवाओं का स्थायीकरण नहीं हुआ है। इससे पदोन्नति, अन्यत्र उच्च वेतन क्रम में प्रति नियुक्ति एवं स्थायी सेवकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता पड़ता है।

समाधान—तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नियमित कर्मचारियों की सेवाओं के स्थायीकरण की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाय।

(vii) **समस्या** आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए योजनाऐं बनाते समय अधीक्षक वर्ग से कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार वेतन समिति अथवा वेतन आयोग को नये वेतनमान स्वीकृति हेतु संस्तुति करने से पूर्व अधीक्षक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं लिया जाता है। इससे कभी कभी वास्तविक समस्याऐं जहाँ की तहाँ रह जाती हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर समस्याओं का अध्ययन कर उनके आधार पर योजनाओं का निर्माण न करके, ऊपर से थोप दी जाती हैं।

समाधान आश्रम पद्धति विद्यालयों के सम्बन्ध में नवीन योजना बनाते समय संस्था से शिक्षकों/अधीक्षक को समिति में अवश्य सम्मिलित किया जाय। साथ ही स्थानीय स्तर पर अनुभूत समस्याओं के निराकरण हेतु विकेन्द्रित स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाय।

(viii) **समस्या** नवीन शैक्षिक पद्धतियों के अनुकूल व्यवस्था हेतु आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षकों/शिक्षकों हेतु किसी प्रकार के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा अभी तक नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा सामंजस्य न होने के कारण ऐसे प्रशिक्षणों में भाग लेने से वंचित रहना पड़ता है।

समाधान—आश्रम पद्धति विद्यालयों की सूची शिक्षा निदेशक उ. प्र., निदेशक, एन. सी. ई. आर. टी. आदि एजेन्यिों को भेजी जाय। इसके अतिरिक्त इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाय।

6.3.2 व्यवसाय परक समस्याऐं

(i) **समस्या**—आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रायः छात्र प्रवेश के लिए दूर दूर से आते हैं। कुछ विद्यालयों में अनेक जनपदों से भी बच्चे आते हैं परन्तु उनके आवागमन हेतु कोई सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती है जिससे बच्चे प्रवेश के समय या छुट्टियों के समय विद्यालयों में या तो आते नहीं हैं अथवा विलम्ब से आते हैं। अभिभावकों से सीधा सम्पर्क न होने से भी कठिनाई होती है।

समाधान—प्रवेश के माह में अभिभावक एवं भूतपूर्व छात्रों का एक सम्मेलन बुलाने की व्यवस्था हो तथा 15 किमी. से दूर के छात्रों को प्रवेश/लम्बे अवकाशों के समय घर आने-जाने पर किराया भुगतान करने की व्यवस्था की जाय।

(ii) **समस्या**—विद्यालयों में कक्षा कक्ष, मनोरंजन, काष्ठोपकरण, खेल मैदान आदि पर्याप्त नहीं हैं।

समाधान—इनकी उपयुक्त व्यवस्था की जाय ।

(iii) **समस्या**—आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थायी नियमावली, कार्य प्रणाली सम्बन्धी नियमावली, वरिष्ठता सेवा शर्तों आदि सम्बन्धी कोई नियमावली अभी तक विभाग में उपलब्ध नहीं है। इससे सामान्य कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं हो पाती और एक संस्था से दूसरी संस्था की कार्य प्रणाली में विषमता एवं भिन्नता रहती है।

समाधान—आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालनार्थ एक आदर्श नियमावली तैयार की जाय तथा उसे प्रत्येक संस्थाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

(iv) **समस्या**—आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रायः कुछ निश्चित जातियों का ही प्रवेश होता है इससे कभी-कभी प्रवेश क्षमता के अनुकूल प्रवेश नहीं हो पाता है ।

समाधान—निश्चित अथवा किसी जाति विशेष के अतिरिक्त सामान्य जाति के बच्चों के लिए कम से कम 10% सीट सुरक्षित रखी जाय ताकि प्रवेश हेतु एक स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो तथा अन्य विकसित एवं सामान्य जातियों के साथ उनके कार्यव्यवहार, संस्कृति, सभ्यता आदि की जानकारी हो सके ।

(ii) **समस्या**—संस्था के रख-रखाव एवं संवासी छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे वस्त्र, जूता, मोजा, औषधि, भोजन आदि के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रायः धनावंटन नहीं होता है, साथ ही उक्त आवश्यक मदों में प्राप्त बजट आवंटन लगभग पिछले 10 वर्षों से संशोधित संशोधित नहीं हुए हैं जबकि मँहगाई निरंतर बढ़ी है । इस प्रकार—

(अ) वित्तीय सत्र के प्रारम्भ में बजट प्राप्त न होने ।

(ब) भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी आदि मदों में अपेक्षाकृत आवंटन कम होने से समयानुसार व्यवस्थित कार्य करने में कठिनाई होती है ।

समाधान—बजट आवंटन वित्तीय सत्र के प्रारम्भ में किया जाय । भोजन मद में 125 रु. प्रतिछात्र प्रतिमाह के स्थान पर 250 रु., वस्त्र मद में 70.00 प्रति वर्ष के स्थान पर 200 रुपया तथा स्टेशनरी मद में 30 रु. के स्थान पर 75 रु. प्रति छात्र प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाय ।

(iii) **समस्या**—आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों के लिए प्रतियोगितात्मक टूर्नामेन्ट, शिविर शैक्षिक यात्रा आदि का प्राविधान बजट के अन्तर्गत नहीं होता है ।

समाधान—वर्ष में कम से कम एक सप्ताह का शिविर आयोजन तथा एक सप्ताह की शैक्षिक यात्रा का आयोजन विभागीय स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाय। इस हेतु शिक्षा विभाग से भी सामंजस्य स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जाय।

(iv) **समस्या**—आश्रम पद्धति विद्यालयों के बच्चों को स्वावलम्बी बनाने अथवा रोजगार परक सूचनाएँ/सहायता देने हेतु संस्थाओं में कोई समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इससे बच्चे संस्था छोड़ने के बाद स्वयं को दिग्भमित एवं असहाय महसूस करते हैं।

समाधान—आश्रम पद्धति विद्यालयों में एक कैरियर रूम खोला जाय। प्रायः जू. हा./हा. स्कूल स्तर पर मनोवैज्ञानिक का पद होता है। अन्य संस्थाओं में भी मनोवैज्ञानिक का पद सृजित किया जाय। व्यावसायिक एवं रोजगार परक सूचनाएँ उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण एवं पुर्नवास योग्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने सम्बन्धी व्यवस्था आश्रम पद्धति विद्यालयों में की जाय। इस प्रकार यदि कुछ उत्पादन होता है तो उससे होने वाले लाभों में से बच्चों के लिए धन की व्यवस्था की जा सकती है। जिससे उन्हें आगे पढ़ने एवं रोजगार पाने में सहायता मिल सकती है ताकि वे स्वावलम्बी हो सकें।

बालकों में सोच के कुछ विविध पक्ष

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में)

□ प्रोफेसर नरेन्द्र वैद्य

स्वतन्त्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति के क्षेत्र में काफी कुछ काम हुआ। किन्तु इस विशाल प्रदेश के कुछ जिलों मे यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। इसके लिये शासकीय कार्यकर्त्ताओं और स्वैच्छिक संस्थाओं को एक नूतन संकल्प के साथ कार्यशील होना पड़ेगा।

यदि हम परम्परागत शैक्षिक पद्धति के आर-पार देखें तो सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों के लिये यह प्रणाली पर्याप्त नहीं है। इस पद्धति में एक तथ्य यह सामने आता है कि निर्धन वर्ग के बच्चों को अपने अभिभावकों की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती। फलस्वरूप ऐसे बच्चे कुछ समय बाद विद्यालय जाना त्याग देते हैं और माता-पिता की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु कोई रोजगार शुरू करने को बाध्य हो जाते हैं। इसका एक परिणाम यह होता है कि इनमें कोई भी कौशल विकसित नहीं हो पाता। अब समय आ गया है कि हम उनके शिक्षा-क्रम की विभिन्न स्थितियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करें और देखें कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो रही है व जो शिक्षा उपलब्ध हो उसकी जड़े कहां हैं? जो लोग उन्हें शिक्षा देने के कार्य में संलग्न हैं उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि ऐसे बच्चे अपने प्राकृतिक वातावरण में कैसे सीखते हैं? हमें यह जानना होगा कि ऐसे वर्ग के बच्चों की अधिगम क्षमता क्या है और ऐसे कौन से साधन हैं जिनकी सहायता से उन बच्चों की अधिगम क्षमता को विकसित किया जा सकता है? यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उन साधनों और क्षमताओं को स्पष्ट करने में प्रो. जीन पियाजे का बहुत योगदान रहा है। प्रो. जीन पियाजे के शोध के अनुसार यदि बच्चे की भोजन, वस्त्र और आवास की प्रारम्भिक व अनिवार्य आवश्यकताएँ ठीक से पूर्ण कर दी जाएँ तो वह पैदा होते ही सीखने का काम स्वतः शुरू कर देता है। इस प्रारम्भिक अवस्था में बच्चे में भाषा ज्ञान का अभाव होता है जो उसके मस्तिष्क को खोज देय बना देता है। वह थोड़ी देर के लिये भी जो कार्य करता है उसका पुनरावलोकन करता है और उसमें सुधार की कोशिश भी करता है। वह अपने तर्कों को ऐसे विकसित करता है और बिना पढ़ाए कई बार ऐसे काम कर दिखाता है कि देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है।

□ प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर

2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था तक बालक समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है। इतना ही नहीं वह अपने विचारों का हर प्रकार से परीक्षण करता है क्योंकि वह सीखना चाहता है और अपने अधिगम को गति देना चाहता है। यह उल्लेखनीय है कि वह दूसरे के दृष्टिकोण से समस्या को नहीं देखता।

7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था में उसका सोचना मूर्त स्थितियों पर आधारित होता है। वह भविष्य और अतीत दोनों दिशाओं में सोचता है। उदाहरणार्थ यदि दो बराबर लम्बी पैंसिलें एक दूसरी पर रखकर एक को आगे बढ़ाकर दूसरी के लिए पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा कि ऊपर वाली पैंसिल छोटी और नीचे वाली बड़ी है। दोनों पैंसिलों को समान दूरी पर रखकर पूछा जाये तो वह उन्हें बराबर बतायेगा। यह स्थिति मूर्त वस्तुओं के प्रति उसके बोध को प्रकट करती है।

11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में बालक सम्भावनाओं के संसार में रहता है। अब उसकी ऐसी अवस्था आ आजी है कि वह अमूर्त समस्याओं को समझकर उनको हल करने का प्रयास करता है। 15, 16, वर्ष की अवस्था में उसका मस्तिष्क प्रयोगशील हो जाता है। नि:सन्देह यह मानवीय प्रकृति की देन है। अध्यापकों एवं मनोवैज्ञानिकों को चाहिये कि वे देखें कि इस अवस्था में बालकों के सोचने, विचारने की प्रक्रिया कैसी है और यह पियाजे के सोचने के प्रतिमान से किस प्रकार भिन्न है? यदि हम ऐसा कर पाएं तो अवश्य ही बच्चों के लिये, उनके ही वातावरण से वस्तुओं को चुनकर उनमें सोचने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। इससे हमें इस बात का भी पता लग जायेगा कि ये बच्चे जो उत्तर दे रहे है-उसका क्या कारण है? व क्या उनके उत्तरों में किसी प्रत्यय की कमी है? जो स्थितियाँ आज हैं क्या वे कल भी रहेंगी? उन्हें जल्दी पढ़ाना ऐसा तो नहीं हो जाएगा की आगे पाठ और पीछे सपाट।

अमेरिका के प्रो. राबर्ट कारप्लस, उनकी पत्नी और प्रो. ए. ई. लासन, पियाजे के विचारों से बड़े प्रभावित हुये तथा उन्होंने प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विज्ञान के पाठ्यक्रम में इन सिद्धांतों का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक अवस्था में बच्चों को अनेक वस्तुएँ दी जाएँ जिन्हें वे स्वयं देखें, उनसे खेलें, उन्हें मिलाएँ या अलग-अलग करें, उनका वर्गीकरण करें और इस प्रकार विभिन्न स्थितियों के अन्तर्गत सीखने की दिशा में आगे बढ़ें। इससे उनमें जो प्रत्यय विकसित होगा उसे वे अन्य स्थितियों में भी उपयोग कर सकेंगे — इसी को अधिगम का स्थानान्तरण कहा जाता है।

यदि हम पियाजे के दिये गये विश्लेषण के अनुसार कार्य करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि बालकों को पहले मूर्त वस्तुओं के साथ अन्तर्क्रिया करने का अवसर मिले और उसके उपरान्त ही यदि वह अमूर्त अवस्था के भाव को ग्रहण करें—तो इस प्रक्रिया में उसकी जो समझ विकसित होगी—वह चिर स्थायी होगी। ऐसी अवस्था में हमें यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि

प्रतिभाशाली बालक परीक्षा के बाद अपने ज्ञान को भूलते हैं और मन्द बुद्धि बालक परीक्षा के पूर्व । यदि हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अन्तरावलोकन करें तो प्रतीत होता है कि पियाजे के मूलभूत सिद्धान्त इस नीति के काफी निकट हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बालक अपनी शिक्षा को अपने आप नियंत्रित करने की कोशिश करता है । बालक का मस्तिष्क ऐसा नहीं है कि उसमें कोई छेद हों और अध्यापक उस छेद में अपने विचार भर दें । एक स्थिति ऐसी भी आती है जब बालक आज्ञापालन करता है और कभी-कभी नहीं भी करता । इससे शिक्षक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिये बल्कि उसका काम तो ऐसी स्थिति में और भी आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान को इस स्थिति में अपने आप विकसित कर रहा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बालक पूछे गये प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कुछ नहीं जानता । निःसन्देह बच्चों के विकास की अवस्था के लिये परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन के लिये परिपक्वता वांछनीय है, परिपक्वता के लिये प्रत्येक बालक को निर्माण की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है । यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति विभिन्न चरणों (Stages) में पहाड़ पर चढ़ रहा हो और हर बार उसे नया परिदृश्य दिखाई दे रहा है ।

जीवन के दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिये लाओत्से के साथ संक्षिप्त वार्ता का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा ।

मैं लोगों को निर्देश नहीं देता, तो वे स्वयं सतर्क रहते हैं ।

मैं लोगों को आदेश नहीं देता, तो वे स्वयं आज्ञाकारी बन जाते हैं ।

मैं लोगों को उपदेश नहीं देता, तो वे स्वयं सुधर जाते हैं ।

मैं लोगों को बाध्य नहीं करता, तो वे स्वयं अनुकरण करते हैं ।

सर्वोत्तम नायक वह है—जिसकी उपस्थिति का लोगों को अहसास तक न हो ।

अच्छा नायक वह नहीं है—जिसका आज्ञापालन और समर्थन ही होता रहे ।

अयोग्यत्तम नायक वह है—जिसकी लोग उपेक्षा करते हैं ।

अच्छा नायक अल्पभाषी होता है, उसके कार्य एवं लक्ष्य सिद्धि को सब लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं ।

इसी प्रकार का उपदेश महात्मा बुद्ध और कनफ्यूशियस ने भी दिया है ।



जीन पियाजे
(1896—1980)

परिशिष्ट

परिशिष्ट—'अ' (i)

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची

1 अगरिया
2 वादी
3 बधिक
4 वहेलिया
5 वैगा
6 वैसवार
7 वजनिया
8 वाजगी
9 वलहर
10 बलई
11 वाल्मीकी
12 बंगाली
13 वनमानुष
14 बंसफोर
15 वरवार
16 बसोर
17 वावरिया
18 वेलदार
19 वेडिया
20 भाँलू
21 भुइया
22 भुइयार
23 नौरिया
24 चमार, धुसिया, झुसियों जाटव, व चरमी सहित
25 वेसे
26 दवगर
27 धांगर
28 धानुक
29 रकार
30 धोबी
31 डोम
32 डोमर
33 दुसाध
34 धरमी
35 धसिया
36 गुआल
37 हबूडा
38 हरी
39 हेला
40 कलाबाज
41 कंजड
42 कपरिया
43 करवल
44 खैरहा
45 खरोट
46 खरवार, वनवासी को छोड़कर
47 खटिक
48 कोल
49 कोखा
50 लालवेगी
51 मजहवी
52 मुसहर
53 नट
54 पंखा
55 परिहया
56 पासी या तरयालो
57 पतरी
58 रावत
59 सहरिया
60 सनोरिया
61 सासियां
62 शिल्पकार
63 तुरैहा
64 मझवार
65 कोरी—(आगरा, मेरठ व रूहेलखण्ड डिवीजन को छोड़कर राज्य भर में)
66 गौंड—(बुन्देलखण्ड डिवीजन व जिला मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में)

नोट :—जो व्यक्ति हिन्दू और सिख धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है तो वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा ।

परिशिष्ट 'अ' (ii)

अनुसूचित जनजातियों की सूची

1 थारू
2 बोक्सा
3 भोटिया
4 राजी
5 जौनसारी

परिशिष्ट—'आ'

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या (आधार जनगणना 1981)

क्रम.	जिला	कुल जन संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या
1	2	3	4	5
1	उत्तर काशी	1,90,948	41,875	1,817
2	चमोली	3,64,346	62,886	9,164
3	टेहरी गढ़वाल	4,97,710	63,540	68
4	देहरादून	7,61,668	90,881	76,085
5	पौड़ी गढ़वाल	6,37,877	64,901	1,097
6	पिथौरागढ़	4,89,267	95,145	17,337
7	अल्मोड़ा	7,57,373	1,65,710	2,145
8	नैनीताल	11,36,523	1,87,213	73,998
9	सहारनपुर	26,73,561	5,88,801	448
10	मुजफ्फर नगर	22,74,487	3,36,664	213
11	बिजनौर	19,39,261	3,93,946	3,647
12	मेरठ	27,67,246	4,64,167	173
13	गाजिया बाद	18,43,130	3,62,883	65
14	बुलन्द शहर	23,58,270	5,05,706	18
15	मुरादा बाद	31,49,406	5,38,017	621
16	रामपुर	11,78,621	1,53,888	48
17	बदायू	19,71,946	3,31,861	9
18	बरेली	22,73,030	2,83,805	58
19	पीली भीत	10,08,312	1,72,409	273
20	शाहजहाँपुर	16,47,664	2,94,373	39
21	अलीगढ़	25,74,925	5,79,353	21
22	मथुरा	15,07,447	3,06,450	90
23	आगरा	28,52,942	6,30,233	1,709
24	एटा	18,58,692	3,17,408	81
25	मैनपुरी	17,26,202	3,39,093	46
26	फरुखाबाद	19,49,133	3,39,093	179
27	इटावा	17,42,651	4,42,776	44
28	कानपुर	37,42,223	7,39,546	1,142

(जारी है)

क्रम.	जिला	कुल जन संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या
1	2	3	4	5
29	फतेहपुर	15,72,421	3,73,077	9
30	इलाहाबाद	37,97,033	9,31,075	226
31	जालौन	9,86,238	2,67,516	—
32	झाँसी	11,37,031	3,25,912	53
33	ललितपुर	5,77,648	1,40,866	13
34	हमीर पुर	11,94,168	2,93,233	—
35	बाँदा	15,33,990	3,62,496	15
36	खीरी	19,52,680	5,08,170	17,779
37	सीता पुर	23,37,284	7,24,336	28
38	हरदोई	22,74,929	6,80,794	12
39	उन्नाव	18,22,591	5,47,962	2,230
40	लखनऊ	30,14,574	4,80,492	286
41	रायबरेली	18,86,940	5,57,649	199
42	बहराइच	22,16,945	3,66,410	6,340
43	गोण्डा	28,34,562	4,36,759	1,457
44	बाराबंकी	19,92,074	9,51,418	162
45	फैजाबाद	23,82,515	5,67,062	85
46	सुल्तानपुर	20,42,778	4,72,369	4
47	प्रतापगढ़	19,00,049	3,88,376	7
48	बस्ती	35,78,069	7,15,947	9
49	गोरखपुर	37,95,701	8,16,184	2,303
50	देवरिया	34,96,564	6,07,234	160
51	आजमगढ़	34,44,130	7,79,760	140
52	जौनपुर	25,32,734	5,43,061	3
53	बलिया	19,45,376	3,00,551	27
54	गाजीपुर	19,44,669	4,00,350	73
55	वाराणसी	37,10,006	6,70,455	174
56	मिर्जापुर	2,39,149	6,63,773	146
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश		11,08,62,013	2,34,53,339	2,32,705

परिशिष्ट 'इ'

अन्य पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें उ. प्र. सरकार द्वारा शिक्षा सुविधाएँ दी जाती हैं

हिन्दू

1. आहीर	2. आरख	3. बंजारा
4. बढ़ई	5. बारी	6. वैरागी
7. भर	8. भोटिया	9. भुर्जी या भड़भूजा
10. बिन्द	11. छीपी	12. दर्जी
13. धीवर	14. गडेरिया	15. गोसाई
16. गूजर	17. हलवाई	18. जोगी
19. काछी	20. कहार	21. केवट या मल्लाह
22. किसान	23. कोइरी	24. कोरी (आगरा, मेरठ, रूहेलखंड डिवीजन में)
25. कुम्हार	26. कुर्मी	27. लोध
28. लोहार	29. लोनिया	30. माली
31. मनिहार	32. भुराव या सुराई	33. नाई
34. मापक	35. सोनार	36. तमोली
37. तेली		

मुस्लिम

1. भढियारा	2. बढ़ई	3. चिकवा (करसाव)
4. दर्जी	5. डफाली	6. फकीर
7. गद्दी	8. हज्जाम (नाई)	9. झोजा
10. कसगर	11. कुंजड़ा	12. किसान
13. मनिहार	14. मिरासी	15. मोमिन (अंसार)
16. मुस्लिम (धुनिया)	17. नद्धाफ (धुनिया)	18. नवकाल
19. नट	20. रंगरेज	21. स्वीपर

नोटः—कुमायूँ डिवीजन में मारछा, नायक, गिरि और पिछड़े मुसलमान भी पिछड़ी जातियों में ही माने जायेंगे ।

परिशिष्ट ई (i)

विमुक्त जातियों के जन समुदाय की सूची जो घूमते-फिरते रहते हैं

क्र. सं.	नियुक्त जातियों की सूची जो घूमते-फिरते रहते हैं	जिलों के नाम
1.	बदक	आगरा, बदायूँ, एटा, मैनपुरी।
2.	खुरपलटा	आगरा, मथुरा।
3.	मूंगिया (मूंग)	आगरा, झाँसी।
4.	कंजर या कुंचबधियाँ	अलीगढ़, बहराइच, बलिया, बाँदा, वाराणसी, बिजनौर, कानपुर एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई जालौन, झांसी, खीरी, मथुरा, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव।
5.	सिंगीवाला	अलीगढ़, बदायूँ, नैनीताल, सहारनपुर, मथुरा, बरेली।
6.	औघड़	इलाहाबाद।
7.	बैरिया	इलाहाबाद, बांदा, वाराणसी, इटावा, हमीरपुर, झाँसी, उन्नाव।
8.	बैद	इलाहाबाद।
9.	भाट	इलाहाबाद, वाराणसी, हमीरपुर, हरदोई, मिर्जापुर, एटा, फतेहपुर, इटावा, मथुरा।
10.	चमर मंगता	इलाहाबाद, फतेहपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, हरदोई।
11.	जोगी	इलाहाबाद, शाहजहाँपुर।
12.	कपरिया	इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ।
13.	मदावत या लुंगीपठान	इलाहाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, उन्नाव, बहराइच, हरदोई, बरेली।
14.	कलन्दर फकीर	आजमगढ़, बलिया, बरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद।
15.	नट या करनाटक	बहराइच, बलिया, बाँदा, वाराणसी, बदायूँ, बिजनौर, एटा, इटावा, फार्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, नैनीताल, पीलीभीत, रायबरेली, उन्नाव।
16.	करवल	बलिया, बाँदा, वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, खाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर।
17.	बाचरिया	बाँदा, मेरठ, मथुरा, मैनपुरी।

18. पासी	बाराबंकी ।
19. हबड़ा	बरेली, एटा, मुरादाबाद ।
20. डोम	बस्ती, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर ।
21. खटीक	बस्ती ।
22. बहेलिया	इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, झाँसी, मथुरा, शाहजहाँपुर ।
23. बंजारा	एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव ।
24. गोदनहार	गोंडा, सुल्तानपुर ।
25. बखार	मथुरा
26. बर्गी	मथुरा ।
27. सपेरा	मथुरा, सहारनपुर, इलाहाबाद ।
28. सिकलीगर	मथुरा ।
29. बेलदार	सहारनपुर, इटावा ।
30. मदारी	सहारनपुर, सुल्तानपुर, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद ।
31. कंकाली	सुल्तानपुर ।
32. ब्रजवासी	उन्नाव ।
33. जोगा	बदायूँ ।
34. किंगिरिया	इलाहाबाद ।
35. भटरी	इलाहाबाद ।
36. कुरमर्मयाँ (हिन्दू महावत)	कानपुर, हरदोई ।
37. कनमैलियाँ	इटावा ।
38. गोसांई	फर्रुखाबाद, झाँसी ।
39. लोनाचमार	जालौन ।

परिशिष्ट ई (ii)

विमुक्त जातियों के उन समुदाय की सूची जो स्थाई रूप से एक स्थान पर रहते हैं

क्र. सं.	विमुक्त जातियों की सूची जो स्थाई रूप से एक स्थान पर रहते हैं।	जिलों के नाम
1.	अहेरिया (बहेलिया)	फर्रूखाबाद, आगरा, बदायूँ, मैनपुरी, पीलीभील, अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा, मथुरा।
2.	बदक	बदायूँ, खीरी, मथुरा, शाहजहाँपुर।
3.	बंजारा	एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, मैनपुरी, आगरा, हरदोई, झाँसी, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव।
4.	बरवार	गोंडा, हरदोई, सुल्तानपुर, रायबरेली।
5.	बावरिया	मुजफ्फरनगर, आगरा, मेरठ।
6.	बेडिया	आगरा, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर।
7.	भर	आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर।
8.	बौरिया	कानपुर, फतेहपुर।
9.	चमार	इटावा, गाजीपुर, जौनपुर।
10.	दलेरा कहार	बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर।
11.	डोम	पूरे उत्तर प्रदेश में।
12.	गंडीला	मुजफ्फरनगर।
13.	घोसी (हिन्दू)	अलीगढ़, एटा, मैनपुरी।
14.	गूजर	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर।
15.	हबूड़ा	पूरे उत्तर प्रदेश में।
16.	कंजर	आगरा, कानपुर, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद।
17.	केवट	बस्ती।
18.	खटीक	बस्ती, गोंडा।
19.	लोध	फतेहपुर, मैनपुरी।

20.	मल्लाह	आगरा, अलीगढ़, बलिया, बुलन्दशहर, इटावा, मैनपुरी, मिर्जापुर, गोरखपुर, मथुरा ।
21.	मेवाती	बुलन्दशहर, अलीगढ़, बलिया ।
22.	मुसहर (वनमानुष भी होते हैं)	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, वाराणसी ।
23.	नट	इलाहाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, झाँसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, ।
24.	पलवर दुसाध	बलिया ।
25.	पासी	पूरे उत्तर प्रदेश में ।
26.	सांसिया	झाँसी, बुलन्दशहर, देहरादून, खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ।
27.	तगाभाट	सहारनपुर ।
28.	औघिया	कानपुर, फतेहपुर ।
29.	भात	पूरे उत्तर प्रदेश में ।
30.	गिधिया	मुरादाबाद ।
31.	करवल	खीरी, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, मुरादाबाद, कानपुर ।

परिशिष्ट–'उ'

उ. प्र. में आश्रम पद्धति विद्यालय

क्र. सं.	आ. प. वि. का नाम	जनपद का नाम
1.	रा. आ. प. वि. मऊ,	बांदा
2.	,, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
3.	,, रामपुर	रामपुर
4.	,, गोण्डा	गोण्डा
5.	,, पयागीपुर, सुलतानपुर	सुलतानपुर
6.	,, आर्यनगर, लखनऊ	लखनऊ
7.	,, चोपन, मिर्जापुर	मिर्जापुर
8.	,, दुदधी	मिर्जापुर
9.	,, सहारनपुर	सहारनपुर
10.	,, घोरावल	मिर्जापुर
11.	,, तिलोई	रायबरेली
12.	,, मोहम्मदाबाद	फर्रूखाबाद
13.	,, ताल बेहट	ललितपुर
14.	,, बबेरू	बांदा
15.	,, थिरपाक	चमोली
16.	,, शंकरगढ़	इलाहाबाद
17.	,, करारी	इलाहाबाद
18.	,, मानिकपुर	बांदा
19.	,, झांसीनगर	झांसी
20.	,, सारनाथ	वाराणसी
21.	,, शिवपुर	वाराणसी
22.	,, राबर्टसगंज	मिर्जापुर
23.	,, विष्णुपुरा	गोरखपुर
24.	,, आजमगढ़	आजमगढ़
25.	,, कादीपुर	सुल्तानपुर
26.	विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम	इलाहाबाद
27.	प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज	लखनऊ
28.	रा. आ. प. वि. बिडौरा	नैनीताल
29.	,, गदरपुर	,,
30.	,, खटीमा	,,
31.	,, मुन्स्यारी	पिथौरागढ़

32.	,,	वलुआकौवा (धारचूला)	,,
33.	,,	लांगापोखरी	देहरादून
34.	,,	टी स्टेट अम्बाडी	देहरादून
35.	,,	ट्यूनी	देहरादून
36.	,,	जोशीमठ	चमोली
37.	,,	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी

(स्त्रोत दिनांक 5-3-87 से 7-3-87 तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (पुरुष), लखनऊ में सम्पन्न संगोष्ठी में प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर।

परिशिष्ट—ऊ

उ. प्र. में आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के घर से दूरी

क. सं.	आ. प. वि. का नाम	वर्ष 1986-87 में प्रविष्ट छात्रों के घर की परिधि दूरी किमी. में											
		1 km.	2 km.	3-5 km.	6-10 km.	11-20 km.	21-30 km.	31-40 km.	41-50 km.	51-60 km.	61-100 km.	100 से ऊपर	योग कुल छात्र
1	रा. आ. प. वि., मऊ बांदा	—	—	—	3	66	6	3	—	—	—	—	78
2	,, प्रतापगढ़	—	—	—	—	—	37	23	—	—	—	—	60
3	,, रामपुर	—	—	—	—	—	—	4	—	—	19	222	245
4	,, गोंडा	—	—	—	—	—	28	60	60	—	—	—	148
5	,, पयागीपुर, सुलतानपुर	—	—	1	—	18	16	8	15	—	2	—	60
6	,, आर्यनगर, लखनऊ	2	4	20	20	6	10	10	10	10	20	95	207
7	,, चोपन मिर्जापुर	—	—	30	25	35	20	—	10	20	10	—	150
8	,, दुद्धी मिर्जापुर	—	—	20	30	—	25	20	30	20	30	—	175
9	,, सहारनपुर	—	—	—	10	20	15	15	10	8	88	9	175
10	,, घोरावल, मिर्जापुर	—	—	5	55	30	20	15	12	13	—	—	150
11	,, तिलोई	15	—	15	20	22	20	—	—	—	—	—	92
12	,, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद	—	—	—	—	—	14	7	—	—	19	54	94
13	,, तालबेहट, ललितपुर	—	—	4	8	35	10	—	—	—	—	—	57
14	,, बबेरु बांदा	25	3	—	15	19	—	—	—	—	—	—	62

(सत्र दिनांक 5-3-87 से 7-3-87 तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (पुरुष) निशातगंज, लखनऊ की संगोष्ठी में प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर)

परिशिष्ट 'ए'

उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालयों का संक्षिप्त विवरण

1. राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्यनगर सेटलमेण्ट, मोहान रोड, लखनऊ

स्थापना वर्ष 1962-63 में जिला मुख्यालय से लगभग 18 किमी. दूर स्थित है। पहुँचने के लिए चारबाग स्टेशन से राजाजीपुरम जाने वाली बस से जी. बी. पन्त पालीटेक्नीक के पास उतरना होता है। इस समय श्रीमती प्रेमकुमारी शुक्ला प्रायार्चा हैं। इसमें कुल 35 कमरे हैं जो विद्यालय के निजी हैं। पर्याप्त भूमि, भवन, खेल मैदान आदि की सुविधा है। पानी पीने हेतु विद्यालय का ट्यूबवेल एवं टैंक है। विभिन्न विमुक्त जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के कुल 207 छात्राऐ कक्षा 1 से 10 तक नामांकित हैं। जबकि छात्राओं की प्रवेश क्षमता 245 है। मुख्य जातियाँ चमार, पासी, धानुक भाँतू डोम, एवं हबूडा हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में खेल कूद, मनोरंजन आदि की उचित व्यवस्था है। विद्यालय का निजी टेलीविजन भी है। कुल 18 अध्यापिकाओं, मनोवैज्ञानिक सहित पर्याप्त हास्टल, कार्यालय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। छात्रावास एवं अध्ययन कक्ष अलग-अलग हैं।

2. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ, बांदा

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1982-83 में अनुसूचित जाति के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हुई। श्री कृष्णचन्द्र इस समय अधीक्षक पद पर तथा दो सहायक अध्यापक एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक कम्पाउण्डर सहित तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं। विद्यालय में सम्प्रति कक्षा 5 तक कुल 78 छात्र नामांकित हैं जो केवल कोल जाति के हैं।

विद्यालय जनपद बांदा से 126 किमी. दूर मऊ ब्लाक में स्थित है। विद्यालय भवन किराये का है जिसमें कुल 7 कमरे सम्मिलित हैं। पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल एवं नल तथा प्रकाश के लिए पेट्रोमेक्स एवं विद्युत उपलब्ध है। खेल के मैदान के अभाव में केवल अन्तरंग खेलों की सामान्य व्यवस्था है। छात्रावास में ही बच्चे रहते एवं पढ़ते हैं।

3. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, प्रतापगढ़

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1982-83 में केवल अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्गों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हुई है। विद्यालय मोहल्ला विवेकनगर में किराये के भवन

में संचालित है। बस/रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ से कुल दूरी लगभग 1 किमी. है। श्री नत्थीलाल, अधीक्षक सहित इस समय दो अध्यापक, दो क्लर्क, एवं तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। भवन किराये का है तथा स्थानाभाव के कारण छात्रावास में ही अध्यापन कार्य किया जाता है। विद्यालय में केवल कक्षा 1-2 तक के लिए ही स्वीकृत है, परन्तु जनहित में स्वीकृत क्षमता एवं उपलब्ध सुविधा के अन्तर्गत करता पाँच तक शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इस समय कुल 60 पासी जाति के बच्चे नामांकित है। खेल मैदान का अभाव है, अन्तरंग खेलों की व्यवस्था हैं। विद्यालय में टेलीविजन भी है जिससे छात्रों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन होता है।

4. राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, और इस समय विमुक्त जाति एवं अनुसूचित जाति के कुल 245 छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा दी जा रही है। पढ़ने वाले छात्रों में मुख्यतया पासी, हबूड़ा, भाँतू, सासिया, चमार, वर्मी, नट, मल्लाह, पनिका, गौड़, गूजर, बावरिया, कौल, थारू, चेरों और खरवार मुख्य हैं। विद्यालय के कुल 50 कमरे हैं जो निजी हैं। शिक्षण एवं छात्रावास की व्यवस्था अलग-अलग है। वर्तमान में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हैं। कुल 23 अध्यापक एवं 21 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। खेलकूद की पर्याप्त सुविधा है। विद्यालय में व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक, मनोवैज्ञानिक आदि का पद हैं। लगभग 11½ एकड़ संलग्न भूमि भी उपलब्ध हैं। पानी पीने के लिए हैण्ड पम्प एवं विद्यालय का ट्यूबवेल है। प्रकाश के लिए बिजली उपलब्ध है।

5. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गोण्डा

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। जिला मुख्यालय में ही कचहरी के बगल में स्थित है। अधीक्षक (श्री बाबूराम पाठक) 11 शिक्षक, 1 मनोवैज्ञानिक, सहित कुल 31 कर्मचारी नियुक्त हैं। बरवार, पासी, खटीक एवं मल्लाह जाति के कुल 148 बच्चे इस समय नामांकित हैं। विद्यालय भवन निजी है जबकि छात्रावास किराये पर लिया गया है। कुल बड़े छोटे 14 कमरे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक एकड़ भूमि संलग्न है। हैण्ड पम्प एवं नल द्वारा पीने के पानी की सुविधा है। प्रकाश के लिए विद्युत एवं पेट्रोमेक्स हैं, विद्यालय में खेलकूद की सामान्य सुविधा उपलब्ध है।

6. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालल, चोपन, मिर्जापुर

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1980 में विमुक्त जाति के बच्चों को कक्षा 1-2 तक शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हुआ है। जिला मुख्यालय से 116 किमी. पर यह विद्यालय चोपन विकास खण्ड में स्थित है। अधीक्षक श्री राम जियाव नमिश्र, सहित 3 अध्यापक, 2 लिपिक, 1

गृहमाता एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्यालय किराये के भवन में संचालित है जिसमें कुल 15 कमरे हैं। विद्यालय से संलग्न लगभग 1 एकड़ भूमि उपलब्ध है। पीने के पानी के लिए सार्वजनिक नल है। प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली है। वर्तमान में गोंड, खरवार, पनिका, चेरो भूइयाँ जाति के कुल 150 छात्र कक्षा एक से पाँच तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित हैं। विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था है। छात्रावास में ही शिक्षण कार्य भी होता है।

7. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1964 में अनु. जाति के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हुई। जनपदीय मुख्यालय मिर्जापुर से विद्यालय 151 किमी. दूरी पर तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय दुद्धी में स्थित है। विद्यालय का निजी एवं किराये का भी भवन उपलब्ध है जिसमें कुल 46 कमरे निहित हैं। विद्यालय की लगभग 4 एकड़ भूमि भी है। केवल कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए अलग से अध्ययन कक्ष की व्यवस्था है। पानी पीने के लिए एक कुआँ है, प्रकाश व्यवस्था के लिए लालटेन है। इस समय गोंड, खरवार, पठारी, पनिका, चेरों, भुइयाँ, अगरियाँ, कोल जाति के कुल 175 छात्र नामांकित हैं। विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था है।

8. आश्रम रीति विद्यालय, सहारनपुर

यह विद्यालय स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित एवं निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण, उ. प्र., लखनऊ द्वारा वित्त पोषित है। विद्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में विमुक्त जाति के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी। विद्यालय भवन किराये पर चल रहा है जिसमें कुल 25 कमरे हैं। लगभग 1 एकड़ संलग्न भूमि भी है अध्ययन कक्ष एवं छात्रावास की व्यवस्था अलग अलग है। परन्तु अलग से भोजन कक्ष नहीं है। विद्यालय में पर्याप्त शौचालय व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए हैण्डपम्प एवं टैंक हैं। विद्यालय में बिजली है। इस समय बाँवरिया, सासियाँ, गुर्जर, तगा भाट एवं नट जाति के कुल 175 छात्र नामांकित हैं। विद्यालय में टेलीविजन है जिससे छात्रों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन होता है। चिल्ड्रेन पार्क एवं खेलकूद की उपयुक्त व्यवस्था है।

9. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, घोरावल, मिर्जापुर

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1976-77 में कोल जाति के बच्चों को 1 से 5 तक शिक्षा देने के लिए की गयी थी। विद्यालय जनपदीय मुख्यालय, मिर्जापुर से 52 किलो. दूर खरूआव (घोरावल) विकास खण्ड में स्थित है। विद्यालय किराये के भवन में संचालित जिसमें कुल 10 कमरे है। विद्यालय का निजी भवन निर्माणाधीन है। इस समय छात्रावास एवं अध्ययन कक्ष की व्यवस्था

अलग अलग नहीं है। पानी पीने के लिए यूनिसेफ का नल लगा है। प्रकाश व्यवस्था के बिजली एवं पेट्रोमैक्स से की जाती है। कोल जाति के 150 छात्र इस समय नामांकित हैं। विद्यालय में मनोरंजन की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय भवन से संलग्न लगभग 3 एकड़ भूमि है तथा खेलकूद की उपयुक्त व्यवस्था है।

10. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, तिलोई, रायबरेली

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जाति के विशेष पिछड़े वर्गों के छात्रों को कक्षा 1 से 2 तक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हुई थी। विद्यालय जनपदीय मुख्यालय रायबरेली से 49 किमी. दूर विकास खण्ड तिलोई में स्थित है। विद्यालय भवन किराये का है जिसमें कुल 12 कमरे हैं। विद्यालय से संलग्न भूमि का अभाव है। पीने के पानी की व्यवस्था एक कुये और हैण्डपम्प से होती है। प्रकाश व्यवस्था के लिए लालटेन एवं बिजली उपलब्ध है। इस समय पासी, चमार एवं कोरी जाति के कुल 92 छात्र नामांकित हैं। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। खेलकूद की सामान्य व्यवस्था उपलब्ध है।

11. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1962 में विमुक्त जाति के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा देने के लिए की गयी थी। जनपदीय मुख्यालय (फर्रुखाबाद के स्थान पर फतहगढ़) से विद्यालय 21 किमी. दूर ब्लाक मुख्यालय मोहम्मदाबाद में स्थित है। विद्यालय में अधीक्षक, मनोवैज्ञानिक, सहायक अधीक्षक, 10 अध्यापक, गृहमाता, कम्पाउण्डर, लिपिक वर्ग सहित 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं।

विद्यालय का निजी भवन है जिसमें कुल 30 कमरे हैं। लगभग 4½ एकड़ संलग्न भूमि है। विद्यालय में अध्ययन कक्ष, छात्रावास एवं भोजन कक्ष की अलग-अलग व्यवस्था है। पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल है जबकि प्रकाश व्यवस्था के लिए गैस, लालटेन एवं बिजली है। इस समय मल्लाह, नट, भाँतू, हबूडा, बेड़िया एवं चमार जाति के कुल 94 छात्र नामांकित हैं। विद्यालय का टेलीविजन है जो बच्चों के ज्ञानार्जन एवं मनोरंजन में सहायक है। बहिरंग एवं अंतरंग खेलों की पर्याप्त व्यवस्था है।

12. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, तालबेहट, ललितपुर

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1979 में सहरिया जाति के छात्रों को कक्षा 1-4 तक शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी। विद्यालय जनपदीय मुख्यालय ललितपुर से 45 किमी. दूर

विकास खण्ड मुख्यालय ताल बेहट में स्थित हैं। विद्यालय भवन किराये पर लिया गया है। जिसमें कुल 14 कमरे हैं। छात्रावास एवं अध्ययन कक्ष अलग-अलग न होकर साथ-साथ है विद्यालय में पर्याप्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध हैं। पानी की आपूर्ति हेतु कुआ एवं वाटर सप्लाई है। विद्यालय में बिजली उपलब्ध है। इस समय सहरिया जाति के कुल 52 छात्र नामांकित हैं। बच्चों के मनोरंजन के हेतु रेडियो, एवं रिकार्ड प्लेयर उपलब्ध हैं। विद्यालय में खेलकूद की सामान्य व्यवस्था है।

13. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बबेरू, बांदा

विद्यालय की स्थापना वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्गों के बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी। विद्यालय जनपदीय मुख्यालय बाँदा से 42 किमी. दूर विकासखण्ड मुख्यालय बबेरू में अवस्थित है। विद्यालय भवन की व्यवस्था किराये पर की गयी है। इससे संलग्न भूमि उपलब्ध नहीं है। विद्यालय में कुल 16 कमरे हैं। अतएव स्थानाभाव में छात्रावास एवं अध्ययन कक्ष की व्यवस्था अलग-अलग न होकर साथ ही की जाती है। छात्रों के लिए अलग से भोजन कक्ष नहीं है। साथ ही शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्राँगण में एक हैण्डपम्प है। पेट्रोमेक्स एवं लालटेन से प्रकाश व्यवस्था की जाती है। इस समय चमार, कोरी एवं धोबी जाति के कुल 86 छात्र नामांकित हैं। मनोरंजन की सुविधा का अभाव है। खेलकूद की सामान्य व्यवस्था है।